हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

24 फरवरी, 2012

खण्ड-1, अंक-2

अधिकृत विवरण

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

विषय सूची

शुक्रवार, 24 फरवरी, 2012

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 1
वाक-आउट	(2) 17
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)	(2) 18
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2) 21
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 42
अध्यक्ष द्वारा घोषणा-	(2) 81
अनुपस्थिति के संबंध में सूचना	(2) 81
विभिन्न मामलों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को उठाना	(2) 81
वाक-आउट्स	(2) 88
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य	(2) 89
नियम 121 के अधीन प्रस्ताव	(2) 102

428

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(2) 104
वाक-आऊट	(2) 130
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का पुनराम्भण	(2) 130
बैठक का समय बढ़ाना	(2) 139
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का पुनराम्भण	(2) 139
बैठक का समय बढ़ाना	(2) 143
शोक-प्रस्ताव	(2) 143

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 24 फरवरी, 2012

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the questions hour.

Relaxation in Postings

***830. @Shri Aftab Ahmed**
Shri Jai Tirath Dahiya } : Will the Chief Minister be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to give serving husband/wife, who are parents of mentally retarded/Handicapped/Blind Children, relaxation in posting/transfer so as to enable them to attend their children in the same manner as relaxation is being given to other exempted categories such as widow, unmarried and couple cases; and

(b) whether there is any scheme to impart education to such children who are both mentally retarded & blind?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala):—

(a) Sir, there are instructions to give relaxation in posting/transfer to parents of mentaly challenged weak children. However, there is no proposal with regard to the parents of differently abled/blind children.

(b) Yes Sir.

Sir, I would also like to bring to the notice of this House that after seeing the reply of the question, the Hon'ble Chief Minister has further decided that the facilities that we are extending to other categories like mentally-challenged or weak children, will also be extended to the parents of differently abled and blind children.

श्री आफताब अहमद : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लिस्ट है उसमें ये इन्स्ट्रक्शंज दे रखी हैं but it is not included in the list. वहां पर बड़ी दिक्कत है जब इन बच्चों के पेरेन्ट्स वहां जाते हैं तो एच.ओ.डी. के पास जो लिस्ट होती है उसमें स्पेसिफिकली जो अलग-अलग सात तरह की आईडैंटिफाईड कैटेगरीज हैं वे तो उस लिस्ट में शामिल हैं लेकिन इस तरह की कैटेगरीज हैं वे आईडैंटीफाई नहीं होती जिसके कारण पेरेन्ट्स को बड़ी दिक्कत होती है। It should be specifically included in the relaxation policy with regard to these people.

@ Asked by Sh. Aftab Ahmed.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि जैसा कि राईट टू ऐजुकेशन के तहत प्राईवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती हैं क्या जो मंद बुद्धि बच्चों के प्राईवेट स्कूल हैं वहां पर भी 25 प्रतिशत बच्चें को शिक्षा मुफ्त दी जायेगी ?

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, क्या सरकार के पास ट्रान्सफर पॉलिसी में कोई ऐसा प्रावधान हैं जिसमें न्यूली वैडिड कॅपल को ट्रान्सफर करने का कोई प्रावधान हो ?

Shri Randeep Surjewala : Sir, may I begin with Mr. Batra's question. The spirit is laudable that the Government has no such proposal to extend some special facilities of posting and transfer to newly-wedded couples. Of course, there are some beneficial provisions in terms of extension of loan or grant of some special holidays that are there as part of our earlier existing policy but no such provision as is being suggested by the Hon'ble Member is being made. Coming back to the supplementary question posed by Shri Aftab Ahmed, Sir I want to point out that the categories of children who are supposed to be mentally-challenged or physically-challenged have already been defined by the Government of India under the 'Persons with Disabilities Act' as also under the 'National Trust Act', Since the statutory Act applicable also to the State of Haryana then those specific categories which are already specified would be included. As qua Sir, the policy that my friend spoke about on 13.5.1991, the Government has issued a specific policy for posting such parents at places where facilities for treatment of these children are available and may I just with your permission read. It is a small policy Sir. दिनांक 13.5.1991 विषय मानसिक रुप से विकलांग/कमजोर बच्चों के माता-पिता को सुगम स्थानों पर नियुक्ति/स्थानांतरित करने बारे। महोदय, मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त सन्दर्भित विषय की ओर आपका ध्यान दिलाऊं और यह कहूं कि सरकार ने स्थानान्तरण नीति में यह बिन्दु भी जोड़ने का निर्णय किया है कि मानसिक रूप से विकलांग और कमजोर बच्चों के माता-पिता को ऐसे बच्चों के इलाज के लिए जिन स्थानों पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां सामान्य स्थानान्तरण के समय स्थानान्तरित किया जाए। इन निर्देशों की अनुपालना दृढ़ता से की जाए। इसके साथ-साथ मैंने पहले ही कह दिया है कि हालांकि जवाब में हम वह एलौब्रेट नहीं कर पाए थे कि जो बच्चे डिफरैंटली एबल्ड हैं या ब्लाइंड हैं अब हम उनके लिए अपनी पोलिसी में तरमीम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय और सरकार ने निर्णय लिया है कि उनको भी स्थानान्तरण की नीति में वही लाभ मिलेगा जो मैंटली या फिजीकली चैलेंज्ड बच्चों को मिल रहा है। तीसरा सवाल, आदरणीय साथी श्रीमती सुमिता सिंह जी ने पूछा है कि जो डिफरैंटली एबल्ड स्कूल्ज हैं क्या वहां 25 परसैंट रिजर्वेशन मिलेगा Extension of such reservation under RTE to disabled children or differently abled children is also available.

श्री जयतीर्थ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो रिलैक्सेशन इन पौलिसी के बारे में बताया है क्या यह डिस्क्रीशनरी है या सबके लिए मेंडेट्री है यानि जो एप्लाई करेगा उसको इसका बैनीफिट मिलेगा या यह पौलिसी जनरल है ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, goes without saying that whenever a parent applies alongwith due medical certificates of the child who is differently abled or is mentally challenged then the appropriate transferring authority will take a call subject to administrative exigency. There is no cardinal or absolute rules.

Mr. Speaker: It is not mandatory.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, all transfer policies are subject to the administrative exigencies of a particular situation but let me assure you as well as Hon'ble Members of the House that the Government is extremely sympathetic to the cause of parents of such children alongwith the children we understand that they need special care and special treatment and that is why the policy and that is why our reply straightaway to members reply that we will further re-amend the policy and extend the benefit to all such categories of such children.

Construction of Bye-Pass

***891. Sh. Subhash Chaudhary :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Bye-Pass from Aalhapur to Bammi Khera as per Master plan; if so, the time by which the aforesaid Bye-Pass is likely to be constructed?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : No, Sir.

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस जवाब की तो हमें उम्मीद भी थी क्योंकि इन्होंने पलवल के विकास के बारे में तो चीरा लगा रखा है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये किठवाड़ी की पूछते तो मैं हां कर देता।

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं किठवाड़ी रोड के बारे में भी बता देता हूं। किठवाड़ी रोड का 6 महीने पहले टैंडर हुआ था। इस रोड के बराबर में रेलवे स्टेशन लगता है लेकिन यह सड़क अभी तक नहीं बनी है। मैंने इस बारे में एक्सीयन से भी बात की है और यहां चण्डीगढ़ में चीफ साहब से भी बात कर ली। मिनार गेट टू रेलवे स्टेशन रोड है जिस पर काम बन्द है। अध्यक्ष महोदय, इन के पास सच बोलने का ठेका तो है लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यह सड़क आज तक नहीं बनी है। यह रोड यमुना पार जाता है और यू.पी. को लगता है लेकिन वह आज तक नहीं बना और आसार भी नहीं लगते हैं कि शायद इसको 4-6 महीने में बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने वहां के लिए एक बाई पास की डिमांड भी की थी और इसको 2001 के मास्टर प्लान में रखा भी गया था लेकिन अब 2021 तक का जो मास्टर प्लान बना है उसमें यह कहा गया है कि यह बाई पास नहीं बनेगा।

Mr. Speaker: Subhash Chaudhary ji, please ask specific question.

श्री सुभाष चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि 2001 के मास्टर प्लान में बगोला से लेकर बामनी खेड़ा तक बाई पास बनाने के बारे में कहा गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां जो पुल बना रहे हैं वह पुल न बनाकर अगर एक बाई पास वहां

[श्री सुभाष चौधरी]

बना दिया जाए तो इससे हमारे पलवल शहर के लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी और हजारों जगह जो तोड़-फोड़ हो रही है वह भी बच जाएगी। मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि जहां रोहतक शहर की तरफ इतना ध्यान दिया गया है तो हमारे पलवल शहर की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाए।

Mr. Speaker: Hon'ble Minister may please not down the demand.

Shri Randeep Singh Surjewala : Yes Sir.

Supply of Pure Drinking Water

***888. Shri Raghubir Singh Tewatia :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether it is a fact that drinking water in Harphali, Softa, Meerapur, Jajru and Ladhiyapur village of Prithla Constituency is saline; if so, the steps being taken by the Government to supply pure drinking water in the aforesaid villages?

Public Health Engineering Minister (Smt. Kiran Chaudhary) : Yes Sir. The water quality in villages Harphali, Softa, Meerapur and Jajru is saline except for village Ladhiyapur, which is being supplied potable water. Suitable tubewells have been drilled in villages Harphali, Sofia and Jajru and will be commissioned by 30.6.2012. The estimate for supplying potable water in village Meerapur is under preparation and will be submitted in the ensuing Water Supply & Sewerage Board meeting for approval.

श्री रघुबीर सिंह तेवतिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के इन 13 गांवों में नीचे का पानी खारा है। यहां जो ट्यूबवैल्ज सरकार की तरफ से लगाये जाते हैं वे 100 फिट तक लगाये जाते हैं और 6 महीने में उनका पानी खराब हो जाता है। इस बारे में हमने प्राईवेट तौर पर जांच करवाई थी जिससे पता चला कि इन इलाकों में 984 फिट से लेकर 1310 फिट के बीच में मिट्ठा पानी है। अब सरकार की तरफ से जो ट्यूबवैल्ज लगाये जा रहे हैं वे 100 फिट तक लगाये जाते हैं और 6 महीने में उनका पानी खराब हो जाता है जिससे सरकार के पैसे की भी बरबादी होती है। इसलिए वहां पर या तो दूसरी जगह से पानी लाया जाये या गहरे बोर कराकर नीचे से मीठा पानी वहां की जनता के लिए प्रोवाईड कराया जाये। इन 13 गांवों के बारे में मैंने पिछले सैशन में भी प्रश्न किया था जिसके बारे में मंत्री महोदया ने बताया था कि 1.62 करोड़ रुपये भनकपुर के लिए मंजूर किये थे और आर.ओ. सिस्टम जिस तरह से कैथल और झज्जर में लगाये गये थे उसी आधार पर लगाये जाने थे, लेकिन अब वह स्कीम भी बदल दी है।

Mr. Speaker: Hon'ble Minister, are you going to have deep borewells there?

Smt. Kiran Chaudhary : Speaker Sir, I would like to reply in detail to this question. अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय विधायक जी कह रहे हैं यह बात बिलकुल सही

है कि इनके इलाके में ट्यूबवैल्ज के बहुत बोर किए गए हैं और वे सलाइन हो गये हैं जिसमें पैसा भी बहुत लगा है। अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय सदस्य के हल्के के गांव हरफली में 41.95 लाख रुपये के ट्यूबवैल का प्रोवीजन किया है जिसमें 27.5.2011 को राईजिंग मेन और डिस्ट्रीब्यूशन एप्रूव हो चुका है। टैण्डर भी अलॉट हो गया है। मैं माननीय सदस्य से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि उस ग्राम पंचायत ने इस ट्यूबवैल के लिए अभी तक कोई जमीन नहीं दी है इसमें माननीय सदस्य भी हमारा साथ दें ताकि जमीन मिल जाये और हम आगे काम शुरू कर सकें। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के हल्के में भनकपुर, झायंसा, नंगला, फाफूंडा, कनेरा, जोगीयान, नवादा, तीगांव, पनहेरा कलां, सहजानपुर, नंगली, सोफता आदि 13 गांव हैं जिनमें एस्टीमेटिड कॉस्ट 491.60 लाख रुपये की है जिसमें से 179.21 लाख रुपये का काम कर दिया है। इस तरह से इन सभी गांवों में पूरी तरह से कार्यवाही चल रही है केवल मीरपुर के अंदर दोबारा से ड्रिलिंग की कार्यवाही कर रहे हैं और सैनीटेशन बोर्ड की अगली मीटिंग में ऐप्रूवल के बाद उसको भी लिया जायेगा।

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के सोहन्द, डाडका, बुराका, बंचारी, घड़ीपट्टी, होडल, आदि गांवों में आज के दिन भी पीने का पानी नहीं मिल रहा, पता नहीं गर्मी के सीजन में क्या होगा? इस बारे में मैंने क्वेश्चन भी दिया था लेकिन लगा नहीं। होडल का बहुत विस्तार हुआ है वहां की जो कालोनियां हैं उनमें भी पीने के पानी की बहुत समस्या है। गर्मियों के समय में जिस तरह से राजस्थान में टैंकरों से पानी लाया जाता है उसी तरह से इन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था लोग करते हैं। इन गांवों के लिए मैंने पिछले सैशन में भी सवाल पूछा था और आज भी मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या आने वाले गर्मी के सीजन को देखते हुए इन गांवों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, यदि नहीं की गई है तो इन गांवों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाये।

Mr. Speaker: You give me your demands in writing and I will forward them to the Minister.

Construction of New Road

***881. Shri Krishan Lal Panwar :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new road from village Urlana Kalan to village Chhichhrana, District Panipat; if so, the time by which the said road is likely to be constructed ?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) : Yes, Sir. The said road is likely to be constructed by 31.12.2012.

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी ने आश्वासन दिया है कि 31.12.2012 तक यह सड़क बना दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस सड़क को बनाने की कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और इस सड़क को बनाने पर कितना खर्च आयेगा ?

सरदार परमबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क की लैंथ 5.55 कि.मी. की है और 155.91 लाख रुपये का बजट है। 20.2.2012 को टैण्डर एप्रूव हो चुका है और 31.12.2012 तक यह सड़क कम्पलीट हो जायेगी।

Sewerage System in Fazilpur and Raipur

***859. Smt. Kavita Jain :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide sewerage system in village Fazilpur and Raipur of Sonipat?

Public Health Engineering Minister (Smt. Kiran Chaudhary) : No Sir.

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया जी से पूछना चाहती हूं कि गांव फाजिलपुर और रायपुर की अधिकतर जमीन सैक्टर बनाने के लिए ऐक्वायर हो चुकी है। इन गांवों के अन्दर कोई भी खाली पंचायती जमीन या जोहड़ और तालाब नहीं है जहां पर गन्दा पानी डाला जा सके। यही कारण है कि इन दोनों गांवों में तकरीबन साल के 12 महीने ही गंदा पानी खड़ा रहता है जिस कारण से इन दोनों गांवों में बिमारियां फैलती रहती हैं। क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन गांवों में सीवरेज की समुचित व्यवस्था करवाई जाये?

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, इस बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगी कि इस समय गांव फाजिलपुर और रायपुर में जो पानी उपलब्ध है वह 70 एल.पी.सी.डी. और 55 एल.पी.सी.डी. है एल.पी.सी.डी. का मतलब litres per capita per day. स्पीकर सर, माननीय सदस्या ने इस बारे में सीवरेज का क्वैश्चन लगाया है। इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगी कि 110 एल.पी.सी.डी. से नीचे अगर पानी होता है तो वहां पर सीवरेज चौक होने की आशंका होती है क्योंकि उसकी विलॉसिटी नहीं होती और विलॉसिटी नहीं होने से सीवरेज सिस्टम चौक हो जाता है और ऐसी जगह पर सीवरेज नहीं डाला जा सकता। इसके साथ मैं माननीय सदस्या को यह भी बताना चाहूंगी कि I want to make it very clear that even as per the manual of these STPs the minimum requirement is 110 LPCD but so far as these two village are concerned, they do not fulfill those requirements. Apart from this, she has been taking all these issues and various points, I would like to put on record that she should be extremely grateful to the Government because in her constituency specially where there has been 69 crores rainwell project which has been approved by the Government of India. इन्होंने मांग भी नहीं की है फिर भी सरकार ने इनको बहुत ज्यादा दिया है जिसके बारे में इनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहिए जो कि ये नहीं करना चाहती हैं लेकिन मैं फिर भी इनको बताना चाहती हूं कि इतना-इतना काम सोनीपत टाऊन में कांग्रेस की मौजूदा सरकार द्वारा करवाया जा रहा है।

Mr. Speaker : She is very thankful for all.

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, तीन रैनीवैल यमुना बैंक पर बिल होंगे और इसमें 32 किलोमीटर लम्बी पाईपलाईन लगेगी जिससे सोनीपत टाऊन को पानी मिलेगा। हरियाणा प्रदेश में

इस प्रकार की परियोजनाएं सिर्फ तीन ही लागू की गई हैं एक फरीदाबाद में, दूसरी मेवात में और तीसरी सोनीपत टाऊन में इम्प्लीमैंट हुई है। She shold be very happy and put on record as a matter of appreciation to the Government that for the good work is done as far as the Department in concerned.

Mr. Speaker : Her smiles say so many things. She is very thankful to you.

श्रीमती सुमिता सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि अभी-अभी जो हरियाणा प्रदेश के अन्दर नये नगर निगम बने हैं जिसमें करनाल भी हैं वहां के जो गांव अब नगर निगम में आ गये हैं क्या वहां पर भी सीवरेज सिस्टम डालने का कोई प्रावधान है और अगर है तो यह काम कब तक हो जायेगा।

Smt. Kiran Chaudhary : This is a separate question but I will answer to it because she can demand and we will definitely look into it because we are committed to provide good sewerage system and potable water to the entire State.

Mr. Speaker : But her point is also valid. Since the villages are included in the Municipal Corporation, good sewerage system should also be provided to them.

Smt. Kiran Chaudhary : I have already said so Sir, Once they have come within the Municipal limits, we will have to take it up in the Sanitary Board Meeting and consequent to the approval of the meeting of the Board, it will be taken up.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैं सीवरेज सिस्टम के बारे में माननीय मंत्री महोदया जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में क्या सीवरेज सिस्टम डालने के लिए बरती जाने वाली अनियमितताओं की या misuse of funds की कोई शिकायतें इनको प्राप्त हुई हैं? मैं इनको विशेषकर कैथल के बारे में बताना चाहूंगा जहां पर श्री आर.पी. गर्ग और चीफ इंजीनियर एस.के. बंसल ने जांच की। उस जांच में यह पाया गया कि अवैध कालोनियां काटने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए सीवरेज डाला गया है। क्या उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और अगर करेंगे तो कब तक करेंगे?

Mr. Speaker : It is separate question.

Shri Rampal Majra : Sir, it is not a separate question. It is related with the sewerage system.

Mr. Speaker : Alright, Hon'ble Minister may reply please.

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, मैं एमएलए साहब को बताना चाहूँगी कि यह सही है कि हमारे पास शिकायत आई थी जिसकी जाँच हुई है। जो भी इन्क्वायरी आई है उसके ऊपर पूरी कार्यवाही की जा रही है। जिन अफसरों के खिलाफ शिकायत आई थी उनको चार्जशीट किया जा रहा है। जो भी अफसर गलत काम करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं।

Construction of Panchayat Samiti Bhawan

***866. Master Dharam Pal Obra :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the construction work of Panchayat Samiti Bhawan of Block Behal has not been started despite the fact that land for the same has been provided by the village Panchayat; if so, the time by which the construction work is likely to be started thereon together with the reasons for the delay in the aforesaid construction work?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : No Sir. The construction work has been started at site and the Bhawan is likely to be completed within 6 months.

श्री धर्मपाल ओबरा : सर, काम शुरू ही नहीं हुआ है तो 6 महीने में पूरा कैसे करेंगे?

श्री अध्यक्ष : ओबरा जी, मंत्री जी कह रहे हैं कि इस काम को 6 महीने में पूरा करेंगे। अगर अगले सैशन तक ना हो तो आप दुबारा लिखकर भेज दें।

तारांकित प्रश्न संख्या 864

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री घनश्याम सर्राफ सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Sewerage System in Safidon City

***842. Shri Kali Ram Patwari :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state the present position of sewerage system in Safidon City togetherwith the amount spent on sewerage system so far alongwith the time by which the said system is likely to start functioning?

Public Health Engineering Minister (Smt. Kiran Chaudhary) : Sir. Presently, 30% area of Safidon town is covered with sewerage system. An amount of Rs. 167.35 lacs was spent to lay the sewerage system in the town. Already laid sewerage system is functioning properly and sewage is disposed off through 2 disposals existing near New Bus Stand and on the bank of Hansi Branch Canal.

श्री कली राम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आबादी के अन्दर जो 30 प्रतिशत सीवरेज बिछाया गया है वह वर्ष 2004 के अन्दर बिछाया गया था जिस पर 167.35 लाख रुपये खर्च किए गए थे लेकिन आज की असली पोजीशन यह है कि वहां न तो सीवरेज चालू हैं, ना कोई सफाई की व्यवस्था है। अगर चालू है तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि उस सीवरेज में कितने कनैक्शन हुए हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जैसे मैंने पहले बताया कि इस सीवर पर 30% एरिया कवर्ड है और इनको अगर कहीं पर कमी नजर आ रही है तो वहां पर हम सुपर मक्कर मशीन की अगर जरूरत है तो हम भिजवा देंगे। इन्होंने कभी डिमांड की ही नहीं। अगर डिमांड करते तो हम भिजवाते और सफाई करवाते। इसके अलावा मैं इनको बताना चाहूँगी कि एक्विजिशन ऑफ लैंड के लिए और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू

सिवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के लिए 305 लाख रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है जो 21.10.2011 को ऐडमिनिस्ट्रेटिवली ऐप्रूव हो चुका है और जो ऐप्रूव्ड एरिया के अन्दर कंस्ट्रक्शन होगी उसके एस्टीमेट्स बन गये हैं subject to the approval of the sanitary board.

श्री प्रदीप चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मैंने पिछले विधान सभा के सत्र के दौरान यहां कालका शहर के सीवरेज के बारे में कहा था कि सीवरेज सिस्टम वहां पर बिल्कुल फेल हो गया है। लाइनें बहुत पुरानी हैं। मेन होल सारे बंद पड़े हैं। लेकिन मंत्री महोदय ने उस समय कहा था कि मुझे पता नहीं, मैं देख लूंगी लेकिन वहां पर टोटल सिस्टम फेल है। वार्ड नं० 1 एवं नं० 2 में बहुत बुरी हालत हैं। कालका शहर में सीवरेज की हालत बहुत खराब है। क्या मंत्री महोदया बताना चाहेंगी कि सरकार वहां के सीवर सिस्टम को ठीक करवाने का काम करेंगी या वहां पर जो पुरानी लाईनें बिछी हैं उनकी जगह नई लाईनें बिछाने का काम करेगी?

Mr. Speaker : Smt. Kavita Jain also want to put a query.

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि न केवल मेरी पिछली सप्लीमैंटरी में मैंशन दोनों गांव बल्कि प्रदेश के अन्दर जितने भी गांव हैं जहां पर सीवरेज सिस्टम उपलब्ध नहीं है वहां पर भी सीवरेज की लाईनें डालने का काम करेंगे? इस बारे में सरकार को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए क्योंकि गांव के लोगों को भी सीवरेज सिस्टम की जरूरत होती है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हालांकि इनका प्रश्न पहले आ चुका है फिर भी मैं इनको बताना चाहूँगी कि मिनिमम रिक्वायरमैंट सीवरेज की110 एल.पी.सी.डी. है और गांव के अन्दर जहां पर यह 110 से नीचे है वहां पर हम सीवर नहीं डाल सकते क्योंकि उसके अन्दर वैलोसिटी पूरी नहीं होती है और वैलोसिटी नहीं होगी तो वह सीवर चौक होगा और चौक होने के बाद सरकार का ज्यादा पैसा लगेगा और इतना फायदा नहीं होगा।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, Shri Pradeep Chaudhary has also asked a supplementary regarding Kalka Constituency.

Smt. Kiran Chaudhary : Speaker Sir, as far as Kalka is concerned we have taken it under the Shivalik Development Board and in the coming time whenever he puts up a proper demand that we want this particular thing to be done, we will definitely take it up.

Posting of Medical Officer

***835. Smt. Saroj Mor :** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that no Medical Officer has been posted in the CHC Bass in District Hisar; if so, the time by which a Medical Officer is likely to be posted in the aforesaid CHC?

स्वास्थ्य मन्त्री (राव नरेन्द्र सिंह) : जी नहीं, महोदय।

श्रीमती सरोज मोर : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि बास गांव के हास्पिटल में पिछले कई सालों से चिकित्सा अधिकारी नहीं है, क्यों नहीं है, इस बारे में मंत्री जी बताएं।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister please you check whether the man posted at this place has joined or not?

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं माननीय विधायक साथी को बताना चाहता हूं कि बास गांव में सी.एच.सी. नहीं है बल्कि वहां पर एक पी.एच.सी. है और उस पी.एच.सी. में दो मैडिकल आफिसर की पोस्ट सैंग्शंड हैं जिनमें एक डाक्टर वर्ष 2009 से कार्यरत हैं। उस डाक्टर के पिछले कुछ दिनों से बीमार होने की वजह से हमने सी.एच.सी. सोरखी से एक दूसरे डाक्टर को वहां पर लगाया था जिसके अब परमानैंट आर्डर भी हो चुके हैं। इसलिए वहां स्थाई रूप से एक एम.ओ. काम कर रहा है और एक डैंटल सर्जन काम कर रहा है बाकी चार हमारी स्टाफ नर्सेज काम कर रही हैं।

श्रीमती सरोज मोर : स्पीकर सर, अभी तक कोई भी डाक्टर नहीं आया है अगर किसी डाक्टर की वहां पर एप्वॉयंटमैंट हुई है तो बतायें कि वह डाक्टर वहां पर ज्वॉयन क्यों नहीं कर रहे हैं ?

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, you may please check it again.

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक साथी को बताना चाहूंगा कि डाक्टर अमित कुमार की वहां पर पोस्टिंग हो चुकी है, वह आलरेडी काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से डाक्टर विजेन्द्र जो वहां पर लगे हुए थे उसके अस्वस्थ्य होने की वजह से हमने टैंपरेरी व्यवस्था की हुई थी लेकिन अब परमानैंट व्यवस्था भी कर चुके हैं। वहां की पी.एच.सी. में ओ.पी.डी. भी है और सब कुछ फंक्शनिंग है।

श्री भारत भूषण बतरा : सम्माननीय स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे सारे प्रांत के अंदर कितने परसैंट डाक्टरों की पी.एच.सी., सी.एच.सी. और सिविल हॉस्पिटल में रिक्वायरमैंट है। कितने परसैंट डाक्टर एप्वॉयंट हुए हैं और कितने परसैंट पोस्टें अभी वैकेंट हैं?

Mr. Speaker : Batra ji, you don't think that it is a separate question.

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा कि हमारे जो स्वीकृत पद हैं उनमें से केवल 18 परसैंट पद खाली हैं जिनके लिए हम आवेदन मांग चुके हैं और मार्च महीने में इन पदों के लिए इंटरव्यू शुरु किये जा रहे हैं।

Opening of a College in Nilokheri Constituency

***922. Shri Mamu Ram :** Will the Eudcation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a college in Nilokheri Constituency; if so, the time by which the proposed college is likely to be opened?

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail) : No, Sir.

श्री मामू राम : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या नीलोखेड़ी हल्के के अंदर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्या उनके लिए कॉलेज की कोई जरूरत नहीं है?

Mr. Speaker : This is not the question. ये सवाल नहीं है। आप स्पैसिफिक सवाल पूछिए।

श्री मामू राम : अध्यक्ष महोदय मैं सवाल ही पूछ रहा हूं। सर, मेरा हल्का इतना बड़ा है और उसमें तीन कस्बें हैं लेकिन इसके बावजूद भी मेरे हल्के में कोई भी गवर्नमैंट कॉलेज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिये।

श्री मामू राम : अध्यक्ष महोदय मैं सवाल ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सवाल है आपका?

श्री मामू राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि नीलोखेड़ी में गवर्नमैंट कॉलेज क्यों नहीं है?

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर साहिब आप बतायें कि कॉलेज क्यों नहीं है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक साथी को बताना चाहूंगी कि इस समय नीलोखेड़ी कांस्टीच्युएंसी में गवर्नमैंट कॉलेज खोलने बारे में कोई भी प्रपोजल सरकार के कंसीडरेशन में नहीं है। इस समय करनाल और कुरुक्षेत्र में बहुत से कालेज चल रहे हैं जो 15 से 30 किलोमीटर की परिधि में आते हैं। करनाल में गर्वनमैंट कॉलेज है जो नीलोखेड़ी से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। 4070 के करीब बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। करनाल का गवर्नमैंट कॉलेज फोर वूमैन भी नीलोखेड़ी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। गवर्नमैंट कॉलेज धरौंडा भी नीलोखेड़ी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। गवर्नमैंट कॉलेज, मटकमाजरी जोकि नया खुला है वह भी नीलोखेड़ी से केवल 20 किलोमीटर पर है। कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी का कॉलेज भी नीलोखेड़ी से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके अलावा करनाल में बहुत से नॉन गवर्नमैंट एडेड कॉलेज हैं जैसे कि डी.ए.वी. कॉलेज, गुरूनानक खालसा कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, के.वी.ए., डी.ए.वी. कॉलेज फोर वूमैन ये सभी नीलोखेड़ी से 15 किलोमीटर की परिधि में हैं। डाक्टर गणेश दास डी.ए.वी. कॉलेज ऑफ एजूकेशन फोर वूमैन, करनाल की दूरी भी नीलोखेड़ी से मात्र 15 किलोमीटर की है। दयानन्द महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र भी 18 किलोमीटर पर है, भगवान परशुराम कॉलेज कुरुक्षेत्र भी केवल 18 किलोमीटर पर है और इस समय सात गवर्नमैंट कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी और सात गवर्नमैंट एडेड कॉलेज करनाल और कुरुक्षेत्र के आस पास हैं और इसलिए नीलोखेड़ी की जहां तक बात है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 से लेकर अब तक राज्य में 20 से ज्यादा कॉलेज खुल चुके हैं और एक नया कॉलेज खोलने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये की राशि, 14 लैक्चरर्ज, एक प्रिंसीपल, स्पोर्टिंग स्टाफ और अन्य फैसिलिटीज की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक नीलोखेड़ी का सवाल है, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि मटक माजरा में आलरेडी गवर्नमैंट कॉलेज चल रहा है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : मटक माजरा तो इंद्री में है नीलोखेड़ी में नहीं है।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि इस समय नीलोखेड़ी में गवर्नमैंट कॉलेज खोलना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कौन सा जिला ऐसा है जहां गवर्नमैंट कॉलेज नहीं है और यदि किसी जिले में गवर्नमैंट कॉलेज नहीं है तो क्या वहां गवर्नमैंट कॉलेज खोलने का विचार है?

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहती हूं कि कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है और वहां ऐडिड कॉलेज भी हैं इसलिए वहां गवर्नमैंट कॉलेज की आवश्यकता नहीं है इसलिए वहां गवर्नमैंट कॉलेज खोलना विचाराधीन भी नहीं है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने कहा है कि कुरुक्षेत्र में गवर्नमैंट कालेज नहीं है, मैं जानना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी बड़ी है या कॉलेज बड़ा है। यूनिवर्सिटी में सारे कॉलेज आते हैं। जहां यूनिवर्सिटी हैं वहां कालेज नहीं है। रोहतक में भी ऐसा ही है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि वे पेहवा और शाहबाद में सरकारी कॉलेज खोल दें, हम उसके लिए भी राजी हैं।

Shifting of Dairies in Karnal

***946. Smt. Sumita Singh :** Will the Minister of State for Urban Local Bodies be pleased to state the time by which the Dairies functioning in Karnal city are likely to be shifted to the proposed place?

Minister of State for Home (Shri Gopal Kanda) : Sir, about one year.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि इस वर्ष 2012 के अंदर ही शहरों से डेयरियों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि लगभग एक वर्ष पहले भी इन्होंने यही बात कही थी और कई वर्षों से डेयरी वालों को प्लॉट भी अलॉट किए हुए हैं, सड़कें भी बन चुकी हैं और एक वर्ष का समय क्यों लगेगा?

श्री गोपाल कांडा : स्पीकर सर, इसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सीवरेज, पानी, सड़कें तैयार हो चुकी हैं। अलॉटमैंट की जो टर्म्ज एंड कंडीशंज हैं उनके बारे में विचार कर रहे हैं कि वह उनको लीज पर दें या कैसे दें। डेयरी वाले लीज पर लेना चाहते हैं इस इशू को डिसाइड करना है उसके बाद डेयरियों को शिफ्ट कर देंगे।

Bank Reconciliation

***809 Shri Krishan Pal Gurjar :** Will the Finance Minister be pleased to state whether bank reconciliation is being done by the Finance Department or the Treasury Office; if not, the reasons thereof?

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Yes Sir.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब रिसीट का मिलान होता है, उसे रिकंसाइल करते हैं, मिलान करते समय क्या कोई फर्जीवाड़ा मिला है? आर.बी.आई. से जो डे टू डे स्टेटमैंट आती है उसका मिलान करते हैं और जो भी आप पेमेंट करते हैं ऐक्चुअल में वहीं हुई है या कोई गलती पाई गई है, यह मैं जानना चाहता हूं?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : रोज की रोज रीकंसाइलेशन होती है Speaker Sir, this is the procedure.

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : मैं पुनः सवाल करता हूं कि डे टू डे जो रिसीट्स का मिलान करते हैं उसमें कोई फर्जीवाड़ा मिला है या नहीं?

Sardar Harmohinder Singh Chattha : Action will be taken अगर इसमें कोई फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो कार्यवाही जरूर करते हैं। वैसे ऐसा हो ही नहीं सकता because we are comparing it daily.

प्रो. सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अब तो सारा सिस्टम भी on-line हो गया है।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : हाँ जी।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं आया। मंत्री जी ने कहा है कि जहां कोई फर्जीवाड़ा मिला है तो उस पर कार्यवाही होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने फर्जीवाड़े मिले हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से कहना चाहता हूं कि सु-पोजीशन से काम नहीं होती। This was not your question. Even then I replied. फर्जीवाड़ा मिलने का सवाल ही बड़ा कम होता है।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : स्पीकर सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

Upgradation of Block as Sub-Tehsil

***871. Shri Rameshwar Dayal Rajoria :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade Khol Block as Sub Tehsil; if so, the details thereof.

राजस्व मन्त्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : जी, नहीं।

श्री रामेश्वर दयाल राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, खोल ब्लॉक बने काफी साल हो गये हैं लेकिन उसको सब तहसील अब तक नहीं बनाया गया है क्या बावल हल्के के लिए विकास के नाम पर सरकार द्वारा कुछ नहीं किया जाता है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने जवाब में कहा है, नहीं। खोल ब्लॉक रेवाड़ी जिले का सब डिवीजन है। रेवाड़ी जिले में तीन तहसीलें हैं रेवाड़ी, कोसली और बावल। जहां तक सब-तहसील का सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जन आवश्यकता, औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति के आधार पर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं विशेष तौर से तहसील और सब तहसील हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार और जन सुविधा के अनुसार देखते हुए काफी तहसील और सब तहसीलों का सजृन किया है। जहां तक रेवाड़ी जिले के बावल ब्लॉक का सवाल है रेवाड़ी जिले में तकरीबन 241 गांव है जिनमें बावल में 81 गाँव हैं, कोसली में 54 गाँव हैं। इसलिए जहां पर आवश्यकता होती है वहां पर हम सब-तहसील बनाने की कोशिश करते हैं और जहां तक खोल ब्लॉक का सवाल है हम इसको एग्जामिन करवा लेते हैं उसके बाद जैसी स्थिति होगी उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है रामेश्वर दयाल जी, मंत्री जी कहते हैं कि इस बारे में एग्जामिन करवा लेते हैं।

श्री रामेश्वर दयाल राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने धारूहेड़ा ब्लॉक को सब तहसील बनाया है जबकि खोल तो बहुत पुराना ब्लॉक है और खोल ब्लॉक के साथ 20 किलोमीटर तक के गाँव जुड़े हैं जबकि धारूहेड़ा जोकि रेवाड़ी से 15 किलोमीटर दूर है। बावल हल्का क्योंकि रिजर्व हल्का है इसलिए कोई नहीं चाहता कि उस हल्के में डिवलैपमैंट हो।

श्री अध्यक्ष : रामेश्वर दयाल जी, आप इस बारे में लिखकर भिजवा दें। मंत्री जी ने कहा कि इस बारे में एग्जामिन करवायेंगे।

श्री रामेश्वर दयाल राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले तीन सत्र से लगातार यह सवाल उठा रहा हूं और मैंने पहले भी इस बारे में लिखकर भेजा है।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि इनके हल्के की अनदेखी की जा रही है। सरकार की ऐसी सोच नहीं है। हरियाणा में क्षेत्रफल और आबादी के लिहाज से देखें तो 2005 से 2011-12 तक बहुत सी नई सब तहसीलें, तहसीलें और सब डिवीजंस क्रिएट किए गए हैं। जहां-जहां आवश्यकता होती है मुख्यमंत्री जी उसको एग्जामिन करवाते हैं और उसको बनाने के लिए देर नहीं करते लेकिन इस तरह की कोई डिमांड हमारे पास नहीं हैं। अगर ऐसी डिमांड है तो ये लिखकर भेज दें और इस बारे एग्जामिन किया जा सकता है। हमें अभी तक इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई।

श्री रामेश्वर दयाल राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन बार यह प्रश्न दिया है लेकिन अभी तक इस पर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने आपको आश्वासन दे दिया है कि आप इस बारे में लिखकर दे दें।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्मानित मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी फरीदाबाद के तिगांव और मोहना को मुख्यमंत्री ने सब तहसील घोषित किया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं लेकिन इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता

हूं कि क्या सब तहसील बनाते समय और दूसरे गांवों को उसमें सम्मलित करते समय भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखा गया है क्योंकि यह सुविधा मिलने के कारण अनेक गांवों को असुविधा हो गई है। वे गांव जो इससे आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर या दो किलोमीटर की दूरी हैं क्या उन गांवों को भी इस सब तहसील से जोड़ने बारे विचार किया जाएगा?

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, तिगांव और मोहना गांव के लोगों की बहुत लम्बे समय से सब तहसील की मांग थी। बल्लभगढ़, फरीदाबाद और पलवल के एरियाज का इंडस्ट्रियल और रैजीडैंशियल दृष्टि से काफी तेजी से विस्तार हुआ है। किसान की आवश्यकता को देखते हुए उस मांग को मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत पूरा किया। जहां तक माननीय साथी कृष्ण पाल गुर्जर जी ने कहा है कि इससे कई गांवों को असुविधा हो गई है लेकिन हमें किसी गांव की तरफ से इस बारे में कोई शिकायत नहीं आई है। अगर कहीं पर ऐसी कोई अनियमितता पाई जाती है और वहां के लोग यह चाहते हैं कि उनके गांवों को इससे जोड़ा जाए तो इस पर विचार करने में कोई बुराई नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृष्ण पाल जी, आप इस बारे में लिखकर दे दें।

श्री कृष्ण पाल गुर्जर : हमने तो इस बारे में लिखकर दिया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लोग मिले भी हैं और कई गांवों की पंचायतों ने इस बारे में रैजोल्यूशंज भी दिए हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, कृष्ण पाल गुर्जर जी ने जो बात कही है वह मामला अंडर कंसीड्रेशन है।

श्री अनिल धन्तोहड़ी : अध्यक्ष महोदय, रामेश्वर दयाल जी ने कहा है कि उनकी कांस्टीच्यूंसी रिजर्व कांस्टीच्यूंसी है इसलिए उनकी कांस्टीच्यूंसी को सब डिवीजन नहीं बनाया जा रहा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय पूरे हरियाणा में कोई भेदभाव नहीं करते और इसका जीता जागता उदाहरण है कि शाहबाद कांस्टीच्यूंसी भी रिजर्व कांस्टीच्यूंसी है और उसको भी मुख्यमंत्री महोदय ने सब डिवीजन बनाया है। खरखौदा को सब डिवीजन बनाया गया है। बरवाला हल्का जहां से राम निवास घोड़ेला जी विधायक हैं। यह बैकवर्ड इलाका है उसको भी सब डिवीजन बनाया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

Construction of Road

* **848. Shri Hari Chand Middha** : Will the Agriculture Minister be pleased to State—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct road connecting villages Raichandwala, Sarede and Dathrath in Jind District during the current financial year i.e. 2011-12; and

(b) if so, the time by which the work on the aforesaid road is likely to be started and completed?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) :

(क) जी हाँ श्रीमान।

(ख) पूर्वोक्त सड़क पर कार्य 20.01.2012 को शुरू कर दिया गया है जो 31.08.2012 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

डॉ० हरीचंद मिढा : अध्यक्ष महोदय, कहने को तो कई बार कहते हैं लेकिन सड़क बनती नहीं है। बार-बार कहने के बाद भी नहीं बनती। इन्होंने जींद को तो हरियाणा के नक्शे से निकाल दिया है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी ने ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस आश्वासन दे दिया है अब यह सड़क बन जायेगी।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह नई सड़क बनाने की बात है। ये लोग नई सड़क तो क्या बनवायेंगे पूरे प्रदेश में मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें पहले से बनी हुई हैं वे टूट गई हैं उनकी रिपेयर भी नहीं करवाई जा रही। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माजरा जी, आप सवाल पूछें।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें पूरे प्रदेश में टूटी हुई हैं क्या उनकी रिपेयर करवाई जायेगी। (विघ्न)

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि सदन में जो आश्वासन दिया जाता है वह काम हो जाता है और मिढा साहब के यहां कि सड़क बनेगी क्योंकि इस बारे में मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सड़क के बारे में इसी सदन में चार-चार बार सवाल लोक निर्माण मंत्री श्री सुरजेवाला जी से पूछा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 31 दिसम्बर तक वह सड़क बन जायेगी लेकिन वह सड़क आज तक नहीं बनी है। एक बार नहीं मंत्री जी ने चार बार आश्वासन दिया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और आज तक वह सड़क नहीं बनी है। अध्यक्ष महोदय, क्या इस तरह के झूठे आश्वासन सदन में दिए जाते हैं।

श्री पृथी सिंह नम्बरदार : अध्यक्ष महोदय, नरवाना और टोहाना में सारी सड़कें टूटी हुई हैं लेकिन उनकी रिपेयर नहीं करवाई गई है। (विघ्न) नरवाना-टोहाना मेन रोड़ भी टूटा हुआ है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि सदन में जब मुख्यमंत्री या मंत्री खड़े होकर कोई आश्वासन देते हैं तो यह समझा जाये वह काम हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आज से दो वर्ष पहले जब ऐलनाबाद का बाई इलैक्शन था उसमें आप भी गये हुए थे, मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्री और उनकी सरकार के सारे विधायक भी वहां गये हुए थे। वहां माधव-सिंघाना गांव में मुख्यमंत्री जी ने चौक पर बैठकर भरी पंचायत में यह बात कही थी कि वे इस सड़क को बहुत जल्दी बनवा देंगे। दो वर्ष हो गये आज तक वहां रोड़े भी नहीं डाले गये हैं। मुख्यमंत्री जी उस सड़क का नामकरण भी कर आये और उस पर टोल लेना भी शुरू कर दिया लेकिन वहां काम नहीं हुआ। इससे शर्म की क्या बात होगी?

श्री अध्यक्ष : यह तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से रिलेटिड सवाल ही नहीं है।

Construction of Dadupur Nalvi Canal

***857. Shri Bishan Lal Saini :** Will the Irrigation Minister be pleased to state the time by which the construction work of Dadupur Nalvi Canal is likely to be completed togetherwith the number of phases in which the aforesaid canal is likely to be constructed?

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Speaker Sir, this project comprises of three phases. First phase stands completed except a bridge on Railway line. Second phase is presently under execution and is likely to get completed during 2012-13.

श्री बिशन लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा पहले सवाल यह है कि पिछले बजट भाषण में भी यह कहा गया था कि इस नहर के निर्माण कार्य का पहला चरण पूरा हो गया है और दूसरे चरण पर काम चल रहा है, जल्दी पूरा हो जायेगा। एक साल हो गया और कल महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में फिर उसी बात को दोहराया है कि पहला चरण पूरा हो गया है और दूसरे चरण पर काम चल रहा है, जल्दी पूरा हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस नहर के निर्माण कार्य के दूसरे चरण पर इस एक साल के अर्से में कितना पैसा खर्च किया गया है और क्या-क्या कार्य किया गया है? (विघ्न)

Sardar Harmohinder Singh Chattha : Sir, cost of the 1st phase is Rs. 151 crores and 87 lac and the cost of 2nd phase is Rs. 530 crores. Ultimately, the cost in the 3rd phase is Rs. 62 crores and 38 lacs.

वॉक-आउट

श्री बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, इस बारे में मेरी दूसरी सप्लीमेंट्री यह है कि इस नहर से जो मिट्टी निकाली गई थी वह मिट्टी किनारों के पास नहीं है वह मिट्टी कहां गई। क्या मंत्री जी इस बारे में बतायेंगे?

Mr. Speaker : No. Mr. Saini please take your seat. Now, next question please. (Interruption)

श्री बिशन लाल सैनी : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी द्वारा दिये गये जवाब से संतुष्ट नहीं हूं इसलिए मैं इसके विरोध में हाउस से वॉक-आउट करता हूं।

(इस समय इण्डियन नेशनल लोकदल के सदस्य श्री बिशन लाल सैनी वित्त मंत्री के जवाब से संतुष्ट न होने के कारण सदन से वॉक-आउट कर गये।)

Mr. Speaker : Next question. Mr. Parminder Singh Dhull please put your question.

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, the difficulty is that they neither have a sense of question hour nor have any knowldege of how to ask a question. Sir, you have only asked a query from a member, the question is already over. You have called the next question. I do not know why such a simple think is not being understood by my learned friends.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)

Repair of Roads

***853. Sh Parminder Singh Dhull :** Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following damaged link roads of Julana Constituency:-

(i) Garhwali to Kheranti;

(ii) Kinana to Kheranti;

(iii) Garhwali to Jhamola;

(iv) Igra to Bura-Dehar via Buwana;

(v) Julana to Shamlo Kalan via Karsola, Ram Kali;

(vi) Julana to Malwi;

(vii) Pathri (Lakhmirwala) to Siwaha via Sundarpur; and

(viii) Anoopgarh to Shamlo Kalan?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, road-wise reply is as under :-

Sr. No.	Name of road	Stretch	Ownership	Length (in km.)	Conditon of road	Status of proposal
(i)	Garhwali to Kheranti	Part of Jai Jaiwanti Kheranti road	PWD(B&R)	2.50	Not good	No proposal. However, it will be repaired by doing normal patch work by 31.03.2012.
(ii)	Kinana to Kheranti	Kinana to Buwana	PWD(B&R)	6.08	Satisfactory	No proposal. However, it is being maintained by normal patch work.
		Buwana to Kheranti	HSAMB	3.10	Good	—
(iii)	Garhwali to Jhamola	Garhwali to Khera Bhagta	PWD(B&R)	0.60	Satisfactory	No proposal. However, it is being maintained by normal patch work.
		Garhwali to Jhamola	HSAMB	2.74	Not good	Approved under work plan of 2011-12 with an estimate of Rs. 28 lacs and likely to be repaired by 31.03.2013.
(iv)	Igra to Bura-Dehar Buwana	Igra to Buwana	PWD(B&R)	6.12	Staisfactory	No proposal. However, it is being maintained by normal patch work.
		Buwana to Bura-Dehar	PWD(B&R)	3.70	-do-	-do-

(v) Julana to Shamlo Kalan via Karsola, Ram Kali	Julana to Karsola Mor	PWD(B&R)	1.60	Good	—
	Karsola Mor to village Karsola	PWD(B&R)	1.15	Satisfactory except 30m stretch where street water stagnate	No proposal. However, it is being maintained by normal patch work.
	Karsola to Ramkali	HSAMB	6.89	Not Good	Approved under work plan of 2011-12 with an estimate of Rs. 51.45 lacs and likely to be repaired by 31.03.2013.
	Shamlo Kalan to Ram Kali	PWD(B&R)	2.85	Satisfactory	No proposal. However, it is being maintained by normal patch wrok.
(vi) Julana to Malwi	Julana to Malwi	PWD(B&R)	6.00	-do-	-do-
(vii) Pathri (Lakhmir-wala) to Siwaha via Sundarpur	Pathri (Lakhmir-wala) to Siwaha via Sundarpur	HSAMB	3.55	Not Good	Approved under work plan of 2011-12 with an estimate of Rs.15.40 lacs and likely to be repaired by 31.03.2013.
(viii) Anoopgarh to Shamlo Kalan	Anoopgarh to Shamlo Kalan	PWD(B&R)	8.95	Satisfactory	No proposal. However, it is being maintained by normal patch work.

Sir, road-wise reply is as under:-

First road is Garhwali to Kheranti. It is a mix road of P. W.D. (B&R) and Marketing Board. So, I am answering them separately. The length of this road is 2.50 kilometers. The current condition, according to us, is not good. It is being repaired for the time being by doing normal patch work by 31.3.2012. It is only in the year beginning April that we shall in the next budget after a month and a half that we shall take it up for construction.

As far as No. 2 Kinana to Kheranti road is concerned, Kinana to Buwana is a stretch which is P.W.D.(B&R) road and Buwana to Kheranti is a HSAMB road. The length of Kinana to Buwana road is 6.08 kilometres and the current condition of this road is satisfactory and there is no further proposal to reconstruct it. It is being maintained by normal patch work. As far as Buwana to Kheranti road is concerned, it is a road of 3.10 kilometres. We had sought a report from the HSAMB since there was a consolidated reply and on they have reported the current condition of the road is good. Sir, the third road my learned friend is asking is Garhwali to Jhamola. (Interruption)

Either we should amend the rules and the Minister should not read the reply.

Mr. Speaker : You may please continue.

Shri Randeep Singh Surjewala : Garhwali to Jhamola is also a mixed road of P.W.D.(B&R) and Marketing Board. Garhwali to Khera Bhagta is a P.W.D. (B&R) road. The length is only 0.60 kilometre and according to us, the condition of this road is satisfactory. There is no proposal except for maintaining by normal patch work. Out of this Garhwali to Jhamola is a Marketing Board road which my learned friend has mentioned. It is 2.74 kilometres road. The current condition of this road is not good. Marketing Board has approved under work plan of 2011-12 with an estimate of Rs. 28 lacs and likely to be repaired by 31.3.2013.

As far as road from Igra to Bura Dehar via Buwana is concerned, Igra to Buwana is a P.W.D.(B&R) road which is 6.12 kilometres. The current condition of this road is satisfactory and there is no further proposal to reconstruct it and it is being maintained by normal patch work. As far as Buwana to Bura-Dehar road is concerned. It is P.W.D.(B&R) road. 3.70 kilometres is its length and the current condition of the road is satisfactory and there is no proposal to reeconstruct it. It is being maintained by normal patch work.

Next road was my learned friend has asked is Julana to Shamlo Kalan via Karsola, Ram Kali. Sir, it is a mix road of P.W.D. (B&R) and Marketing Board. As far as Julana to Karsola Mor road is concerned, it is P.W.D.(B&R) road. The length is 1.60 kilometre and the condition at present is good and there is no proposal to further re-construct the road. As far as Karsola Mor to village Karsola road is concerned, it is again P.W.D.(B&R) road. The length is 1.15 kilometre. The condition of the road is satisfactory except for 30 metres stretch where street water stagnate. And in the next year we shall be taking up 30 metre stretch immediately in April itself for correcting this 30 metres otherwise for the entire stretch there is no proposal to reconstruct it and it is being maintained by normal patch work. As far as Shamlo Kalan to Ram Kali Road is concerned, this is a Marketing Board road and the length is 6.89 kilometres. According to us, the current condition is not good. It has also been approved under the work plan of 2011 -12 within an estimate of Rs. 51.54 lacs and this road is likely to be repaired by 31.3.2013. And the next road is Shamlo Kalan to Ram Kali. It is a P.W.D.(B&R) road. The length is 2.85 kilometres. According to us, the current condition is satisfactory. There is no proposal to further reconstruct and it is being maintained by normal patch work.

The next road is Julana to Malwi. It is a P.W.D.(B&R) road. The length of this road is 6 kilometres. The condition of the road, according to us, is satisfactory. It is being maintained by normal patch work and there is no proposal to re-construct it. For the seventh road my learned friend has asked is ... (interruption)

Mr. Speaker : Hon'ble Minister is replying. (Interruption).

Shri Randeep Singh Surjewala : Why should he ask such a lengthy question? (Interruption) There are eight questions in one question.

Mr. Speaker : Question is so lengthy. सवाल में आठ सवाल हैं। (Interruption)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I am able to speak if they let me speak. When they finish then I can start. (Interruption).

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, ये इस तरह से ही पढ़े जा रहे हैं।

Mr. Speaker : You cannot speak like this. Mr. Arora what do you mean by this? Is it the way that you spoke "बोले ही जा रहा है"? क्या मतबल हुआ इस बात का ? आप पढ़े लिखे आदमी हैं कम से कम आपको तो ऐसे नहीं करना चाहिए।

Shri Anil Vij : Sir, he is wasting the time of the House.

Mr. Speaker : What do you mean by wasting of time? ऐसे नहीं कहना चाहिए ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। Why he asked so much lengthy question? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अशोक अरोड़ा जी आप चार बार एल.एल.ए. बनकर आये हैं किसी मिनिस्टर के लिये ये शब्द कहना कि पढ़े ही जा रहे हैं ये कोई तरीका नहीं है। एक मंत्री जवाब दे रहे हैं और आप बार-बार उनके लिए अशोभनीय शब्द कह रहे हैं। 'ये पढ़े ही जा रहा है', का आप प्रयोग कर रहे हैं। क्या यह इस सदन की गरिमा के अनुकूल है? Do you approve of this? आप पार्टी प्रेजीडेंट हैं इसलिए ऐसे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग आपको शोभा नहीं देता। This is not the way. कल आप भी यहां थे इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए।

श्री नरेश कुमार वादली : अध्यक्ष जी, जिस भाई का प्रश्न है वो संतुष्ट है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. Hon'ble Members, now Question Hour is over.

नियम 45(i) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Incident of Bus Accident

***822 Shri Anil Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) whether any enquiry has been ordered into the Saha (Ambala) School Bus Incident in which 13 children have died in the month of January, 2012; and

(b) if so, whether any report has come togetherwith the details of the findings alongwith the action taken against the guilty?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : (क एवं ख) हाँ, श्रीमान जी। एक न्यायिक जाँच श्री एम.के. आहुआ, एच.सी.एच., एस.डी.एस., अम्बाला द्वारा की जा रही है। जाँच रिपोर्ट आने पर तथा उसका पूर्ण परीक्षण करने उपरान्त सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जाएगी।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	जींद	417.50	09.11.10	417.50	24.03.11	835.00	835.00	21/04/11
9	कैथल	349.10	09.11.10	349.10	24.02.11	698.20	698.20	18/01/11 तथा 26/04/11
10	करनाल	472.60	03.12.10	472.60	24.03.11	945.20	945.20	13/05/11
11	कुरूक्षेत्र	340.20	03.12.10	340.20	24.03.11	680.40	680.40	31/03/11
12	महेन्द्रगढ़	313.50	09.11.10	313.50	24.02.11	627.00	627.00	03/03/11 तथा 30/03/11
13	मेवात	309.60	10.12.10	309.60	24.02.11	619.20	619.20	10/3/2011
14	पलवल	304.90	09.11.10	304.90	24.02.11	609.80	609.80	30/03/11
15	पंचकूला	0.00	--	353.30	24.03.11	353.30	353.30	21/07/11
16	पानीपत	291.70	03.12.10	291.70	24.03.11	583.40	583.40	16/05/11
17	रिवाड़ी	314.45	21.09.10	314.45	24.03.11	628.90	628.90	18/04/11 तथा 11/05/11
18	रोहतक	287.45	09.11.10	287.45	24.02.11	574.90	573.75	22/12/10 तथा 28/03/11
19	सिरसा	435.55	21.09.10	435.55	24.02.11	871.00	871.00	28/10/11 तथा 11/04/11
20	सोनीपत	0.00	--	850.00	24.03.11	850.00	–	–
21	यमुनानगर	472.20	09.11.10	472.20	24.03.11	944.40	944.40	31/03/11
	कुल	**6720.65**		**8492.35**		**15213.00**	**14361.59**	

वर्ष 2011-12 (रु० लाखों में)

क्रम सं०	जिले का नाम	राज्य सरकार द्वारा जारी की गई राशि		जिला योजना समिति द्वारा क्रियान्वत एजेन्सीयों को जारी की गई राशि	
		राशि	दिनाँक	राशि	दिनाँक
1	2	3	4	5	6
1	अम्बाला	1040.60	17-10-11	--	--
2	भिवानी	1491.27	17-10-11	1502.29	8/2/2012
3	फरीदाबाद	1646.75	17-10-11	1646.75	1/2/2011
4	फतेहाबाद	861.86	17-10-11	--	--
5	गुड़गांव	1385.98	17-10-11	--	--
6	हिसार	1595.36	17-10-11	--	--
7	झज्जर	875.95	17-10-11	875.95	11/2/2012
8	जींद	1219.34	17-10-11	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	कैथल	982.09		17-10-11			--	--
10	करनाल	1378.88		17-10-11			--	--
11	कुरूक्षेत्र	882.65		17-10-11			--	--
12	महेन्द्रगढ़	843.70		17-10-11			843.7	18/01/12
13	मेवात	997.23		17-10-11			--	--
14	पलवल	952.46		17-10-11			--	--
15	पंचकूला	511.60		17-10-11			--	--
16	पानीपत	1011.04		17-10-11			--	--
17	रिवाड़ी	820.31		17-10-11			--	--
18	रोहतक	969.11		17-10-11			966.21	9/1/2012
19	सिरसा	1185.54		17-10-11			1185.54	30/12/11 & 03/01/12
20	सोनीपत	0.00		--			--	--
21	यमुनानगर	1111.43		17-10-11			--	--
	कुल	21853.15					7020.44	

DETAILED GUIDELINES FOR DISTRICT PLAN

1. Introduction

The integrated local area plans, based on specific needs of each area, was stressed from the beginning of plan development process in 1950s. However, despite several reports and studies, there were only sporadic efforts and isolated cases of such planning. The 74th Constitutional Amendment Act mandated the establishment of the District Planning Committee (DPC) for consolidating plans prepared by Panchayats and Municipalities in the district into the Draft District Plan. In conformity with Article 243ZD, most of the districts have enacted legislation for the constitution of the DPCs. The Planning Commission issued its detailed guidelines for District Plan in the Eleventh Five Year Plan through its circular dated 25.8.2006.

As a matter of policy, the district planning set-up in each district should be equipped with its own technically qualified and skilled personnel to meet the functional requirements referred above.

The Planning Commission, Government of India has elaborated detailed picture of District Planning through their publication "Manual for integrated District Planning". This manual will provide guidance in the task of preparing

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

District Plans that are based on a long-term vision, reflect the needs of the people, and provide a framework for convergence of programmes and resources, so that implementation of the plan yields optimal outcomes and helps address regional imbalances, with a view of bringing all areas of the country into a 21st century vision of development.

It has been decided by the Planning Commission, Government of India that the 'District Plan Process' should be an integral part of the process of preparation of State's Eleventh Five Year Plan (2007-2012) and the Annual Plans.

2. Preparation of District Plan

In preparing the draft development plan, the District Planning Committee is required to consider matters of common interest between Panchayats and Municipalities

The Planning Commission, Government of India has been persistently stressing for formulation of District Plan in the States since long. An important step in the preparation of District Plan is to ensure that each Panchayat/Village and Municipality is treated as a Planning Unit and the District Plan is prepared through consolidation and integration of these plans with the State Plan.

District Planning is the process of preparing an integrated plan for the local government sector in a district taking into account the resources available (natural, human and financial) and covering the schemes assigned at the district level and implemented through local governments in a State. Thus, the District Plan Document that embodies the statement of resources and their allocation for various purposes is known as the District Plan. It would essentially have three aspects namely:

(a) Plan to be prepared by the Rural Local Bodies for the activities assigned to them in view of national/State schemes implemented by them with their own resources and other Government funds earmarked for these purposes.

(b) Plan to be prepared by the Urban Local Bodies for the activities assigned to them in view of national/State schemes implemented by them with their own resources and other Government funds earmarked for these purposes.

(c) Physical integration of the plans of Rural and Urban Local Bodies with the elements of the State Plan that are physically implemented within the geographical confines of the district.

All the three aspects would be considered and consolidated by the District Planning Committee (DPC) into a District Plan.

An integrated district planning exercise would link plans of local governments and other planning units and would provide a platform for mutual

consultation and negotiations between them. It would also provide the frame-work for integrating the sectoral and spatial aspects of urban and rural plans.

3. District Planning Committee

District Planning Committee (DPC), has been constituted in each district in accordance with the directions contained in Haryana, Local Government Department notification dated 5th August, 1997. The District Planning Committee (DPC) must keep the following points in mind while approving works/projects under District Plan:-

3.1 The DPC will work strictly as per the instructions contained in the notification and will follow guidelines on the subject matter issued by the State Government. Necessary amendments in the guidelines, as necessitated from time to time by the State Government may follow suit for the betterment of the scheme.

3.2. DPC should meet for the transaction of business including the activities listed in Annexure - I at least once in every quarter.

3.3. A meeting with the executing agencies alongwith members of DPC, if available, may be convened in the month of December every year by ADC-cum-CPDO, who is also Member Secretary of DPC, before preparing the draft of District Plan for the next financial year after examining all the proposals in the light of guidelines. After the meeting, the proposals will be reframed in the form of draft District Plan Document and will be placed before the DPC for its approval. A copy of the approved District Plan be sent to Director, Economic & Statistical Analysis Department, Haryana within seven days after convening the meeting of DPC to see if the works approved by DPC are in accordance with the guidelines or not. DC-cum-Chairman/ ADC-cum-CPDO & Member Secretary should sign each page of the minutes of DPC meeting in which District Plan is approved.

3.4. The Deputy Commissioners, being Chairpersons of DPCs, should ensure that the works proposals, being placed before DPC for approval, have been thoroughly examined in the light of DP guidelines. Therefore, DP guidelines should be strictly followed for approving works under DP scheme. If any work is to be taken-up on priority basis and that too is found beyond the scope of guidelines, the same should be got executed either through another scheme in a district or through departmental funds of the concerned department. The works beyond the scope of guidelines should not be forced to be approved through DPC under any circumstances.

3.5. The approved works found beyond the guidelines would be viewed seriously. The concerned officer will be held responsible/accountable where it happened and action may be initiated against him/her/them by the Government. Such works will have to be dropped and the same will be replaced with other permissible works.

3.6. The DPC is empowered to approve the schemes under District Plan. However, DPC can constitute sub-committees to facilitate discharge of its functions. Under any circumstances, DPC can't delegate its powers to such sub-committees.

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

3.7 The replacement/changes in schemes should be avoided once District Plan is approved by DPC except extreme & unavoidable circumstances where there is either site dispute or court case or work already approved/executed from other scheme. Change of complete plan or majority of works is completely prohibited.

3.8. A quorum of one-third of total members of DPC must be ensured in the meeting for transaction of business.

3.9. DPC should review the progress of works/schemes under District Plan in the quarterly meeting. The Director, Economic & Statistical Analysis Department, Haryana or representative of Director, Economic & Statistical Analysis Department, Haryana (Planning Department) may be requested to attend the meeting as special invitee. Copy of the minutes of quarterly meeting may be sent to the Secretary, Planning Department, Government of Haryana/OSD State Planning Board.

4. Features and Implementation of District Plan Scheme

The District Plan should be based on realistic assessment of the ground realities, potentials, problems and local needs of the people in the respective district. The genuine requirement of works with regard to locally felt needs in view of their urgency/priority should be kept in view. In each district, the different departments should work out the inventory of infrastructure available at village/block/district level in rural and urban areas. The draft plan proposals should be specifically infrastructural development oriented.

4.1 All the work proposals should be examined and placed before DPC for approval strictly in accordance with the guidelines. All the instructions/guidelines issued earlier should be considered as null and void. This present set of guidelines contain final decisions of the Government and these have been necessitated after thorough examination and experiences of the past. Therefore, these guidelines should be followed in true spirit and heart while preparing District Plan of a particular financial year.

4.2. The DPC will consolidate the two streams - the Panchayat Plans and the Urban Area Plans, integrate them with the Departmental Plans for the district and prepare the draft Five Year District Plan and the Annual District Plan.

4.3. The District Plan so formulated by each & every department at district level should also be approved by their respective Heads/ Administrative Secretaries.

4.4. The draft plan preparation should start at the Gram Sabha level. The Gram Panchayat will intimate the projects/activities with priorities which can be implemented at the Gram Panchayat level. Those projects/activities which can be implemented in more than one Gram Panchayat should be forwarded to the Panchayat Samiti. Those projects/activities which need to be implemented

in more than one Panchayat Samiti will be forwarded to the Zila Parishad for inclusion into the "District Plan" and the DPC shall finalize the District Plan for the District.

4.5. The Gram Panchayat Plans should also provide an estimate of the community contribution that can be mobilized for the purpose of implementing the development plan.

4.6. While preparing the draft plan, the concerned Local Government will take into account the district component of the departmental plans and also the centrally-sponsored schemes & externally aided projects that have been assigned to it for implementation. The physical integration with the elements of the State Plan that are being implemented in the district would need to be given close attention. The resources and outlays in respect of these items of State Plan located in the district (but not implemented through the local bodies) would not, however, be included in the plan resources and outlays of the Local Bodies.

4.7. Urban Local Government will intimate the projects/activities with priorities which can be implemented at the Municipal Committee level. The projects/ activities which can be implemented in more than one Municipal Committee should be forwarded to the DPC for inclusion into the District Plan.

4.8. The draft plan proposals of each local government should also incorporate Centrally-Sponsored Schemes and other programmes (wherever applicable) such as Bharat Nirman, SSA, Rural Health Misson, JHHURM etc.

4.9. The approved Departmental District Plans will be submitted to the Chief Planning & Development Officer (CPDO) who will also ascertain the availability of infrastructure and gaps at different levels. Thereafter, CPDO will consolidate the plans to be integrated with the District Plan.

4.10. The preparation of District Plan will be an annual feature. The time limit for different activities in preparing the District Plan should be strictly followed as indicated in the Activity Chart of District Development Plan at Annexure-I.

4.11. The sectors and works which are permissible under District Plan Scheme can be seen at Annexure II. The works which are not permissible under the guidelines can be seen at Annexure -III. However, the State Government will decide the ceiling of funds (percentage-wise) every year to be spent under different sectors keeping in view the priorities of the Govt. so that all the important sectors should get due representation. Such a bifurcation/ ceiling of funds under different sectors will be communicated to all the districts at the time of releasing the funds during that financial year.

4.12. Priority may be given to the development schemes/works in undeveloped/ backward areas/regions of the district.

4.13. Schemes/works can either be new or extension of ongoing schemes if necessary, for quick flow of benefits to the people.

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

4.14. The works approved by DPC should be completed within one year from the date of release of funds. The development schemes/ works may be classified in order of priority depending upon their urgency and importance vis-a-vis the availability of funds so that such schemes could be taken up/ completed in the same year.

4.15. It should be ensured before approving any development work by DPC that there is no site dispute or Court Case etc. relating to that work. Any proposed work having dispute or court case should be avoided under District Plan Scheme.

4.16. The executing agencies should not claim any centage charges such as departmental charges, contingency charges, supervision charges etc. because considerable amount is spent on this account and many works can be taken up with this amount. Even centage charges have been prohibited under MPLADS which is a Government of India sponsored scheme whereas District Plan Scheme is 100% State sponsored Scheme.

5. Other Sources of funds under District Plan

There are several schemes being implemented at the district level which are funded from different sources. The overall District Plan should indicate the resources that would broadly be available from various funding agencies. Some of the schemes funded by resources other than the District Plan are:

(i) Red Cross Fund, Panchayati Raj Institute fund, etc. may be kept under the own resources for development category.

(ii) Grant-in-aid for specific development purpose from the State Finance Commission, Bharat Nirman etc.

(iii) Twelfth Finance Commission grants passed by State Government.

(iv) Untied grants for local planning.

(v) Grants/funds in respect of Centrally Sponsored Schemes including poverty alleviation, elementary education, rural health coverage etc. which are completely or partially funded by the Government of India such as Swaran Jayanti Gramin Swarojgar Yojana (SGSY), Swaran Jayanti Shahri Rojgar Yojana (SJSRY), Indira Awas Yojana (IAY) etc.

(vi) Grants/funds for State Plan schemes assigned for implementation through Local Governments.

(vii) Grants/funds for externally assisted schemes assigned for implementation through Local Governments like Command Area Development Agency, Sarva Sikshya Abhiyan etc.

(viii) Estimated contribution by the communities themselves.

(ix) Schemes to provide electricity facility, anganwari centres, drinking water facilities, establishment of IT centres in villages, up-gradation of health facilities, EDUSET connectivity system in elementary schools etc. are being covered under Backward Regions Grant Fund (BRGF) in Sirsa District.

(x) Grants/funds received from different development institutions in the State like Scheduled Caste Commission, Women's Commission etc.

(xi) Haryana Rural Development Funds (HRDF) received from the State Government which is being utilized for the development work for street, ponds retaining wall, school building etc. in rural areas.

6. Financial Management

6.1. The detailed estimates of the proposed schemes may be obtained in advance from executing agencies and the same may be examined by the CPDO in the context of priorities and funds available. This exercise may be completed well in advance before submitting the proposals for the approval of DPC.

6.2. The District Plan budget should be distinguished from the budget/fund received from other sources. Therefore, detailed schemes funded by other sources should be indicated under separate sub-head and the schemes funded under District Plan Scheme under another sub-head. In this way, the resource-wise availability of funds will help in making plans more appropriate and rationale by avoiding duplicacy of funds. It should reveal a consolidated picture of the development plan of a district.

6.3. The ADC-cum-CPDO or CEO-cum-CPDO will be the Drawing and Disbursing Officers for drawl of funds allocated to districts under District Plan.

6.4 District Plan funds may be deposited in Savings Bank Account of CPDO in a Nationalized Bank or the Banks notified by Govt. for this purpose. In this regard, a list of banks has already been circulated to all the districts *vide* letter No. DESA9DP)-2009/25410 dated 25.08.2009.

6.5. Separate bank accounts may be opened for Scheduled Castes Sub Plan (SCSP), General component and contingency for making the funds non-divertible.

6.6. Joint bank Account of all the executing agencies (to whom DP funds released for executing works) should be opened with ADC-cum-CPDO with a view to keep a close watch on the progress/quality of works.

6.7 The interest amount accrued on the District Plan fund and the unspent balance returned by the executing agencies will be carried forward to the next financial year. This amount will be added in the total allocation of next year's District Plan. It must be ensured that executing agencies must send interest amount to ADC-cum-CPDO on a quarterly basis.

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

6.8. Funds should be released-spent only on the schemes approved by DPC. Ex-Post-facto sanction will not be accorded for any scheme in any case which has not been approved by the DPC. In case, any work is required to be replaced in exceptional cases, approval of the same should be obtained from Planning Department by referring the matter to Director, Economic & Statistical Analysis Department, Haryana with full justification. After ensuring full justification of the case, DESA will recommend the same for approval of Secretary, Planning Department.

6.9. The funds allocated amongst districts under District Plan Scheme will be in the form of Grant-in-aid. The bills for drawing the amount will be countersigned by Director, Department of Economic & Statistical Analysis, Haryana before presenting it to the Treasury Officers of respective districts.

6.10 Earlier, the cost of single project/work was limited upto Rs.15.00 lakh. Now, this limit is increased upto Rs. 25.00 lakh for single project/work. While approving such a big project/work, it must be ensured that sizeble population of the area should get benefit from the project/work.

6.11. The funds should be released directly to the executing agencies only. For example, the funds for the executing the work of construction of bus queue shelter should be released either to BDPO or XEN(PR) etc. but not to GM, Roadways.

6.12 The repair cost of a single work/scheme should not exceed Rs. 3.00 lakh and the total expenditure on repair works under all sectors is restricted upto 10% of the total allocation of the district under District Plan. **Annexure-III** of the present guidelines must be kept in view for approving any repair work.

7. Contingency Expenses

7.1. A maximum of 0.20 percent of the annual allocation of funds can be utilized to meet out the expenses for contingency purpose in the formulation and proper implementation of District Plan by CPDO office.

7.2. This contingency amount can be utilized on purchase of stationery, postal charges and FAX charges etc. However, expenditure on payment of Data Entry Operator, computer chair/table, steel almirah and racks, Cabin partition in District Planning Unit office, and broad-band internet connection required in District Planning Unit Office can be incurred with the prior approval of Director, Economic and Statistical Analysis, Haryana by following instructions issued by Haryana Government from time to time in this regard.

7.3. The CPDO can make payment upto Rs. 4000/- per meeting at his own level (once in three months) for meeting arrangements in respect of District Plan Scheme without obtaining the approval of Director, Economic & Statistical Analysis, Haryana.

7.4. As regards the matter of purchase of computer and furniture, there is a blanket ban imposed by the State Govt. However, certain necessary furniture

items such as steel almirah, steel racks and computer table/chair can be purchased upto ₹ 15000/- and that too, once in five years. This relaxation for furniture items has been necessitated in view of paucity of these items in planning offices.

7.5. The State Government has decided that the payment of telephone bills of the telephone installed in all the District Planning unit offices in the State should only be made out of District Plan Contingency. There is no need to seek prior approval of Director for making the payment of telephone bills for the telephone installed in District Planning unit office. It should be ensured that under no circumstances, the expenditure of District Plan Contingency should not exceed 0.20% of the annual allocation of District Plan funds in a year.

7.6. It has also been decided by the Govt. that any expenditure to be incurred for getting tested the sample of the material from Govt. laboratory, collected from the work site during the course of inspection by the officers of Districts as well as H.Q. (Department of Economic & Statistical Analysis, Haryana), may be met out of District Plan Contingency.

8. GENERAL

8.1. The Planning Commission, GOI has revised population norms for execution of works under SCSP Component. Now, the villages having 40% Scheduled Caste population should be covered under SCSP Component. At least 25% of the total allocated funds to the district in a year under this Scheme should be spent on the schemes/works benefiting Scheduled Castes.

8.2 Likewise, 75:25 ratio of rural/urban should be followed except Faridabad District where it is 60:40.

8.3. District Plan works should not be dovetailed with other works.

8.4. The meeting of DPC should be convened for approval of Annual Action Plan of District Plan Schemes for the entire amount allocated to the district in a year and should not be, in any case, in a phased manner. No funds should be kept as reserve fund in the District Plan.

8.5. CPDO will maintain an asset register indicating the requisite details of works both in financial and physical terms executed under District Plan Scheme.

8.6. CPDO will furnish a utilization certificate duly signed by him direct to Director, Economic & Statistical Analysis, Haryana within a period of 15 months from the release of funds stating that the amount sanctioned for particular work has actually been spent. The State Govt. may recommend disciplinary action against the defaulters if utilization certificates are not submitted within the stipulated period.

8.7. In case any doubt arises regarding the utilization of funds beyond the scope of these guidelines, the matter should be referred to the Planning Department/Director, Economic & Statistical Analysis Department, Haryana for clarification.

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

8.8 No private organization/agency should be associated in the implementation/ execution of schemes/works under this scheme. The works approved by District Planning Committee are to be got executed from Govt. Agency such as BDPOs, MCs, XEN(PR) etc. These works are not to be got executed from any private agency or Non-Govt. agency.

In addition to that, the District Administration should decide about the name of executing agency very cautiously keeping in view the nature of works. Civil works should be assigned to civil engineering department such as BDPOs, XEN(PR), MCs etc. The works pertaining to Public Health, Irrigation and Health sectors may be assigned to respective departments. The works of streetlights may be assigned to Electricity department and works relating to development of parks to Horticulture department. The works relating to development of parks have the involvement of more than one sector/agency such as earth filling by Civil Engineering Department, electrical work including fancy lights to Electricity department and beautification of park/provision of fountains & plants by Horticulture department. All such different type of works at one point should be assigned to concerned departments.

8.9 The Brick pavement/construction of street with bricks is prohibited henceforth. Only Cement Concrete streets or pavements/paver blocks for streets should be allowed and that too, after obtaining assurance from Public Health, Electricity and Telephone Departments that this pavement would not be dug for laying pipelines, wiring etc. at least in the next 5 years.

8.10. The works pertaining to construction of CC streets are being executed by different departments under different schemes. There is an ample scope of overlapping of street works. The works of streets being undertaken under DP scheme should be sanctioned by DPC very cautiously. There is a need to obtain certificate from the executing agency indicating that **"This street work was last executed in the year .... and it needs to be executed as a fresh work. This work has not been carried out under any other scheme"**. Secondly, one of the beneficiaries may be got agreed upon for using the space of wall for writing/ erecting sign board. If nobody comes forward, the work may be dropped.

8.11 Planning Officer has been made official member of DPC by the State Govt. The decision of the Govt. has already been conveyed to all the districts and the notification by Urban Local Bodies Department is being issued.

8.12 Guidelines contained in this booklet are liable to change at any time by State Govt. keeping in view the urgency to do so for the benefit of the people of Haryana and the same would be communicated to all the concerned for compliance.

9. Monitoring & Progress Report

9.1. Deputy Commissioner should review the progress of District Plan in the monthly meetings and should include this as permanent agenda of the monthly meetings. A separate meeting of DPC can also be convened for this purpose.

9.2. CPDO will monitor all the development works/ schemes/programmes regularly during the year undertaken in the District Plan approved by DPC.

9.3. The State Govt. has decided that for physical inspection/monitoring of District Plan works in their districts, the Planning Officers can hire private (Non-AC) vehicle by following Govt. procedure for this purpose. There will be a ceiling of such expenditure and it should not exceed 15% of the total contingency amount (0.2% of total allocation) in a financial year under District Plan. It may be ensured that the Planning Officers should conduct physical inspection of development works executed under District Plan Scheme at least twice in a month.

9.4. The Planning Officers, during the course of inspection of District Plan works, used to check the very existence as well as administrative aspects of District Plan works because they are not technically competent to check the quality of work. Now, the State Govt. has decided that the District Administration will provide technical expert to the Planning Officers at the time of their field inspections. If the quality of material was found sub-standard, the sample of the material may be collected from the work site and the same may be got tested from Govt. laboratory. Any expenditure to be incurred for testing the sample may be met out of District Plan Contingency.

9.5 The State Govt. has also constituted a committee of officers at the State Level for monitoring of works being executed in the State under District Plan Scheme. These officers will inspect District Plan works on random basis throughout the year in the districts assigned to them for this purpose by Director, Department of Economic & Statistical Analysis, Haryana. DESA will assess the performance of monitoring of each officer on quaterly basis and may change the officer if his performance was found "not satisfactory". These officers can also check the quality of the work by following same procedure as stated in para 9.4 above.

9.6. The Heads of Office of the respective departments in the districts/ implementing agency would also be responsible for the coordination and supervision of the works executed under this scheme. They should ensure that the works are executed as per the prescribed procedures & specifications and instructions issued by the government from time to time. The detailed estimates should be got prepared from the executing agency and submit the same to the CPDO for release of funds.

9.7. Quarterly/Annual physical and financial progress reports of the schemes/ works undertaken in the prescribed proformae should invariably be sent to the Director, Economic & Statistical Analysis Department, Haryana (Planning Department) within 15 days, preferably by sending a special messenger after the end of every quarter/year without awaiting any communication from the head office.

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

ANNEXURE - I

ACTIVITY CHART OF DISTRICT DEVELOPMENT PLAN

S.No.	Activity	Action to be taken by	Activity to be completed (by date)
1	District priorities to be finalised by District Planning Committee (DPC) for the formulation of District Plan.	CPDO/DPC	31st May.
2	Identification & finalization of Schemes/proposals at Village and Municipality level by Local Bodies /concerned department	CPDO/ Concerned Department	31st July.
3	Approval of Schemes from their respective Departments.	Concerned Department	31st August.
4	Block level consolidation of Schemes/Proposals.	Concerned Department & CPDO	15th October.
5	Preparation of draft document of District Plan at district level.	CPDO	30th November.
6	Approval of District Plan by DPC.	CPDO/DPC	31st December.
7	Submission of approved District Plan to Director, Economic & Statistical Analysis, Haryana Planning Department.	CPDO	31st January.

Note : The above activity chart indicate the sequence of activities to be initiated by ADC-cum-CPDO & Member Secretary of DPC for drafting the District Plan for the next financial year.

ANNEXURE - II

LIST OF SECTORS AND SCHEMES TO BE COVERED UNDER DISTRICT PLAN SCHEME

I. DRINKING WATER FACILITY

1. Tubè wells.
2. Water tanks.
3. Hand pumps/Submersible Pumps.
4. Piped Drinking Water Supply.

II. EDUCATION

1. Extension of Building/New Rooms/Halls etc. in Government educational institutions.
2. Other infrastructural projects such as boundary walls & parking sheds for student vehicles etc. for Govt. educational institutions.

III. ELECTRICITY FACILITY

1. Projects for lighting of public streets and places.
2. Projects of Govt. agencies for improvement of electricity distribution infrastructure within the prescribed limit of funds under District Plan.

IV. HEALTH AND FAMILY WELFARE

1. Buildings for hospitals, family welfare centres, public health care centres, ANM centres within the prescribed limit of funds under District Plan.
2. Mobile dispensaries in rural areas only.
3. Boundary walls of Hospital/PHC/CHC etc., parking shed for the vehicles of patients.

V. IRRIGATION FACILITIES

1. Construction of public irrigation facilities.
2. Construction of flood control embankments.
3. Public Lift irrigation projects.
4. Public ground water recharging facilities.
5. Other public irrigation projects.

VI. NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

1. Community Gobar-gas plants on panchayat/local bodies land only.
2. Non-conventional energy system/devices for Community use.
3. Non-conventional energy system for providing lights in Govt. Educational/Health Institutions etc.

VII. SOCIAL FACILITIES

1. Construction of community centres.
2. Construction of public libraries & reading rooms.
3. Crematoriums and structures on burial/cremation ground and boundary wall of cremation ground.
4. Construction of bus-sheds/ bus-stops for public use.
5. Buildings for cultural activities prone areas (not for individuals).

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

6. Public parks.

7. Any other infrastructural nature development work meant for the welfare of people of the area.

VIII. ROADS, PATHWAYS AND BRIDGES

1. Construction of roads, approach roads, link roads, pathways.

2. Construction of culverts and bridges.

3. Level crossing at unmanned railway crossing.

IX. SANITATION AND PUBLIC HEALTH

1. Drains and gutters for public drainage.

2. Public toilets and bathrooms.

3. Other works for sanitation and public health.

X. SPORTS

1. Buildings for sports activities within the prescribed limit of funds.

2. Buildings for physical training institutions within the prescribed limit of funds.

3. Buildings for multi-gym within the prescribed limit of funds.

4. Fixed (immovable) sports equipment within the prescribed limit of funds.

5. Construction of Stadium within the prescribed limit of funds.

6. Other public works for sports activities within the prescribed limit of funds.

XI. ANIMAL CARE

1. Building for veterinary hospitals, artificial insemination centres & breeding centres.

2. Shelters for animals.

XII. WOMEN & CHILD WELFARE SERVICES

1. Creches and Anganwadis.

XIII. HORTICULTURE

1. Development and beautification of parks by Horticulture Department.

XIV. All infrastructural nature works of other sectors meant for the welfare of the people of the area which have not been covered above.

ANNEXURE - III

LIST OF WORKS PROHIBITED UNDER DISTRICT PLAN SCHEME

1. Any type of work in Govt. office or on the land / premises of Govt. office and residential buildings belonging to Central, and State Governments, their Departments, Government Agencies/ Organizations and Public Sector Undertakings exclusively meant for the use of official purpose only.
2. Any type of work in official and residential buildings belonging to private, cooperative and commercial organizations.
3. All works involving commercial establishments/units.
4. Works within the places of religious worship and on a land belonging to or owned by religious faith/ group.
5. All maintenance works of any type.
6. All renovation, and repair works except major works of education, health, and streets.
7. Grants, loans and contribution to any Relief Funds.
8. Assets to be named after any person.
9. Purchase of all movable items.
10. Acquisition of land or any compensation for land acquired.
11. Reimbursement of any type of completed or partly completed works or items.
12. Assets for individual/family benefits.
13. All revenue and recurring expenditure.
14. Purchase of consumable items.
15. Purchase of any kind of item in any of the cooperative/public sector, undertakings.
16. Purchase of any kind of machinery and equipment except mobile dispensary in rural areas only where health services are found inadequate. The Health Department will have to certify that it will be their sole responsibility for the up-keep/maintenance of such mobile dispensaries.
17. Sanctioning of same type of works in a phased manner. DPC should sanction complete works rather to bifurcate works in order to cover more and more works. For example, a work of long street should not be carried out in a phased manner but to complete it in one-go. If not possible to complete it at once, such works should be avoided.
18. Erection/installation funds for statues of leaders etc.
19. All works of similar nature in other sectors which have not been mentioned above.

Issue of Domicile Certificates

***818. Rao Bahadur Singh :** Will the Revenue & Disaster Management Minister be pleased to state—

Whether it is a fact that domicile certificates are not being issued either by Tehsildar of Rajasthan or by Tehsildar of Haryana to the girls of Haryana after their marriage in Rajasthan and the girls of Rajasthan after their marriage in Haryana; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to issue domicile certificate to the aforesaid girls in liaison with Rajasthan Government?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी, सरकार की हिदायतों अनुसार हरियाणा के स्थायी निवासियों की पत्नियों को रिहायशी प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है भले ही शादी से पूर्व वे किसी अन्य राज्य की निवासी थी और ऐसे व्यक्तियों को भी रिहायशी प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है जो कि हरियाणा में जन्में हों बशर्ते ऐसे व्यक्तियों के माता-पिता हरियाणा के निवासी हों और उन द्वारा किसी अन्य राज्य से वास्तविक निवासी सम्बन्धी लाभ नहीं लिया हो।

Loss to Bijli Nigams

***895 Sh. Ram Pal Majra :** Will the Power Minster be pleased to state whether it is a fact that Bijli Nigam(s) are running in losses in Haryana State; if so, the district-wise details of total losses incurred during the year. 2009-10 and 2010-11 and the estimated losses likely to be occured during the year 2011-12 by the said Bijli Nigam(s) togetherwith the district-wise reasons for the said losses and the steps likely to be taken by the Government to meet out such loss?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान जी, विवरण माननीय सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

श्रीमान, यह सच है कि हरियाणा राज्य में बिजली निगम घाटे में चल रहे हैं। लेकिन जिला अनुसार हानियां उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि निगम अपना समूचित लेखे तैयार कर रहे हैं। यद्यपि सर्कल अनुसार लाभ तथा हानि लेखा प्रत्येक परिचालन सर्कल द्वारा बेची गई यूनिटों/परिसंपत्तियों/उपभोक्ताओं के आधार पर गैर परिचालन अकांऊटिंग यूनिटों तथा मुख्यालय के खर्चों को बाँटने के बाद दिनांक 01.04.2011 से 30.09.2011 तक की अवधि के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (उ.ह.बि.वि.नि.) द्वारा तैयार किया गया है।

इन हानियों के लिए मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :

- वर्ष 2001-2010 से टैरिफ में बिना किसी बढ़ोत्तरी के हर साल बिजली क्रय लागत में बढ़ोतरी।
- छठे वेतन आयोग को लागू करने के कारण अधिकतम कर्मचारी लागत।
- कार्यकारी पूंजी तथा पूंजीगत कार्यों के लिए निगम द्वारा लिए गए अधिक मात्रा में ऋणों के कारण ब्याज की लागत में बढ़ोतरी।
- ए.टी. एवं सी. लोसेज का उच्च स्तर।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (हरियाणा के वितरण निगम) में हानियों की स्थिति निम्न प्रकार है।

(रुपए करोड़ों में)

विवरण	वर्ष	लाभ	रैगुलेटरी एस्टस/ अनकवरड गैप से पहले हानियां
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	2009-10	-	1499.32
द.ह.बि.वि.नि.लि.	2009-10	-	778.60
योग		-	**2277.92**
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	2010-11	-	1367.98
द.ह.बि.वि.नि.लि.	2010-11	-	791.94
योग			**2159.92**
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	2011-12 (पहले छ महीने)	-	1734.57
उ.ह.बि.वि.नि.लि.	2011-12 (पहले छ महीने)	-	498.98
योग			**2233.55**
सर्कल अनुसार हानियां (उ.ह.बि.वि.नि.)			
अम्बाला			167.22
यमुनानगर			143.25
करनाल			215.70
कुरुक्षेत्र			202.24
कैथल			208.84
पानीपत			163.42
सोनीपत			155.78
रोहतक			146.65
झज्जर			81.12
जीन्द			250.35
योग			1734.57

निगमों द्वारा वित्तीय हानियों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

- क्रमानुसार सर्विस की लागत के साथ टैरिफ का अलाइनमैंट।
- प्रसारण तथा वितरण नेटवर्क में सुधार के साथ वितरण हानि के स्तरों पर नियमित जांच।
- चालू वितरण नेटवर्क का दर्जा बढ़ाने तथा ढांचें को सुदृढ़ करके।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Samples for testing of Drinking ,Water

121. Shri Sampat Singh : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the PHED takes samples for testing of drinking water usually in both rural and urban areas togetherwith the number of samples taken for chemical and bacteriological tests in the State in the current financial year;

(b) the number of samples that failed the test for being fit for human consumption in rural and urban areas separately;

(c) whether any water samples taken for bacteriological tests from Lala Sham Super Specially Centre of PGIMS in the year 2011 were found contaminated with potentially deadly bacteria and the report also indicated the presence of coli form of bacteria in dangerously high proportions and the presence of either human or animal faeces; and

(d) the number of filter beds/media that are lying defunct in water works based on canal water in Haryana?

आबकारी एवं कराधान मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) : —

(क) जीं हां श्रीमान्। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य में रसायन तथा जीवाणुविज्ञान संबंधी जांचों के लिए 29736 नमूने लिए गए।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में 2060 और शहरी क्षेत्रों में 1256 नमूनें मानव उपभोग के योग्य होने के लिए असफल पाए गए।

(ग) जी हां श्रीमान्। नमूने पाईपलाईन में रिसाव की वजह से असफल हुए, जो बाद में तुरंत ठीक कर दी गई। सिविल सर्जन, रोहतक की प्रयोगशाला में नमूने दोबारा लिए गए और नमूने मानव उपभोग के लिए ठीक पाये गए।

(घ) हरियाणा में नहरी पानी पर आधारित जल घरों में 556 फिल्टर बैडस खराब पड़े हैं।

Protection of Common Lands

133. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the steps taken by the State Government to prevent unfair and illegal use of the village common lands (Shamilat) and to protect the common interest of villagers and village Panchayats;

(b) the policy measures initiated by the State Government to improve the potentiality of common lands to earn more income for the village Panchayats in the State; and

(c) the yearly account (2005 onwards) of Julana Constituency with respect to the 'availability' viz-a-viz 'usage' of the village common land?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी,

(क) पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 में परिभाषित शामलात देह के दायरे मे आने वाली भूमि सम्बन्धित ग्राम पंचायत में निहित करती है। अधिनियम, 1961 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियम, 1964 में अवैध/नाजायज काबजान की बेदखली की योजना का स्वत: प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा शामलात भूमि से अनाधिकृत कब्जे हटवाने हेतु समीक्षा की गई है तथा पत्र दिनांक 5.8.2010 तथा 18.4.2011 द्वारा उपायुक्तों को एक कार्य योजना तैयार करके यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गए कि नाजायज कब्जाधारियों को अधिनियम, 1961 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बेदखल किया जाए।

विकास तथा पंचायत विभाग की हिदायतें दिनांक 2.12.2010, 4.2.2011 तथा 28.3.2011 एवं राजस्व विभाग की हिदायतें दिनांक 15.12.2010 द्वारा मालकान या ग्राम पंचायत द्वारा शामलात भूमि की अवैध बिक्री/पट्टा/तबादला को रोकने के लिए समस्त उपायुक्तों को मार्गदर्शिका जारी की गई।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राम पंचायतें चकबन्दी कार्यवाही के दौरान आरक्षित उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य हेतु भूमि प्रयोग ना करें, पंजाब ग्राम शामलात (विनियमन) नियमावली, 1964 के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि यदि भूमि का उपयोग बदले जाने की आवश्यकता है तो पंचायत भूमि उपयोग योजना तैयार करेगी। इस बारे में समस्त उपायुक्तों को पत्र दिनांक 15.9.2011 द्वारा विस्तृत हिदायतें जारी की गई हैं।

(ख) गाँव के विभिन्न सामूहिक उद्देश्यों के लिए शामलात देह में स्थित भूमि आरक्षित की गई है। कृषि योग्य भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा खुली बोली से पट्टे पर दिया जा रहा है। हालांकि यदि भूमि जोत में नहीं है और वृक्षों, झाड़ियों इत्यादि से भरी है, का पट्टा पाँच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दिया जाएगा ताकि भूमि की शक्यता में सुधार किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पट्टा राशि पूर्व वर्षों की अपेक्षा कम न हो, के बारे समस्त उपायुक्तों को पत्र दिनांक 29.4.2010 द्वारा विस्तृत हिदायतें जारी की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की एक राजस्व आय योजना है जिसके अन्तर्गत पंचायत भमि पर ट्यूबवैल लगवाने तथा दुकानों के निर्माण हेतु पंचायतें बिना ब्याज के ऋण प्राप्त कर सकती हैं ताकि भूमि की शक्यता में सुधार किया जा सके।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

(ग) जुलाना विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सामुहिक भूमि की उपलब्धता तथा उसके उपयोग का वार्षिक लेखा (2005 से आगे) नीचे दिया गया है :—

(रकबा, एकड़-कनाल-मरले में)

शामलात देह में स्थित कुल भूमि	:	8445-6-18
कुल कृषि योग्य भूमि	:	1951-3-05
कुल अकृषि योग्य भूमि	:	6494-3-13
गऊ चरान्द, हड्डा रोड़ी, शमशान भूमि, तालाब, वन, स्कूल, हस्पताल वाटर वर्कस के रूप में प्रयोग की जा रही नाजायज कब्जे इत्यादि के अधीन रकबा	:	7345-1-08
पट्टे पर दी गई भूमि-वर्ष 2005-06	:	1116-6-11
2006-07	:	1133-1-12
2007-08	:	1005-6-01
2008-09	:	1088-1-18
2009-10	:	1014-4-06
2010-11	:	1037-0-05
2011-12	:	1032-7-09

Construction of Embankment on Yamuna River

134. Shri Bishan Lal Saini : Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that U.P. Government has diverted the flow of water towards Haryana by constructing an embankment on Yamuna River towards its own side from Shahjahnpur to Mandhor of Nukar Tehsil due to which heavy soil erosion is being caused to the land of village Gumthala, Lal Chhapar, Kamalpur, Unheri and Jathlana; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct an embankment on Yamuna river towards Haryana?

वित्तमंत्री (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) :-

(क) नहीं श्री मान जी। यमुना स्टैंडिंग कमेटी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश द्वारा नुकड़ तहसील के शाहजहांपुर से मंधोर तक यमुना नदी के साथ-साथ बहुत देर पहले तटबंध का निर्माण कर लिया गया है। हरियाणा ने भी यमुना स्टैंडिंग कमेटी के निर्देशानुसार जहाँ-जहाँ जरूरत थी तटबंधों का निर्माण कर लिया है। नदी की घुमावदार प्रवृति के कारण मिट्टी के कटाव प्रति वर्ष हरियाणा व उत्तर प्रदेश क्षेत्र

में होते रहते हैं। यद्यपि यह मिट्टी के कटाव गाँव गुमथला, लाल छप्पर, कमालपुर, उन्हेड़ी तथा जठलाना की भूमि पर बाढ़ के दौरान ही पाये गये हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यह भूमि कटाव उत्तर प्रदेश की तरफ बनाये गये तबटंध के कारण हुए हैं।

(ख) वर्तमान में गुमथला, लाल छप्पर, कमालपुर, उन्हेड़ी तथा जठलाना में यमुना नदी के साथ-साथ कोई भी तटबंध बनाने की योजना नहीं है क्योंकि जमीन मालिकों ने तटबंध बनाने के लिए भूमि देने से इन्कार कर दिया है। फिर भी वर्ष 2010 की बाढ़ के बाद हरियाणा सरकार ने इन गांवों के बचाव हेतु निम्नलिखित बाढ़ नियन्त्रण कार्य करवा दिये हैं।

क्रम संख्या	गाँव का नाम	कार्यों की सूचि	मूल्य (रु० लाखों में)
(i)	गाँव गुमथला	13 नं0 सूटड	172.35
(ii)	गाँव लाल छप्पर	11 नं स्टोन स्टडस	62.69
(iii)	गाँव कमालपुर टापू एवं 400 मीटर स्टैनिंग	6 नं0 स्टोन स्टड	122.66

Specialist Caesarian Doctor in Civil Hospital Bhiwani

153. Shri Ghanshyam Das Garg : Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that there is only one caesarian operation specialist lady doctor in Civil Hospital, Bhiwani who comes from Rohtak for only two hours in a day; if so, the reasons for which the caesarian operation specialist doctor and medical equipments are not being made available there is the night time?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : महोदय, सामान्य अस्पताल भिवानी में सिजेरियन आपरेशन के लिए एक महिला चिकित्सा अधिकारी (स्त्री रोग विशेषज्ञ) नियमित आधार पर नियुक्त है। यह सत्य नहीं कि वह एक दिन में केवल दो घण्टे के लिए रोहतक से आती है। रात को जब भी आवश्यकता हो तो सिजेरियन आपरेशन किये जाते हैं और इस हेतु चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हैं।

Qualification of Computer Teachers

154. Dr. Hari Chand Middha : Will the Education Minister be pleased to state—

(a) the educational qualification prescribed for those teachers who have been appointed for imparting computer education in the Government Senior Secondary Schools of the State;

(b) the salary fixed for the aforesaid computer teachers;

(c) the time by which regular appointment of the computer teachers in aforesaid schools is likely to be made by the Government?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : श्रीमान जी, बिन्दु वार स्थिति इस प्रकार है:—

(क) राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए इकरारनामा दिनांक 18.08.2010 के अन्तर्गत मैसर्ज एन०आई०सी०टी०, इन्दौर को तीन शैक्षणिक वर्ष की अवधि के लिए अनुबन्धित किया गया है। ऐसे कम्प्यूटर अध्यापकों की शैक्षणिक अर्हताएं निम्नानुसार हैं :–

मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा सहित स्नातक तथा कम्प्यूटर अध्यापन का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव ;

अथवा

कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातक (बी०सी०ए०/बी०एस०सी० कम्प्यूटर) तथा कम्प्यूटर अध्यापन का न्यूनतमक एक वर्ष का अनुभव ;

अथवा

राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से कम्प्यूटर विज्ञान में तीन वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर अध्यापन का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव ;

अथवा

डी०ओ०ई० प्रत्यायित 'ए' स्तर कोर्स अथवा समकक्ष तथा कम्प्यूटर अध्यापन का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव ;

(ख) इकरारनामे के अनुसार फर्म को दो कम्प्यूटर अध्यापकों के वेतन की अदायगी के लिए प्रति मास 7090 रुपये की अदायगी की जाती है।

(ग) आदेश संख्या 4/11-2008 एस०ई० (3) दिनांक 29.03.2010 के अन्तर्गत कम्प्यूटर विज्ञान प्राध्यापकों के 215 पद स्वीकृत किए गए हैं। कम्प्यूटर विज्ञान प्राध्यापकों के पदों के सेवा नियम अधिसूचित करने बारे मामला विभाग के विचाराधीन है तथा नियमों को अन्तिम रूप देने के पश्चात् उक्त पद समुचित भर्ती एजेन्सी के माध्यम से नियमित आधार पर भरने बारे कार्यवाही की जाएगी।

Report of the Administrative Reforms Commission

163. Smt. Kavita Jain : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the time by which the report of Administrative Reforms Commission is likely to be presented; and

(b) the total amount spent on the aforesaid commission from its constitution till date?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) प्रथम हरियाणा राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने कार्यकाल, दिनांक 19 नवम्बर, 2007 से 12 मार्च, 2011 तक, के दौरान तीन रिपोर्ट यानिकि, (i) जिला प्रशासन (ii) लोक निर्माण विभाग तथा (iii) पंचायती राज संस्थाओं पर प्रस्तुत की हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) हरियाणा प्रशासनिक सुधार आयोग पर उसके गठन से आज तक कुल ₹ 1,71,89,264/- खर्च हुए हैं।

To set up ITI in village Khera of Siwani Block

158. Master Dharmpal Obra : Will the Technical Education Minister be pleased to state:—

(a) Whether it is a fact that the foundation stone was laid down by the Chief Minister for setting up the proposed ITI in village Khera of Siwani block of Loharu Constituency but the work has not been started thereon so far; if so, whether the construction work of said ITI is likely to be started; and

(b) whether the aforesaid ITI has been shifted to any other place; if so, the reasons thereof?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :-

(क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत बनाने के लिए प्रस्ताव महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, भारत सरकार को भेजा जा चुका है जो कि अभी विचारणीय है। भारत सरकार के अनुमोदन उपरांत निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

(ख) नहीं, श्रीमान जी।

Repair of Roads

164. Shri Krishan Lal Panwar : Will the Agriculture Minister be pleased to state the time by which the following roads constructed by the Haryana State Agricultural Marketing Board are likely to be repaired :—

(1) Village Madlauda (Panipat) to village Shera;

(2) Village Baljattan to Village Shera ;

(3) Village Kavi (Panipat) to village Maur Majra, District Karnal;

(4) Village Vaisar to Village Lohari, District Panipat; and

(5) Village Bhandari (Panipat) to Village Lohari (Panipat) ?

कृषि मंत्री (सरदार परवमीर सिंह) : सड़कें क्र.स. 1, 2 एवं 4 लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) के क्षेत्र में है जो कि 19.04.2010 को लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) को स्थानान्तरण कर दी गई थी। लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) ने इन सड़कों का मरम्मत का ₹ 145.90 लाख का अनुमान बनाया है। इन सड़कों की मरम्मत 31.10.2012 तक होने की संभावना है।

क्र.स. 3 पर दर्शायी गई सड़क की विशेष मरम्मत के लिए निविदाएं मांगी गई हैं जो कि 09.3.2012 तक प्राप्त होने की उम्मीद है। इस सड़क का निर्माण निविदा के अवार्ड की तिथि से 3 महीने में होने की संभावना है।

क्र.स. 5 पर दर्शायी गई सड़क की मरम्मत का कार्य हो चुका है और सड़क अच्छी हालत में है जिसमें कोई गड्ढे नहीं है।

Appointment of JBT/Headmasters

166. Smt. Saroj Mor : Will the Education Minister be pleased to state:—

(a) whether it is a fact thar re-appointment of JBT/Head Masters have been made in the State, after retirement, under the provisions of Haryana Government Education Department notification dated 26th April, 2011, in District Hisar;

(b) if so, whether all the JBT/Head Master who were eligible and whose cases were submitted during their services have been re-appointed; and

(c) if not, the reasons for the delay of appointment as at (b) above alongwith the name of the officers who are responsible for this delay?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :-

(क) हां श्रीमान,

(ख) जिला हिसार में 18 जे.बी.टी. अध्यापकों के पुनर्नियुक्ति के मामले प्राप्त हुए थे जिनमें से 8 जे.बी.टी. अध्यापकों को पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई और10 मामले सम्बन्धित संस्थानों में वर्क लोड न होने के कारण रद्द कर दिए गए। मुख्याध्यापकों के 9 मामले जिला हिसार से प्राप्त हुए थे तथा सभी 9 को ही पुनर्नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी।

(ग) कोई अधिकारी/कर्मचारी देरी के लिए जिम्मेवार नहीं है क्योंकि केवल 10 मामलों में सम्बन्धित संस्थानों में वर्क लोड न होने के कारण मामले पुनर्नियुक्ति पोलिसी के तहत रद्द किए गए थे।

Adjustment of JBT Teachers in Respective Districts

168. Col. Raghbir Singh : Will the Education Minster be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to adjust those JBT cadre teachers in their respective Districts who are working in other District; if so, the time by which the said JBT cadre teachers are likely to be adjusted in their respective Districts?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :-

(क) नहीं श्रीमान जी।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

Construction of Stadium of Barwala

171. Shri Ram Niwas Ghorela : Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state whether it is a fact that the Stadium for Barwala has been approved; if so, the time by which the aforesaid stadium is likely to be constructed/completed?

खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री (श्री सुखबीर कटारिया) :-

जी हाँ श्रीमान,

सैनी जोहड़, बरवाला में छ: एकड़ भूमि पर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। मामला प्रक्रियाधीन है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

Widening and Strengthening of Roads

169. Shri Ram Pal Majra : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government for widening and strengthening of the following roads in Kalayat Assembly Constituency:—

- (i) Kalayat to Kheri Lamba, Kurar Dubal, Sinad, Haripura and Saghan ;
- (ii) Kalayat to Kaule-Khan, Brahmanmana, Surje Khera and Narwana; and
- (iii) Kaithal-Dayod Kheri, Harsola, Saunghal, Santokhmajra and Rajound;

(b) if so, the total amount likely to be spent on the widening and strengthening of the aforesaid roads?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : (क) (i) से (iii) और (ख) हां, श्रीमान् जी, इन कार्यों को करने का मामला नाबार्ड आर०आई०डी०एफ०-17 योजना तथा तेहरवें वित्तीय आयोग के तहत लिया जाना विचाराधीन है। इन कार्यों की सम्भावित लागत 3953 लाख रुपये है।

Construction of Bridge on Markanda River

175. Shri Rajbir Singh Brara : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new bridge on Markanda River near village Tandwal to Haryoli of Mullana Constituency; if so, the time by which the construction work of the aforesaid bridge is likely to be started?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान जी।

Roads of Haryana State Marketing Board

185. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Agriculture Minister be pleased to State :—

(a) The details of roads falling under the control of Haryana State Marketing Board in Gohana Constituency together with the length thereof; and

(b) When the aforesaid roads were repaired and whether there is any proposal under consider to repair the aforesaid roads?

Agriculture Minister (Sh. Paramvir Singh) : (a) & (b) The details of roads, together with the length and the history of construction, repairs and proposal of future repairs are given in the Annexure.

HSAMB Roads, Gohana

PWD Roads Network :

NH :	0.00
SH :	32.60
MDR :	0.00
ODR :	107.86
Transferred from HSAMB :	66.99
Total :	**207.45**

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

HSAMB Roads Network :

New Construction going on				
New Construction	11	roads	46.81	km.
Sub Total :	**11**	**roads**	**46.81**	**km.**
Completed Roads under Maintenance				
Good Condition	8	roads	18.93	km.
Repairs Taken Up @16K	2	roads	6.06	km.
Repairs Taken Up between 16K and 44k	3	roads	6.56	km.
SR Sanctioned	1	roads	4.10	km.
Work Plan Approved	2	roads	4.06	km.
Sub Total :	**16**	**roads**	**39.71**	**km**
Transferred				
Transferred to PWD (938 roads)	13	roads	26.33	km.
Sub Total :	**13**	**roads**	**26.33**	**km.**
Grand Total :	**40**	**roads**	**112.85**	**km.**

New Construction going on

New Construction

(1) H - 2575 Guhna To Bhainswal Sonipat 3.66 km.

18277	14-Feb-12	Likely date 31.3.2012.
13356	29-Oct-11	Work completed except 200m dispute solved.
3879	03-Sep-11.	Dispute could not be settled. Close the contract. We will get rest of work execution only after dispute is settled.
2163	21-Aug-11	Allotted on: 9/9/2008. Likely completion date: 30/9/2011. Work completed except 200m disputed length.

(2) H - 2578 Jauli To Sargthal Upto Dubeta. Sonipat 7.74 km.

18965	18-Feb-12	Now final measurements to be received for risk and cost upto 28/02/12
18278	14-Feb-12	Likely date 31.3.2012.
16832	04-Jan-12	Action taken clause-3 taken *vide* Memo No. 3080 dated 30/09/09, committee for final measurement constructed vide memo no. 3474 dated 28/11/11 now to be submitted upto 10/01/2012.
13357	29-Oct-11	Completed except 340m Pc.

[Sh. Paramvir Singh]

3881	03-Sep-11	Only 400m PC + surface dressing left. Counsel the contractor.
2157	21-Aug-11	Allotted on : 22/2/2008. Carpet laid in 7.34km. Work held up. Action under clause II & III taken. Agency. Sunil.

(3) H - 2579 Beedhal To Jauli Sonipat 2.63 km.

18966	18-Feb-12	Now final measurements to be received for risk and cost upto 28/02/12
16833	04-Jan-12	Dispute solved. 1.00 km PC complete(Work heldup), action under clause-3 taken *vide* memo no 3295 dated 14/11/11. Final measurement to be submitted upto 25/11/11. Now to be submitted 10/01/2012.
13358	29-Oct-11	Dispute solved.
3882	03-Sep-11	2.5 km. surface dressing + PC only left. Dispute in 130m.
2156	21-Aug-11	Allotted on: 16/4/2008. 2.5km metalling completed. Action under clause II & III taken. Agency: Sunil.

(4) H- 2580 Barwasni To Lohari Tibba Sonipat 6.49 km.

19043	18-Feb-12	Tenders to be received on 17/02/12
16834	04-Jon-12	Action under clause-3 taken vide Memo No. 3249 dated 14/11/11, Final measurement received on 25/11/11. Tender to be received at risk & cost on 25/01/2012.
13359	29-Oct-11	Action under clause III to be taken.
3883	03-Sep-11	5km ready for Pc. Dispute in 44m where Land Acquisition was required. Has been settled by L.A.
3876	02-Sep-11	AA of Rs. 80.50 lacs conveyed on 29/10/2010. Tenders received with SE.
2160	21-Aug-11	Allotted on: 27/2/2009. 5km metalling completed. Action under clause II & III taken.

(5) H - 2581 Juan To Naina Tatarpur. Sonipat 2.50 km.

18967	18-Feb-12	Now final measurements to be received for risk and cost upto 28/02/12
16835	04-Jan-12	Final notice for Action under clause-3 given *vide* memo no. 3752 dated 9/12/11.
3884	03-Sep-11	Work held up. Agency: Sunil.

2159	21-Aug-11	Allotted on: 27/2/2009. Earthwork completed in 2 km. & metalling completed in 1.25km.

(6) H - 2592. Juan To Panchi Via Mahra. Sonipat 6.67 km.

19048	18-Feb-12	Tenders to be received on 29/02/12
16836	04-Jan-12	Action under clause-3 taken vide memo no. 3891 dated 13/12/11. Final measurement to be submitted on 25/12/11. Now to be submitted on 10/1/2012.
3885	03-Sep-11	Work held up. Agency: Vinay.
2162	21-Aug-11	Allotted on: 9/11/2009. Earth work completed and metalling completed in 2km.

(7) H - 2583 Juan To Mohana. Sonipat 3.14 km.

19044	18-Feb-12	Tenders to be received on 17/02/12
16837	04-1an-12	Action under clause-3 taken vide memo no. 3754 dated 9/12/11, Final measurement submitted on 30/12/2011.
3905	03-Sep-11	Work held up. Agency: Vinay.
2158	21-Aug-11	Allotted on: 24/12/2009. Earth work complete and supply in progress for 1.5 km. approx.

(8) H - 2584 Bhatgaon To Kheri Dahiya. Sonipat 3.94 km.

18949	18-Feb-12	Earth work in progress
18285	14-Feb-12	Likely date 30.6.2012.
16838	04-Jan-12	Tender allotted on 21/10/11, (Saragthal Society), E/W started recently.

(9) H - 2585 Gamri To Barota. Sonipat 4.50 km.

19050	18-Feb-12	Tenders to be received on risk and cost 29/02/12
16839	04-Jan-12	Action under clause-3 taken vide Memo No. 3773 dated 9/12/11, Final measurement submitted on 28/12/2011.
3907	03-Sep-11	Work held up. Agency: Krishan Kumar.
2161	21-Aug-11	Allotted on: 31/8/2009. 3km 1st layer complete and work held up. Action under clouse-II taken.

(10) H - 4970 Guhana To Salimsar Mazra Sonipat 3.72 km.

19016	18-Feb-12	Tender received on 30/01/12. Under process in CE office
16870	04-Jan-12	D/Estimate T/Sanction on 11/11/11 for Rs. 98.04 lacs. Tender received on 29/12/2011.

[Sh. Paramvir Singh]

2266	09-Aug-11	AA accorded on 9/8/2011 for Rs. 102.81 lacs.

(11) H - 4971 Bhola To Rolad Sonipat 1.82 Km.

19017	18-Feb-12	Tender received on 30/01/12. Under process in CE office
16871	04-Jan-12	Tender to be received on 25/01/2012.
14165	09-Nov-11	T/S for Rs. 49.47 lacs on 31/10/2011.
2287	03-Aug-11	AA accorded *vide* CRR-4386 dated 3/8/2011 for Rs. 52.15 lacs. Path is 5 karam.

Sub Total: 46.81 km.

Completed Roads under Maintenance

Good condition

(1) H - 2556 Jolly To Nayat. Sonipat 3.16 km.

18944	18-Feb-12	Constructed 2002, Path 6 karam, crust 150mm, 75mm WBM + PC sanctioned on 4/06/09. E/C 35.68 lacs. Allotted on 29/06/10, completed on 31/10/11. Now patch less and in Good condition.

(2) H - 2567 Machhrl To Jaji. Sonipat 1.21 km.

17025	04-Jan-12	65.79 Sqm during 11/2011(8K)
16754	04-Jan-12	Constructed 2002. Path 8 karam. Crust 150mm
2174	21-Aug-11	SR Allotted on 31/7/2009 and SR completed on 31/7/2010.

(3) H - 2568 Krewari To Chitana Sonipat 2.80 km.

18898	18-Feb-12	(90.9 sqm) patches done 10/08/11 to 28/09/11(18K).
16756	04-Jan-12	Constructed 2009. Path 6 karam. Crust 225mm

(4) H - 2569 Salarpur Majra To Naina Tatarpur Sonipat 2.50 km.

16759	04-Jan-12	(176 Sqm) patches done 10/08/11 to 28/09/11. Final bill pending.
16758	04-Jan-12	Constructed 2009. Path 6 karam. Crust 225mm

(5) H - 2571 Strengthlng And Widening of Road Sonipat 2.60 km.

From Ngm Gohana To Baroda Road

16761	04-Jan-12	(216.92 Sqm) patches done 10/08/11 to 29/09/11. Final bill pending.
16760	04-Jan-12	Originally Constructed 2002 was 1.675 km. Metalled width 3.66m. Path 6 karam. Crust 150mm.

Strengthening and widening allotted on 27/08/08, completed on 15/06/09 with metalled with 6.10m, in 925 m portion newly constructed with 225mm GSB + 150mm WBM + 100mm BUSG + 50mm BM + PC in 925m in widening portion, 75mm WBM layer extra taken In 1.675 km. 150mm WBM + 100mm BUSG + 50mm BM + Pc.

(6) H - 2573 Baghru Khurd To Baghru Kalan. Sonipat 0.56 km.

18958	18-Feb-12	No patch work required, Good Condition
11072	17-0ct-11	Constructed 2001. Path 6 karam. Crust 150mm. PC done in 06/2009 with 75mm WBM+PC.

(7) H- 2576 Dodwa To Sargthal. (Bridge) Sonipat 2.88 km.

16831	04-Jan-12	Work completed on 30/12/2011(Good Condition)
2164	21-Aug-11	Allotted on: 9/9/2008. Metalling complete and work held up due to non-availability of road material.

(8) H - 2577 Kakana To Saragthal. (Bridge) Sonipat 3.22 km.

11687	19-0ct-11	Constructed 31.03.11, Path 5 Karam, Crust 225mm.
677	31-Jul-11	EE Reported, Road is in Good Condition.

Sub Total: 18.93 km.

Repairs Taken Up @ 16K

(1) H - 2550 Juan To Machhri. Sonipat 3.36 km.

18912	18-Feb-12	A/R @ 16 K to be completed departmentally upto 31/03/12
17023	04-Jan-12	work not started. Tender recalled on 25/01/2012. No tender received.
16750	04-Jan-12	Constructed 2002. Path 6 karam. Crust 150mm.
2173	21-Aug-11	SR Allotted on 31/7/2009 and SR completed on 31/3/2010.

(2) H-2551 Chatana To Khizarpur Jat Majra. Sonipat 2.70 km.

18913	18-Feb-12	A/R @ 16 K to be completed departmentally upto 31/03/12 .
17024	04-Jan-12	work not started. Tender recalled on 25/01/2012. No tender received.
16752	04-Jan-12	Constructed 2003. Path 8 karam. Crust 150mm
2254	30-Nov-09	SR completed on 30/11/2009.

Sub Total: 6.06 km.

[Sh. Paramvir Singh]

Repairs Taken Up between 16K and 44K.

(1) H - 2553 Salarpur Majra To Pinana. Sonipat 1.85 km.

18937	18-Feb-12	Allotted @ 44 K on 13/02/12.
15982	14-Dec-11	Constructed 2001. Crust 150mm. Path 5 karam. Patch + PC done in 2005.

(2) H - 2572 Wazirpur To Baroda Road. Sonipat 1.19 km.

18933	18-Feb-12	A/R Work departmentally will be completed upto 31/03/12.
17016	04-Jan-12	Tender received on 12/12/11. No tender received.
11071	17-0ct-11	Will be patched upto 30/11/2011 (Estimated cost 0.45 lacs).
11070	17-0ct-11	Constructed 1999. Path 5 karam. Crust 150mm. PC done in 03/2009 with 270m CC and 50mm BUSG + PC in rest.

(3) H - 2574 Mahra To Purkhash Sonipat 3.52 km.

19011	18-Feb-12	T/Sanction on 29/11/11 for Rs. 52.90 lacs, allotted on 13/02/12.
18294	14-Feb-12	Allotted on 13.2.2012.
17018	04-Jan-12	Tender received on 21/12/11.
16746	04-Jan-12	Patch work not started @44K
11075	17-0ct-11	Will be patched upto 30/11/2011 (Estimated cost 1.50 lacs).
11074	17-0ct-11	Constructed 2009. Path 6 karam. Crust 225mm. S/R Nil.

Sub Total: 6.56 km.

SR Sacntioned

(1) H - 2558 Bidhal To Dodwa. Sonipat 4.10 km.

18983	18-Feb-12	Only 300m PC left, now final measurement to be received upto 28/02/12.
17564	17-Jan-12	CC 225m RD 3850 to 4075m & PC in 3.50 km completed. Work held up action under clause-III taken, final measurements to be submitted upto 20.01.2012.

17563	17-Jan-12	CC 500m RD 3600 to 4100m, balance patch + PC sanctioned on 4/06/09. E/C. 53.56 lacs. Allotted on 31/07/09.
17562	17-Jan-12	Constructed 1994, path 6 karam, Crust 150mm.

Sub Total: 4.10 km.

Work Plan Approved

(1) H -2554 Latifpur To Dodwa. Sonipat 2.32 km.

19020	18-Feb-12	Tender to be received on 29/02/12.
16061	16-Dec-11	Pavers in 500m (Dodwa) 2 HP culverts, Patch + PC (23 lacs)
15983	14-Dec-11	Constructed 1993. Crust 150mm. Path 5 karam. 75mm WBM + PC done in 2004.

(2) H - 2562 Rolad To Bhadi. Sonipat 1.74 km.

19021	18-Feb-12	Tender to be received on 29/02/12.
16062	15-Dec-11	Work Plan: Patches + PC (15 lacs).
15984	14-Dec-11	Constructed 1998. Crust 150mm. Path 5 karam. PC done in 2005.

Sub Total: 4.06 km.

Transferred

Transferred to PWD (938 roads)

(1) H - 2549 Kilorad To Shahzadpur. Sonipat 1.85 km.

11612	19-Oct-11	Constructed 20.07.2000, Path 8 Karam, Crust 150 mm, SR 24.05.09 with 75 mm WBM layer + P.C. Now total Crust-225 mm.
7644	03-Oct-11	Transferred to PWD. PWD Road ID ; 9321

(2) H - 2552 Juan To Shamshan Ghat. Sonipat 0.60 km.

11613	19-Oct-11	Constructed 25.10.04, Path 8 Karam, Crust 150 mm

(3) H - 2555 Guddha To Rohtak Road. Sonipat 1.40 km

11614	19-Oct-11	Constructed 30.08.01, Path 6 Karam, Crust 150 mm, SR 31.03.09, 75mm WBM layer +P.C. Now total crust 225mm.
7639	03-Oct-11	Transferred to PWD. PWD. Road ID : 9678

[Sh. Paramvir Singh]

(4) H - 2557 Kailana Khas To Gamri. Sonipat 2.28 km.

11615	19-Oct-11	Constructed 31.12.02, Path 6 Karam, Crust 150 mm, SR 31.07.2007, C.C in Gamri 150m.
7640	03-Oct-11	Transferred to PWD. PWD Road ID : 9676
2258	31-Jul-07	150 mtr CC was included in SR. SR completed on 31/7/2007.

(5) H- 2560 Saragthal to Rest House. Sonipat 0.87 km.

11616	19-Oct-11	Constructed 26.06.04, Path 6 Karam, Crust 150 mm
7637	03-Oct-11	Transferred to PWD. PWD Road ID : 9677

(6) H - 2561 Nayat To Kakana. Sonipat 2.76 km.

11617	19-Oct-11	Constructed 17.0.92, Path 6 Karam, Crust 150 mm, SR 25.05.05, patcheses+P.C.
7643	03-Oct-11	Transferred to PWD. PWD Road ID : 9670

(7) H - 2563 Kharkhoda Road To Barota Bus Stand. Sonipat 0.83 km.

11618	19-Oct-11	Constructed 30.06.06, Path 8 Karam, Crust 150 mm
7636	03-Oct-11	Transferred to PWD. PWD Road ID : 9683

(8) H - 2564 Jolly To Kakana. Sonipat. 4.70 km.

11619	19-Oct-11	Constructed 14.03.92, Path 6 Karam, Crust 150 mm, upgraded under PMGSY by PWDB&R
7641	03-Oct-11	Transferred to PWD. PWD Road ID : 9672
2262	31-Aug-07	SR completed on 31/8/2007.

(9) H - 2565 Rattangarh To Dera Purbian. Sonipat 1.35 km.

11620	19-Oct-11	Constructed 28.02.98, Path 6 Karam, Crust 150 mm, SR 30.8.09,75mm WBM layer + P.C. Now total crust 225mm.
2169	21-Aug-11	SR Allotted on 28/11/2007 and SR completed on 30/9/2008.

(10) H - 2566 Bhatgaon To Nakloi. Sonipat 4.10 km.

11621	19-Oct-11	Constructed 30.09.2000, Path 6 Karam, Crust 150 mm, SR 30.09.2000, patches + P.C.
2170	21-Aug-11	SR Allotted on 28/11/2007 and SR completed on 30/9/2008.

(11) H - 2586 Moi To Rehmana.			Sonipat	3.26 km.
11622	19-0ct-11	Constructed 1.04.02, Path 6 Karam, Crust -150 mm, SR 30.06.2009,75mm WBM layer +P.C. Now total Crust 225m.		
7638	03-0ct-11	Transferred to PWD. PWD Road ID: 9314		
(12) H - 2587 Bhatgaon To Garhi Hakikat (Balance length)			Sonipat	0.60 km.
11623	19-0ct-11	Constructed 31.07.03, Path 6 Karam, Crust 150 mm		
(13) H - 5104 Salarpur Majra To Bhola			Sonipat	1.73 km.
11685	19-Oct-11	Constructed 2006, Path 6 Karam, Crust 150 mm,		
7642	03-0ct-11	Transferred to PWD. PWD Road ID: 9668		
			Sub Total :	**26.33 km.**
			Grand Total :	**112.85 km.**

---

132. Shri Paraminder Singh Dhull : Will the Chief Minister be pleased to state the latest policy/guideline of the State Government regarding issuance of fresh firearm licence togetherwith the Districtwise breakup of total number of licences issued in the State since 2005?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी,

इस सम्बन्ध में यह सूचित किया जाता है कि नये आग्नेयास्त्र लाईसैंस जारी करने सम्बन्धी राज्य सरकार, भारत सरकार (गृह मन्त्रालय) नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये नवीनतम नीति/दिशा निर्देश पत्र क्रमांक V-11016/16/2009-आर्म्ज दिनांक 31 मार्च, 2010 तथा हरियाणा राज्य में विभिन्न जिलों द्वारा जारी किये गये प्रतिबंधित हथियार व बिना प्रतिबंधित हथियारों का वर्ष 2005 से 20.2.2012 तक जिला वाईज विवरण निम्न प्रकार से है:--

विवरण

(i) Grant of Arms Licence for Prohibited Bore (PB) weapons

The arms licences for acquisition of PB weapons are considered by the Central Government in the Ministry of Home Affairs (MHA). It has been decided that henceforth applications for grant of PB weapon may be considered from the following category of persons:—

(a) Those persons who face grave and imminent threat to their lives by mere reason of being residents of a geographical area (or areas) where terrorists are most active and/or are held to be prime 'targets' in the eyes of terrorists and/or are known to be

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

inimical to the aims and objects of the terrorists and as such face danger to their lives.

(b) Those Government officials who by virtue of the office occupied by them and/or the nature of duties performed by them and/or in due discharge of their official duty have made themselves targets in the eyes of terrorists and are vulnerable to terrorist attack.

(c) Those MPs and MLAs including non-officials/private persons who by virtue of having been closely and/or actively associated with anti-terrorist programmes and policies of the Government or by mere reason of their holding views, political or otherwise, not to the liking of the terrorists, have rendered themselves open to attack by the terrorists.

(d) The family members/kith and kin of those who by the very nature of their duties or performance (past or present) or positions occupied in the Government (past or present) or even otherwise for known/unknown reasons have been rendered vulnerable and have come to be regarded by the terrorists as fit targets for elimination.

The applications for grant of PB weapons from the above categories of persons is be forwarded to Union Ministry of Home Affairs MHA (Arms Section) for approval along with recommendations of the District Magistrate (DM) concerned, recommendations of the State Govt. and police verification reports.

(ii) Grant of Arms Licence for Non- Prohibited Bore (NPB) weapons

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/District Magistrate concerned.

(a) Applications for grant of NPB arms licences is to be considered from persons who may face or perceive grave and imminent threat to their lives, for which the licensing authority will obtain an assessment of the threat faced by the persons from the police authorities.

(b) No licence may be granted without police verification, which will include report on (i) antecedents of applicant, (ii) assessment of the threat, (iii) capability of the applicant to handle arms, and (iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence. Steps are being taken to delete the proviso to Sec. 13 (2A) of the Arms Act, 1959.

(c) The police authorities may be advised to send the police report within 45 days positively failing which the police officials concerned may be liable for action.

(d) The licensing authority may call for any information/ documents such as voter ID card, ration card or any other document which it may consider necessary to verify the bonafides of the applicant and to ensure that the applicant resides within its jurisdiction.

(e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under Section 13 (2) Arms Act before granting arms licences and no arms licence may be issued without police verification.

हरियाणा राज्य में जिलावार जारी किये गये आग्नेयास्त्र लाईसैंस का विवरण

S.No.	District	Year	PB	NPB	Total
1.	Ambala	1.1.2005 to 20.2.2012	9	1052	1061
2.	Bhiwani	-do-	-	1461	1461
3.	Faridabad	-do-	-	686	686
4.	Fatehabad	-do-	7	1315	1322
5.	Gurgaon	-do-	1	1046	1047
6.	Hisar	-do-	-	2709	2709
7.	Jind	-do-	-	2425	2425
8.	Jhajjar	-do-	-	2551	2551
9.	Kurukshetra	-do-	-	2094	2094
10.	Kaithal	-do-	-	1368	1368
11.	Karnal	-do-	-	2145	2145
12.	Mohindergarh	-do-	-	295	295
13.	Mewat	-do-	-	329	329
14	Panipat	-do-	-	1855	1855
15.	Palwal	-do-	-	270	270
16.	Panchkula	-do-	5	362	367
17.	Rohtak	-do-	11	1921	1932

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

18.	Rewari	-do-	-	547	547
19.	Sonepat	-do-	-	1850	1850
20.	Sirsa	-do-	1	1665	1666
21.	Yamuna Nagar	-do-	-	541	541
		Total	34	28487	28521

Development Works and Repair of Roads

135. Sh. Bishan Lal Saini : Will the Minister of State for Urban local Bodies be pleased to state whether it is a fact that the development work is lying abandoned and the roads have been (got) damaged since the Yamunanagar has been granted status of Municipal Corporation; if so, the time by which the development works and the repair of roads is likely to be started?

शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री (श्री गोपाल कांडा) :

नहीं, श्रीमान जी।

Status of Power Generation

122. Shri Sampat Singh : Will the Power Minister be pleased to state:-

(a) the status of power generation in the State as on 5th March , 2005, the status of power generation now in Haryana and what is likely to be the status of power generation on 31st December, 2012.

(b) the time by which 20 hrs. or more power is likely to be given daily to all types of consumers in Haryana ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :- श्रीमान,

(क) 5 मार्च, 2005 को राज्य बिजली उत्पादन क्षमता 1587.50 मैगावाट थी। वर्तमान समय में राज्य की बिजली क्षमता 4444.10 मैगावाट है तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को यह लगभग 5359.10 मैगावाट होनी संभावित है।

(ख) राज्य के शहरी घरेलू, शहरी गैर-घरेलू तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को पहले से ही 20 घंटे से जयादा बिजली आपूर्ति की जा रही है। अन्य श्रेणियों के लिए, बिजली की आपूर्ति उपलब्धता, प्रणाली की क्षमता तथा उनकी वास्तविक आवश्यकता एवं तकनीकी-वाणिज्यिक संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दी जाएगी।

Repair of Damaged Roads

155. Dr. Hari Chand Middha : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that Bhiwani road in Jind City has become completely damaged; if so, the reasons for which the said road is not being re-constructed ; and

(b) whether it is also a fact that Safidon road in the city has become completely damaged; if so, the reasons for which the said road is not being re-constructed ?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : (क) और (ख) नहीं, श्रीमान जी।

Sewerage System in village Behal

159. Master Dharam Pal Obra : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide sewerage system in village Behal: and

(b) whether the Government is aware of the fact that the sewerage system laid down in towns Loharu and Siwani is lying non-functional; if so, the time by which the aforesaid sewerage systems are likely to be made functional?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) :

(क) नहीं, श्रीमान जी। इस समय गांव बहल जल आपूर्ति की सेवा का स्तर 110 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है जो कि सीवर लाईनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है, से कम है।

(ख) **लोहारू शहर** - हां श्रीमान जी। लोहारू शहर की सीवरेज प्रणाली गैर-कार्यात्मक है। 12 साल पहले लगभग 4000 मीटर सीवर लाईन बिछाई गई थी तथा डिस्पोजल को वर्ष 2009 के दौरान कार्यात्मक किया गया। तथापि उपभोक्ताओं ने कोई भी सीवरेज कनैक्शन नहीं लिया था जिसके कारण सीवरेज प्रणाली वर्तमान में काम नहीं कर रही है। दिनांक 04.05.2011 को प्रशासनिक अनुमोदित हुए 110.00 लाख रुपये के अनुमान के तहत शेष सीवर लाइनें बिछाने का कार्य प्रगति पर है। सभी सीवर लाइनें 31.12.2012 तक कार्यात्मक बना दी जाएंगी।

सिवानी शहर - हां श्रीमान जी। सिवानी शहर की सीवरेज प्रणाली अभी तक कार्यात्मक नहीं है। 571.00 लाख रुपये अनुमोदित अनुमान के तहत 2008 के बाद से सीवर प्रणाली बिछाने का कार्य प्रगति पर है। आउट फाल सीवर, मुख्य पम्पिंग स्टेशन तथा शाखा सीवर लाइनें बिछा दी गई हैं तथा परीक्षण किया जा रहा है और 30.06.2012 तक शुरू कर दी जाएगी।

Repair of Roads

165. Shri Krishan Lal Panwar : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state the time by which the following roads are likely to be repaired -

(1) Village Israna (Panipat) to Bhoupur via village Kard;

(2) Main Assandh road Panipat to Urlana Kalan via village Dariapur and Urlana Khurd;

(3) Village Khandra to Dharamgarh via village Baljattan;

(4) Village Badar to village Kalkha; and

(5) Village Alupur to village Ahar ?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : हां श्रीमान जी। क्रम संख्या 1, 2, 3 व 4 पर दर्शाई गई सड़कों की मरम्मत 30.09.2012 तक तथा क्रम संख्या 5 पर दर्शाई गई सड़क की मरम्मत 31.12.2012 तक किये जाने की संभावना है।

Four Laning of Road

172. Shri Ram Niwas Ghorela : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state the time by which the construction work of four laning of road from Jind Kainchi Chowk to Railway Station is likely to be started?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान जी, वर्तमान में इस सड़क को चार-मार्गी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतएव इस स्थिति पर समय अभी निश्चित नहीं किया जा सकता।

Land Acquired for Allotment of 100 Yard Plots

176. Smt. Kavita Jain : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) the village wise details of the land acquired in the State for allotment of 100 yard plots free of cost; and

(b) the Districtwise details of total amount spent to acquire the aforesaid land?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी,

(क) महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत राज्य में 100 वर्गगज के प्लॉट अलॉट करने के लिए भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Construction of Roads

170. Shri Ram Pal Majra : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following new roads in Kalayat Constituency—

(i) Rohera to Guliana;

(ii) Sisla to Harsola; and

(iii) Saunghri to Kamalpur; if so, the total amount likely to be spent thereon?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(i) और (iii) हां, श्रीमान जी। इन कार्यों पर कुल 371.57 लाख रुपये खर्च आने की संभावना है।

(ii) नहीं, श्रीमान जी।

HUDA Plots to Soldiers and Ex-servicemen

178. Col. Raghbir Singh : Will the Chief Minister be pleased to state:—

(a) whether it is a fact that the soldiers and ex-serviceman, the officers in the rank of Colonel and above are entitled to apply for one kanal plots and other officers upto the rank of Lieutenant Colonel are entitled to apply for 14 marla and 10 marla plots and JCOs and other ranks are entitled to apply for 8,6 and 4 Marla plots; of HUDA; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the above said restriction and to increase the reservation quota of Soldiers and Ex-servicemen from 8 % to 15 % ; if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be implemented?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

Repair and Widening of Road

136. Shri Bishan Lal Saini : Will the PWD (B&R) Minister be pleased to state the time by which the work of repair and widening of the Highway from Radaur to Yamuna Nagar i.e. upto the limit of Municipal Corporation is likely to be started?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : श्रीमान जी, यमुनानगर नगर परिषद् सीमा तक रादौर से 'यमुनानगर उच्च मार्ग के भाग को' यमुनानगर-लाडवा-करनाल भाग लाडवा बाई-पास सहित की रूपरेखा बनाना, पूंजी लगाना, संचालन, रख-रखाव व हस्तांतरित करना आधार पर चार-मार्गी बनाना' परियोजना में सम्मिलित कर लिया है। योग्यता के लिए प्रार्थना मांगी जा चुकी है तथा कार्य के वर्ष 2013 के अन्त तक आरम्भ किए जाने की संभावना है।

Setting up of Lala Lajpat Rai Vaterinary University

123. Shri Sampat Singh : Will the Animal Husbandry Minister be pleased to state :—

(a) when the foundation stone of Lala Lajpat Rai Veterinary University, Hisar was laid down by worthy CM;

(b) how many works have been done and how much money has been spent at that place after the laying of foundation stone; and

(c) the time by which the building is likely to be completed?

कृषि मंत्री (श्री परमवीर सिंह) :

(क) लाला लाजपत राय, पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय, हिसार का शिलान्यास महामहिम राज्यपाल, हरियाणा द्वारा 15 अगस्त, 2011 के पावन दिवस को किया गया।

(ख) परियोजना प्रबन्धन एजेंसी को विश्वविद्यालय का नया परिसर बनाने के लिए समाचार-पत्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति की अभिरुचि आमंत्रित की गई थी। 10 एजेंसियों को चुना गया है जिनसे वित्तीय निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। चूंकि निर्माण कार्य आरम्भ किया जाना है इसलिए कोई राशि अभी तक व्यय नहीं की गई है।

(ग) इमारत के निर्माण का समय/अवधि सरकार द्वारा धनराशि उपलब्ध कराए जाने पर निर्भर करता है।

Construction of ROB

156. Dr. Hari Chand Middha : Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to State :—

(a) the date by which construction work of the Railway Overbridge on Hansi Road, Patiala Chowk in Jind City is likely to be started; and

(b) the total amount likely to be spent on the aforesaid Railway Overbridge ?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) इस रेलवे उपरिपुल का कार्य अगले वित्तीय वर्ष 2012-13 में आरम्भ किये जाने की संभावना है।

(ख) लगभग 71 करोड़ रुपये।

Appointment of Teachers

160. Master Dharam Pal Obra : Will the Education Minister be pleased to state wether it is a fact that building of the school has been constructed by the Government in Dhani Ola falling under village Kharkari of Loharu Constituency but the appointment of teachers has not been made in the said school; if so, the time by which the appointment of teachers is likely to be made by the Government in the aforesaid school?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) : हां, श्रीमान। यह तथ्य सही है कि सरकार द्वारा ढाणी ओला, गांव खरकड़ी अधीन लोहारू विधान सभा क्षेत्र में स्कूल भवन निर्मित हो चुका है, किन्तु छात्र न होने के कारण अध्यापकों की नियुक्त नहीं की गई है। यह विद्यालय वर्ष 2005-06 में खोला गया था और दो जे.बी.टी. अध्यापक के पद स्वीकृत किए गए थे। स्कूल भवन वर्ष 2005-06 में सर्व शिक्षा अभियान भिवानी द्वारा बनाया गया था। वर्ष 2011-12 में वैज्ञानिकरण के दौरान ये पद, छात्र संख्या उपलब्ध न होने के कारण अन्य विद्यालय में स्थानान्तरित कर दिये गए हैं।

Construction of 33KV Sub-station-Station at Village Kharar Alipur

173. Sh. Ram Niwas Ghorela : Will the Power Minister be pleased to state the time by which the construction work of 33 KV sub-station in village Kharar Alipur is likely to be started ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : वर्तमान समय में गांव खरड़ अलीपुर में एक 33 के.वी. उपकेन्द्र के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

Outstanding Amount of Electricity

177. Smt. Kavita Jain : Will the Power Minister be pleased to state the Districtwise and yearwise total outstanding amount against the electricity consumers for the last five years ?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : श्रीमान, जिला अनुसार तथा वर्ष अनुसार वित्त वर्ष 2006-07 से वित्त वर्ष 2011-12 (नवम्बर-11) तक बिजली उपभोक्ताओं के विरुद्ध कुल बकाया धनराशि अनुबन्ध-ए पर दी गई है।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

अनुबन्ध - ए

जिला अनुसार तथा वर्ष अनुसार (मार्च की समाप्ति पर) पिछले पांच वर्षों में बिजली उपभोक्ताओं के विरूद्ध कुल बकाया धनराशि निम्न प्रकार है :-

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (रुपए करोड़ों में)

सर्कल/जिले का नाम	बिजली उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया धनराशि					
	वित्त वर्ष: 2006-07	वित्त वर्ष: 2007-08	वित्त वर्ष: 2008-09	वित्त वर्ष: 2009-10	वित्त वर्ष: 2010-11	वित्त वर्ष: 2011-12 (नवम्बर 11 तक)
अम्बाला एवं पंचकूला	23.63	24.58	33.79	36.85	33.06	38.46
यमुनानगर	15.37	15.64	21.28	22.37	21.99	24.83
कुरूक्षेत्र	229.29	166.79	43.59	41.68	35.53	37.94
कैथल	-	-	154.81	164.08	168.51	172.67
करनाल	152.99	122.81	127.30	120.34	122.73	134.55
पानीपत	104.72	128.16	137.41	146.82	162.64	162.35
सोनीपत	92.56	90.45	101.70	112.99	125.97	140.49
रोहतक	415.53	260.15	288.40	326.16	373.06	406.43
झज्जर	-	126.21	125.54	138.57	161.81	174.38
जीन्द	478.20	475.77	540.70	630.04	712.32	784.95
उ.ह.बि.वि.नि.	1512.29	1410.56	1574.51	1739.90	1917.62	2077.07

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (रुपए करोड़ों में)

सर्कल/जिले का नाम	बिजली उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया धनराशि					
	वित्त वर्ष: 2006-07	वित्त वर्ष: 2007-08	वित्त वर्ष: 2008-09	वित्त वर्ष: 2009-10	वित्त वर्ष: 2010-11	वित्त वर्ष: 2011-12 (नवम्बर 11 तक)
फरीदाबाद एवं पलवल	316.29	303.88	305.97	285.28	341.89	357.44
गुड़गांव एवं मेवात	161.51	159.61	152.05	153.34	184.39	189.25
नारनौल (महेन्द्रगढ़ एवं रेवाड़ी)	303.32	199.75	241.88	228.66	270.89	304.02
भिवानी	587.93	358.68	326.00	393.46	462.36	526.82

हिसार एवं फतेहाबाद	259.97	233.15	278.31	316.99	362.42	407.79
सिरसा	29.25	17.79	20.63	24.57	24.19	29.76
द.ह.बि.वि.नि.	1658.26	1272.86	1324.84	1402.30	1646.13	1815.09

कुल योग	बिजली उपभोक्ताओं के विरूद्ध बकाया धनराशि					
(उ.ह.बि.वि.नि. + द.ह.बि.वि.नि.)	वित्त वर्ष: 2006-07	वित्त वर्ष: 2007-08	वित्त वर्ष: 2008-09	वित्त वर्ष: 2009-10	वित्त वर्ष: 2010-11	वित्त वर्ष: 2011-12 (नवम्बर 11 तक)
	3170.55	2683.42	2899.34	3142.19	3563.75	3892.16

Roads constructed under Pardhanmantari Gramin Sarak Yojna

179. Shri Rampal Marja : Will the PWD(B&R) Minister be pleased to state:—

(a) whether roads have been constructed under the Pradhanmantri Gramin Sarak Yojna in the State; and

(b) if so, the amount released under the Pradhanmantri Gramin Sarak Yojna since March, 2005 till date along with the yearwise details thereof ?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(क) हां श्रीमान जी।

(ख) प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार वर्ष 2005-06 से अब तक वर्ष अनुसार स्वीकृत और जारी की गयी धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष	ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वीकृत धनराशि (करोड़ रुपयों में)	ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गयी धनराशि/(करोड़ रुपयों में)
2005-06	84.25	20.11
2006-07	199.64	316.82
2007-08	446.82	206.84
2008-09	371.79	165.00
2009-10	241.63	255.49
2010-11	--	157.75
2011-12	--	60.00

Fine Collected by the Traffic Police

130. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Chief Minister be pleased to state the Districtwise breakup of total fine collected by the traffic police for traffic related offences/challan in the last two financial years including the current one?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : श्रीमान जी, जिलावाईज यातायात पुलिस द्वारा यातायात सम्बन्धित अपराधों के किये गये चालानों द्वारा प्राप्त की गई जुर्माना की राशि वित्तीय पिछले दो वर्षों, तत्कालीन वर्ष सहित विवरण निम्न प्रकार से है :--

क्र.सं.	जिला का नाम	जुर्माना राशि		
		2009-10 (₹)	2010-11 (₹)	2011-12 (₹)
1	अम्बाला	43,59,000	1,85,83,600	1,41,03,700
2	कैथल	31,29,200	73,03,200	78,69,400
3	यमुनानगर	78,97,600	1,09,92,800	1,06,15,200
4	पंचकूला	94,99,200	1,60,85,100	1,84,96,200
5	कुरूक्षेत्र	26,92,200	78,69,200	60,55,200
6	करनाल	57,98,900	1,61,11,700	1,31,60,600
7	पानीपत	1,38,17,200	2,29,40,900	3,36,50,900
8	सोनीपत	1,06,41,600	2,32,62,400	2,35,51,800
9	रोहतक	92,50,500	1,25,13,800	1,45,57,100
10	झज्जर	27,95,000	88,54,800	1,15,87,100
11	हिसार	1,15,82,700	1,59,24,000	1,11,06,000
12	जीन्द	32,18,200	59,12,500	1,10,57,700
13	सिरसा	52,66,000	68,49,200	1.06,16,400
14	फतेहाबाद	25,65,000	13,28,700	48,31,700
15	भिवानी	80.27,500	92.13.500	1,29.25,300
16	फरीदाबाद	77,16,500	2,26,36.000	4,13,14,300
17	गुड़गांव	2,64,10,000	3,54.67,000	4,72,22,700

18	मेवात	3,06,400	87,54,100	2,35,97,400
19	नारनौल	16,46,100	55,02,800	87,79,100
20	रिवाड़ी	53,69,300	67,29,850	1,53,72,700
21	पलवल	49,90,100	35,77,900	6,48,200
	कुल	**14,69,78,200**	**26,64,13,050**	**34,11,18,700**

Steps to Check the Land Erosion

137. Shri Bishan Lal Saini : Will the Irrigation Minister be pleased to state whether it is a fact that lands of farmers of village Lal Chhapar of District Yamuna Nagar are being croded by the river due to construction of a small barrage on the Yamuna River near village Lal Chhapar for laying of the Gas Pipe Line by the L & T Company; if so, whether any steps are being taken by the Government to check the land erosion?

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चड्ठा) : नहीं श्रीमान जी। गैस प्राधिकरण आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 2011 की बाढ़ से पहले एक पाईप लाईन यमुना नदी के तल के नीचे डाली गई थी। यह पाईप लाईन नदी के तल के नीचे डाली गई है और इसका कुछ भी हिस्सा भूमि के ऊपर नहीं है। नदी के तल पर बैराज जैसा कोई ढांचा नहीं है। इस पाईप लाईन के बिछाने से कोई मिट्टी का कटाव भी नहीं देखा गया है। इस पाईप लाईन के बिछाने के बाद बाढ़ का मौसम भी निकल चुका है।

यद्यपि गैस प्राधिकरण आफ इण्डिया लिमिटेड की इस पाईप लाईन के कारण कोई मिट्टी का कटाव नहीं हुआ है फिर भी सिंचाई विभाग हरियाणा द्वारा 62.39 लाख रुपए की लागत से गांव लालछप्पड़ के किसानों की भूमि के किसी भी तरह के कटाव को रोकने के लिए 11 नं० स्टड बना दिए गये हैं।

Total Sanctioned Posts in the PHED

124. Shri Sampat Singh : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state:—

(a) the total number of posts alongwith name of posts sanctioned in the Public Health Engineering Department in Haryana togetherwith engineering and non-egineering staff separately, and

(b) the number alongwith name of posts out of the above said posts lying vacant togetherwith the date and time by which these posts are likely to be filled up ?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) :

(क) इंजीनियरिंग पोस्ट

क्रम संख्या	पदों के नाम	स्वीकृत पद
1	प्रमुख अभियंता	1
2	मुख्य अभियंता	4
3	अधीक्षक अभियंता	20
4	कार्यकारी अभियंता (सिविल एवं यांत्रिक)	71
5	उपमंडल अभियंता	180
6	कनिष्ठ अभियंता	609
	कुल	**885**

इंजीनियरिंग पोस्ट

क्रम संख्या	पदों के नाम	स्वीकृत पद
1	कैमिस्ट	20
2	रजिस्ट्रार	01
3	अधीक्षक मुख्यालय व फील्ड	19
4	निजी सचिव	1
5	सर्किल मुख्य प्रारूपकार	18
6	मुख्य प्रारूपकार ड्राफ्ट्समैन	68
7	सहायक ड्राफ्ट्समैन	152
8	अनुरेखक	23
9	उप अधीक्षक मुख्यालय व फील्ड	61
10	सहायक मुख्यालय व फील्ड	158
11	सब डिविजनल क्लर्क	174
12	क्लर्क मुख्यालय व फील्ड	524
13	निजी सहायक	03
14	जुनियर स्केल आशुलिपिक	16
15	स्टेनो टाइपिस्ट मुख्यालय व फील्ड	61
16	जुनियर प्रोग्रामर	71

17	फेरो प्रिंटर	2
18	दफ्तरी मुख्यालय व फील्ड	12
19	फेरो प्रिंटर	2
20	फेरो खलासी	2
21	चपरासी (मुख्यालय और फील्ड)	405
22	जमादार चपरासी (मुख्यालय और फील्ड)	13
23	चौकीदार	258
24	स्वीपर	52
25	एसी चार्जमैन	1
26	एयर कंडीशनिंग सहायक	5
27	एपीओ	83
28	सहायक (मैकेनिकल / इलैक्ट्रिकल) फोरमैन	14
29	सहायक बरमे वाला	1
30	बिन कार्ड क्लर्क	15
31	बेलदार	2112
32	ग्रेड-1 बढ़ई/ग्रेड-मैं/मैसन व बढ़ई ग्रेड मैं मैसन व बढ़ई ग्रेड-1 बढ़ई	6
33	बिल वितरक	26
34	ग्रेड द्वितीय बढ़ई/ग्रेड-मैं/मैसन व बढ़ई ग्रेड मैं मैसन व बढ़ई ग्रेड द्वितीय बढ़ई	6
35	बिल व मीटर रीडर हैल्पर	1
36	चार्जमैन वायु	1
37	बिन कार्ड सहायक	1
38	चार्जमैन/मैकेनिकल इलैक्ट्रिकल	54
39	बढ़ई हैल्पर	4
40	कंप्रेसर/चालक गैस ड्राईवर	2
41	चार्जमैन हैल्पर	12
42	डीजल ऑटो मोटर मैकेनिकल	10
43	चौकीदार	96

[श्रीमती किरण चौधरी]

44	ड्रिलिंग फोरमैन	2
45	कंप्रेसर चालक सहायक	1
46	इलैक्ट्रिशियन	73
47	यांत्रिक सहायक डीजल	8
48	इलैक्ट्रिशियन-ग्रेड मैं	4
49	सहायक इलैक्ट्रिकल	193
50	फिटर	254
51	सहायक अग्निशमन	03
52	(मैकेनिकल/इलैक्ट्रिकल) फोरमैन	10
53	फिटर कुली	507
54	भारी वाहन चालक	92
55	सहायक फिटर	392
56	एल/मिस्त्री	1
57	जीआर डी/एच	5
58	प्रयोगशाला सहायक	7
59	हैल्पर	59
60	हल्के वाहन चालक	22
61	कीमैन	377
62	मेसन	14
63	प्रयोगशाला परिचर	3
64	ग्रेड-मैं मेसन	3
65	प्रयोगशाला तकनीशियन हैल्पर	1
66	ग्रेड द्वितीय मेसन	3
67	लेजर की सहायक	1
68	मैक सुपरविसेर	1
69	माली	18
70	मैकेनिकल फिटर	19
71	माली चौकीदार	3029

72	ऑपरेटर एयर कंडीशनिंग ग्रेड-मै	2
73	मेसन-सह-बढ़ई हैल्पर	7
74	ऑपरेटर एयर कंडीशनिंग/ ग्रेड-द्वितीय एसी पर्यवेक्षक	1
75	मेसन हैल्पर	8
76	पेंटर	5
77	मैकेनिकल फिटर / सहायक	40
78	पेंटर ग्रेड - द्वितीय	1
79	ओइलमैन	17
80	पाइप फिटर ग्रेड मैं	13
81	पेंटर सहायक	1
82	पाइप फिटर ग्रेड द्वितीय	176
83	सिपाही	158
84	नलसाज - ग्रेड मैं	49
85	नलसाज ग्रेड द्वितीय	83
86	सहायक नलसाज	73
87	नलसाज - सह - फिटर सहायक	1
88	स्टोर क्लर्क	4
89	पम्प परिचर	1142
90	स्टोर कीपर	19
91	सहायक सीवर	251
92	स्टोर मुंशी	26
93	सीवर आदमी	205
94	स्तर प्रेक्षक	9
95	कुशल कुली	36
96	पर्यवेक्षक विद्युत/ग्रेड-II इलेक्ट्रिशियन	8
97	स्टोर परिचर	9
98	सर्वेयर	9
99	स्टोर कुली	48
100	टी / डब्ल्यू बरमे	2

[श्रीमती किरण चौधरी]

101	सर्वेक्षण खलासी	14
102	डब्ल्यू वर्क्स पर्यवेक्षक	4
103	स्वीपर	4
104	पानी के अधीक्षक ग्रेड - मैं काम करता है	1
105	टी / भाग लेने के	3
106	जल ग्रेड - द्वितीय अधीक्षक काम करता है	7
107	टी मेट	7
108	जल मीटर रीडर विधेयक / क्लर्क	68
109	ट्रक वाहन क्लीनर	26
110	जल पम्प संचालक ग्रेड - मैं	89
111	जल पम्प ऑपरेटर ग्रेड द्वितीय	1687
112	वाटर पम्प ऑपरेटर (डी)	9
113	वेल्डर	3
114	खैर छिद्रक	4
115	कार्य निरीक्षक	9
116	पर्यवेक्षक का कार्य	274
117	वाटर पम्प ऑपरेटर	856
	कुल	15136

(ख) इंजीनियरिंग पदों की रिक्ति

संख्या	पदों के नाम	रिक्त पद
1	सब डिविजनल इंजीनियर	32
2	जुनियर इंजीनियर	138
	कुल	170

गैर इंजीनियरिंग पदों की रिक्ति

संख्या	पदों के नाम	रिक्त पद
1	रसायनज्ञ	12
2	रजिस्ट्रार	1
3	(क्षेत्र) अधीक्षक	7

4	प्रमुख नक्शानवीस	6
5	सहायक ड्राफ्ट्समैन	87
6	उप अधीक्षक (फील्ड)	8
7	(फील्ड) सहायक	12
8	उप डिवीजनल क्लर्क	5
9	क्लर्क (प्रधान कार्यालय और फील्ड)	312
10	आशुलिपिक	12
11	स्टेनो (प्रधान कार्यालय फील्ड) टाइपिस्ट	39
12	जुनियर प्रोग्रामर	71
13	(फील्ड) दफ्तरी	5
14	(मुख्यालय और फील्ड) चपरासी	10
15	जमादार चपरासी (फील्ड)	5
16	एयर हालत चार्जमैन	3
17	एयर हालत ऑपरेटर ग्रेड-1	3
18	ए.सी. पर्यवेक्षक	2
19	ऑटो मैकेनिकल डीजल	1
20	ऑटो फोरमैन विविध	2
21	ऑटो मैक. चार्जमैन	1
22	बेलदार टी मेट	403
23	विधेयक लिपिक	2
24	बढ़ई जीआर. मैं	8
25	बढ़ई जीआर. द्वितीय	1
26	चार्जमैन विद्युत	7
27	चार्जमैन मैकेनिकल	13
28	चार्जमैन विविध	3
29	कंप्रेसर चालक	6
30	डीजल मैकेनिक सहायक	5
31	इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-I	29
32	इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-II	44

[श्रीमती किरण चौधरी]

33	फिटर परिचर	4
34	फिटर कुली हैल्पर	284
35	फिटर - ग्रेड मैं	51
36	फिटर ग्रेड द्वितीय	385
37	गैस बरमे वाला	1
38	हथौड़ा बरमे वाला	1
39	हैड माली	4
40	हैवी ड्यूटी फोरमैन	1
41	हैवी ड्यूटी विद्युत फोरमैन	1
42	हैवी ड्यूटी यांत्रिक फोरमैन	2
43	जैक हैमर बरमे	1
44	ग्रेड-I मेसन	11
45	ग्रेड द्वितीय मेसन	16
46	मेसन सह बढ़ई	1
47	मेसन सह बढ़ई ग्रेड-I	3
48	मैक. फिटर	25
49	मैक. पर्यवेक्षक	1
50	ओइलमैन / पेत्रोलमन	60
51	पेंटर ग्रेड-I	9
52	पेंटर ग्रेड-II	12
53	पेंटर हैल्पर	2
54	नलसाज ग्रेड-II	104
55	पम्प मैके.	1
56	सीवर सह चौकीदार	3
57	शिफ्ट इंजीनियर	1
58	कुशल कुली	9
59	स्टोर मुंशी	2
60	स्तर प्रेक्षक	7

61	पर्यवेक्षक	5
62	स्वीपर हैल्पर	353
63	उपकरण ऑपरेटर मैक.	2
64	टी मेट	14
65	अच्छी तरह से ट्यूब चालक	6
66	टर्नर	2
67	वाहन चालक भारी	28
68	जल पम्प संचालक ग्रेड-I	324
69	जल वर्क्स अधीक्षक ग्रेड-I	3
70	वैल्डर	1
71	स्प्रे छिड़क	5
72	व्हाइट वाशर	1
73	निरीक्षक का कार्य	9
74	कार्य मिस्त्री	31
75	कार्य / मिस्त्री कार्य पर्यवेक्षक	112
76	कार्य मुंशी	214
77	जल पम्प संचालक ग्रेड-II	388
	कुल	**3625**

विभिन्न श्रेणियों के तहत खाली पड़े पदों की भर्ती विभिन्न स्तरों पर की जानी है इन पदों को भरने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है।

Supply of Water in Sunder Branch

157. Dr. Hari Chand Midha : Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) the total cusecs of water being drawn for Hansi area and district Jind from the Sunder Branch;

(b) the date on which desilting work of the aforesaid canal was got done by the Government; and

(c) the steps being taken by the Government to desilt the aforesaid canal in future?

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) :

(क) सुन्दर सब ब्रांच की खरीफ मौसम की क्षमता 2611 क्यूसिक व रबी मौसम की क्षमता 1911 क्यूसिक है। सुन्दर सब ब्रांच से 15 चैनल निकलती हैं जिससे जिला जीन्द व हांसी क्षेत्र में सिंचाई होती है। इन 15 चैनलों में से केवल दो चैनलों के अन्तक्षोर से हांसी के थोड़े से क्षेत्र की ही पूर्ति होती है। जिला जीन्द में 250 दिनों में सुन्दर सब ब्रांच से 68275 क्यूसिक दिन का पानी चला है। जिसमें से दिनांक 01-04-2011 से 31-01-2012 तक हांसी क्षेत्र के लिए थोड़ा ही पानी छोड़ा गया है।

(ख) सुन्दर सब ब्रांच की गाद निकालने का कार्य अन्तिम बार वर्ष 1998 में किया गया था।

(ग) सुन्दर सब ब्रांच की आन्तरिक सफाई का कार्य वर्ष 2012-13 में किया जाना प्रस्तावित है।

Shortage of Drinking Water

161. Master Dharam Pal Obra : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of drinking water in villages Gaindawas, Bidhwan, Dhani Sheelawali, Sherla, Gopalwas, Obra, Singhani, Sohansda and Chaihar Kalan of Loharu Constituency; if so, the time by which the water works is proposed to be set up in the aforesaid villages; and

(b) whether any separate scheme to supply drinking water in Loharu and Allaudinpur has been formulated?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) :

(क) जी नहीं श्रीमान्। लोहारू निर्वाचनक्षेत्र के गांव गैंडावास, बिधवान, ढाणी शीलावाली, शेरला, गोपालवास ओबरा, सिंघानी, सोहांसडा तथा चैहड़ कलां में पीने के पानी का स्तर 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन या अधिक अनुरक्षित किया जा रहा है।

(ख) लोहारू शहर में स्वतंत्र टयूबवैल आधारित योजना के माध्यम से 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी दिया जा रहा है। जल आपूर्ति स्तर को 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बढ़ाने के लिए 216.00 लाख रुपये लागत की एक टयूबवैल आधारित बढ़ौत्तरी योजना हाल ही में 14.12.2012 को तेहरवें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनुमोदित की गई है।

गांव अलाऊदीनपुर को 3 टयूबवैलों पर आधारित स्वतंत्र योजना से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने का पानी दिया जा रहा है, अत: पृथक योजना की जरूरत नहीं है।

Construction of Secretariat at Barwala

174. Shri Ram Niwas Ghorela : Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state the time by which the Secretariat building is likely to be constructed in Barwala city as the city has been upgraded to a Sub-Division?

राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : स्पीकर सर, लघु सचिवालय के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित की जा रही है। भूमि प्राप्त होने के पश्चात् भवन के निर्माण हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have to inform the House that I have received an intimation from Capt. Ajay Singh Yadav, Power Minister, Haryana in which he has expressed his inability to attend the sitting of this House today i.e. on 24th February, 2012 due to marriage of his nephew.

I have also received a communication from Shri Prahlad Singh Gillankhera, Chief Parliamentary Secretary, Haryana in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House today on account of wedding in his family.

Hon'ble Members, I have to further inform you that Hon'ble MLA, Shri Zile Ram Chochra is not coming to the House today. He has expressed his inability on account of his daughther's wedding on 24th and 25th February, 2012.

विभिन्न मामलों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को उठाना

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैंने और हमारी पार्टी के दूसरे सदस्यों ने आपकी सेवा में कालिंग अटैंशन मोशन्ज और एडजर्नमैंट मोशन भी दी थी, उनका फेट क्या है? अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में लॉ एंड आर्डर की स्थिति बड़ी दयनीय है इसलिए इस मामले पर बहस के लिए हमने एक एडजर्नमैंट मोशन दी थी आप पहले इस मामले पर बहस करवाएं। हमने आपको बिजली की प्राईवेटाईजेशन के बारे में, डेरों और ढाणियों को बिजली देने के बारे जो कालिंग अटैंशन मोशन दी हैं उनका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : माजरा साहब, अभी आप बैठिए। मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, * * *

Mr. Speaker : Nothing to be recorded. It is not a part of the record.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य को लेकर यहां हमारे अलग-अलग साथियों के दो कालिंग अटैंशन मोशंज लगे हैं। कम से कम उनके ऊपर मंत्री जी जवाब भी देंगे। सच बात यह है कि सिवाए व्यवधान डालने के और सिवाए शोर डालने के हमारे इन

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

साथियों को और कार्य नहीं है। आज जो महत्वपूर्ण कालिंग अटैंशन मोशंज लगे हैं। ये उनमें पार्टिसिपेट करें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing to be recorded here.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह लोगों के स्वास्थ्य का प्रश्न है, इमरजैंसी सेवाओं का प्रश्न है। मिनिस्टर यहां मौजूद हैं वे जवाब देंगे। ये केवल व्यवधान डालने के लिए, शोर डालने के लिए या अखबार में सुर्खियाँ बनाने के लिए आते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) : अध्यक्ष महोदय, आज 15 सवाल प्रश्न काल के दौरान लगे हैं जिन पर पूरी तरह से चर्चा की गई है। इतने सवाल आज तक कभी नहीं लगे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, हम क्वेश्चन आवर के बारे में नहीं कह रहे हैं बल्कि हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जो हमने जो कालिंग अटैंशन मोशंज दिये थे उनका फेट क्या हुआ?

Mr. Speaker : Alright, Please sit diwon, I tell you about it please.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कालिंग अटैंशन मोशन regarding salaries of Police personnel which is less than the other employees of the State दिया था उसका क्या फेट है। सर, आज हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों में कम वेजीज को लेकर बहुत असंतोष है। हरियाणा के आम कर्मचारी को पंजाब के कर्मचारी से आधी तनख्वाह मिलती है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हरियाणा नम्बर वन है दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हरियाणा का कर्मचारी दूसरे स्टेट के कर्मचारियों से काफी मामलों में पिछड़े हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहिब, आपका यह कालिंग अटैंशन मोशन गवर्नमैंट के पास कमैंटस के लिए भेज दिया है। प्लीज, आप बैठिये। प्लीज, एजेंडा पर स्टिक रहिए, प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) Alright, please sit down. I will tell you about it.

श्री अनिल विज : सर, मेरा दूसरा कालिंग अटैंशन मोशन regarding agreement between HSIIDC and Reliance signed in 2006 to develop a SEZ in Gurgaon-Jhajjar region उसका क्या फेट है ?

श्री अध्यक्ष : आपका यह मोशन डिसअलाऊ हो चुका है, आप बैठिए।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, आप इतने कठोर नहीं हो सकते।

श्री अध्यक्ष : विज साहिब, जो पहले कालिंग अटैंशन मोशन आया है हम उसके बारे में बात कर लें। आप प्लीज बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) ये भी सदन के सदस्यों का ही है किसी और का नहीं है। ये माननीय एम.एल.ए. श्री अभय सिंह जी तथा दूसरे माननीय सदस्यों का कालिंग अटैंशन मोशन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : सर, हम कालिंग अटैंशन मोशन के बारे में कह रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारे कालिंग अटैंशन मोशंज थे उनका फेट क्या हुआ ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले आप बैठ जाइए, उसके बारे में भी आपको बताया जायेगा और उस पर भी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। प्लीज, आप सब बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान) Hon'ble Members, please be seated. Resume your seat.

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, पहले आप कॉल अटैंशन मोशन पर डिसीजन करें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय * * *

Mr. Speaker : Hon'ble Members, please resume your seats. I will give you the detail in this regard.

डॉ अजय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काल अटैंशन मोशन दिये हैं जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, बिजली पानी की समस्या है, वृद्धावस्था पेंशन का मामला है, सेज का मामला है। आप इनका फैक्ट बता दें।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded because I can't hear two people at one point of time. (Interruption) I did not allow you to speak. Please take your seat. (शोर एवं व्यवधान) आपने जो करना है वह करिए। आप बगैर परमिशन के बोलना शुरु करते हो। (शोर एवं व्यवधान) How can you comment on the Chair? I can not be dictated by anybody. Dr. Ajay Singh Chautala, please continue. (शोर एवं व्यवधान) Vij Sahib, if you speak after taking my permission, I will allow you. (शोर एवं व्यवधान)

डॉ अजय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, हमने महत्वपूर्ण विषयों पर कालिंग अटैंशन मोशंज दिये हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, बिजली पानी की समस्या है, वृद्धावस्था पेंशन का मामला है और सेज का मामला है। इनसे महत्वपूर्ण इशू और क्या होंगे? अगर हम सदन में भी उन सब इशूज पर डिस्कशन नहीं कर सकते तो कहां करेंगे? अगर इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को आप नजरअंदाज करेंगे तो हम अपनी बात कहां पर रखेंगे?

श्री अध्यक्ष : किसी मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जायेगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करते समय आप इन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इन मुद्दों पर चर्चा अवश्य करवाएंगे। जिन इशूज पर गवर्नमैंट का स्टेटमैंट गवर्नर ऐड्रस के रूप में आया है, उस पर सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका अवश्य दिया जायेगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय * * *

डॉ अजय सिंह चौटाला : प्रदेश के लोग यह उम्मीद करते हैं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर हाउस में चर्चा अवश्य होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सरटेनली, हम उन इशूज पर यहां चर्चा करवाएंगे। I give assurance to you. (शोर एवं व्यवधान) जब स्पीकर कहता है कि चर्चा कराएंगे तो कराएंगे। I will not run away from anything that I will say. (Interruption).

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय ***

श्री अध्यक्ष : विज साहब, अब लीडर ऑफ दि अपोजीशन कुछ कहना चाह रहे हैं। आप तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) Not to be recorded.

श्री अनिल विज : ***

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, काल अटैंशन मोशंज कई सारी आयी हैं, ऐडजर्नमैंट मोशन भी आई है फैसला आपने करना है कि किसको डिसअलाऊ करना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय ***

Mr. Speaker : Not to be recorded. I have allowed Shri Om Prakash Chautala ji to speak because he has sought my permission. Nobody should interrupt him.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह फैसला आपने करना है। आज सबसे अहम मुद्दा प्रदेश में कानून व्यवस्था का है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। हालत इतनी बुरी है कि जिसका उल्लेख हम यहां करेंगे तो ये सुन नहीं पाएंगे। आज किसी भी नागरिक की जान माल और इज्जत सुरक्षित नहीं है। आपसे अनुरोध है कि यह जरूरी मसला है इसलिए सारी बातों को छोड़कर पहले इस विषय पर चर्चा की जाए ताकि प्रदेश की जनता थोड़ी बहुत संतुष्ट हो। आज ऐसा लगता है कि प्रदेश में कोई गवर्नमैंट ही नहीं है। थाने में थानेदार मारे जा रहे हैं, अदालतों में वकील मारे जा रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, इन मुद्दों पर चर्चा करवाएंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ऐडजर्नमैंट मोशन पर चर्चा ज्यादा जरूरी है। आप बाकी सारे कार्य रोककर इस पर चर्चा कराएं और उसके बाद दूसरा कोई काम टेकअप करें।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आज का हमारा ऐजेंडा फिक्स है पहले उस पर बात कर लेंगे उसके बाद दूसरे इश्यूज पर चर्चा कर लेंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पहले इस मुद्दे पर चर्चा कर ली जाए तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : यह निर्णय तो आप मुझ पर छोड़ दें।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय ***

Mr. Speaker : It is not a part of record.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय ***

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, डिसीजन तो आपने ही लेना है और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपका डिसीजन ठीक होगा। हमारी संस्कृति में भी है कि बड़े जब जाते हैं, पेरेन्ट्स जब जाते हैं तो बच्चों को सिखाकर जाते हैं कि आप सभी लोगों के साथ समान

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

व्यवहार करना। पण्डित जी ने भी आपको यह बात जरूर कही होगी। उन्होंने यह भी जरूर कहा होगा कि आप इस पद की गरिमा को बनाये रखेंगे। आप स्पीकर हैं और इस आउस के कस्टोडियन हैं इसलिए आपका सबके साथ समान बर्ताव होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पण्डित जी के कहे पर अमल जरूर करेंगे लेकिन आपका जो कल का रवैया था उससे मुझे फिर शंका होगी कि आप उनके कहे पर पूरा नहीं उतर पायेंगे।

श्री अध्यक्ष : देखों चौटाला साहब, मेरे पिता जी को मेरे ऊपर कोई शंका नहीं थी।

Shri Randeep Singh Surjewala : No aspersion on the Chair should be recorded.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि लीडर ऑफ दि हाउस को यह अधिकार हासिल हैं कि वह किसी भी मामले में कभी भी इन्टरवीन कर सकते हैं लेकिन यह नहीं कि कोई भी सदस्य बीच में खड़ा हो जाए और आप उसको बोलने की छूट दे दें यह अच्छी परम्परा नहीं है आप अच्छी परम्परा को कायम रखें।

Mr. Speaker : I will not allow.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को तो मेरे खड़े होते ही पीड़ा हो जाती है। Chaudhary Om Prakash Chautala should know the powers and functions of the Parliamentary Affairs Minister. Under the constitutional provisions and under the parliamentary practice Parliamentary Affairs Minister can intervene any time with the permission of the Speaker.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपसे मुजबान अर्ज है कि यह एक बड़ा जरूरी मसला है इसलिए इस पर चर्चा पहले की जाए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब यह पता कैसे लगा कि मेरे पिताजी को मुझ पर शक था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल भी शक नहीं था। मुझे उनकी सेवा करने का बहुत अवसर मिला है। मेरे प्रति उनका अगाध स्नेह था। मुझे उनके हालात की पूरी जानकारी है। इसलिए मैं यह बात कहता हूं क्योंकि मैं उस समय यहां उपस्थित नहीं था लेकिन आपको वे यह सुझाव जरूर देकर गये होंगे और मुझे उम्मीद थी कि आप उनके सुझाव पर अवश्य अमल करेंगे लेकिन कल का तलख तजुर्बा है इसलिए मैं समझता हूं कि शायद आप उस पैमाने पर पूरे नहीं उतर पाये।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, मेरी यही इच्छा है कि हरेक बेटा अपने बाप की भावनाओं और नक्शे कदम पर चले लेकिन शायद हर बेटा चल नहीं पाता।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कोशिश तो करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, मैं कोशिश जरूर करूंगा।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को सुझाव दें कि वे भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा हूं। मैंने अपने बाप की छवि को कभी धूमिल नहीं होने दिया। मैं उन्हीं के बताये हुए रास्ते पर चल रहा हूं। मुख्यमंत्री से तो उम्मीद नहीं है लकिन स्पीकर साहब मैं आपसे जरूर उम्मीद करता हूं कि आप अपने पिताजी के नक्शे कदम पर चलेंगे।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं नेशनल पार्टी का लीडर हूं इसलिए मुझे पहले बोलने की इजाजत दी जाए। मेरे जो दो कालिंग अटैंशन मोशन गुड़गांव व झज्जर क्षेत्र में सेज के बारे में और पुलिस पर्सोनल को दूसरे कर्मचारियों के मुकाबले कम सैलरी देने के बारे में हैं। उनके बारे में बता दें।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, मैं आपके एक कालिंग अटैंशन मोशन को पहले की डिसअलाऊ कर चुका हूं और दूसरा गवर्नमैंट को कमैंटस के लिए भेज दिया है। आप बिना चेयर की परमिशन के बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। आप बैठिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, लेकिन लॉ एण्ड ऑर्डर के मामले पर सारा दूसरा बिजनैस छोड़कर पहले चर्चा की जाए इसके लिए हम आप से मुजबान अर्ज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, प्लीज, पहले मेरी बात सुनिए। एक कालिंग अटैंशन मोशन जो श्री सम्पत सिंह, श्री अभय सिंह चौटाला और श्रीमती सुमिता सिंह जी का हैल्थ के बारे में है पहले उसे टेक आप करना है।

श्री अनिल विज : ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर सर।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह मसला सबसे ज्यादा जरूरी है पहले इस पर चर्चा जरूरी है उसके बाद आप चाहे जिसे अलाऊ करो या डिस अलाऊ करो यह आपकी मर्जी है क्योंकि यह एक ऐसा इश्यू है कि प्रदेश में कोई नागरिक अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, अभी तो मैं पहले इस कालिंग अटैंशन मोशन को टेक अप करूंगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बाकी कालिंग अटैंशन मोशन्ज को आप दूसरे नम्बर पर लें, अलाऊ करें या डिस अलाऊ करें यह आपके अधिकार क्षेत्र में है लेकिन यह बहुत ही बर्निंग इश्यू है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप जब गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करें उस समय आप इस विषय पर भी चर्चा कर लेना।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, उस समय तो चर्चा होगी ही होगी और निश्चित रूप से चर्चा होगी लेकिन यह उससे भी ज्यादा जरूरी मसला है।

श्री अध्यक्ष : गवर्नर एड्रेस में कानून व्यवस्था के बारे में सरकार ने जो अपनी बात कही है उस पर आप चर्चा कर सकते हैं। उस समय आपको बोलने का पूरा समय दिया जायेगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपको इस समय चर्चा कराने में क्या आपत्ति है, पहले इस इश्यू को ले लीजिए इस मसले पर चर्चा करा लीजिए बाद में दूसरे इश्यू ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, हैल्थ एक बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है हैल्थ की बड़ी खराब हालत है और यह बहुत बड़ा इश्यू है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब जान माल ही सुरक्षित नहीं है तो हैल्थ क्या काम आयेगी?

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आपको लॉ एण्ड आर्डर पर बोलने का पूरा समय दिया जायेगा और मैं आपको इन्श्योर करूंगा कि जब आप बोलें तो दूसरा सदस्य कोई नहीं बोले। आपको 60-70 मिनट तक बोलने की पूरी सुविधा दी जायेगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप इतना समय मुझे देंगे। मैं आपसे उतना ही टाईम मांगूगा जितना हमारा हक है। जितने सदन के मैम्बर्स हैं उस टाईम को उसके हिसाब से डिवाईड कर लेना।

श्री अध्यक्ष : चलो, आप उस हिसाब से देख लेना लेकिन चौटाला साहब, आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब बोलें तब कानून व्यवस्था पर भी बोल सकते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनडयू फेवर का पक्षधर नहीं हूं। मेरा जितना अधिकार है वह मुझे मिल जाए इसके लिए मैं आपकी बहुत तारीफ करूंगा यहां नहीं करूंगा बल्कि हर जगह करूंगा।

श्री अध्यक्ष : पिछली बार भी आपने मेरी तारीफ की थी और मैंने आपकी अनडयू फेवर की भी थी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने अनडयू फेवर की भी थी लेकिन कल तो आपने बेड़ा ही बैठा दिया। हम आपसे सीधे से एक मसले की रूलिंग मांग रहे थे।

श्री अध्यक्ष : ओम प्रकाश चौटाला जी, हम आपसे गाइडैंस लेंगे क्योंकि आप कई बार यहां सदस्य बनकर आ चुके हैं। अभी तो मैं आपसे सीख रहा हूं। आपने मुझे सलाह दी है मुझे उससे सीखने का मौका तो दो।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप यह बात एडजर्नमैंट मोशन पर पहले चर्चा करवाकर ही शुरू कर लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये यह तो बता दें कि बेड़ा किसका बिठा दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको यह बात अब कौन समझाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आपने तो सारे हाउस का ख्याल रखा है और आप तो किसी का बेड़ा नहीं बिठाते। आपने किसका बेड़ा बिठा दिया आप हमें तो ये बता दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : बेड़ा तो था ही नहीं। बेड़ा तो इन्होंने बिठा दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ओम प्रकाश चौटाला जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप गवर्नर एड्रैस पर लॉ एण्ड आर्डर पर जितना चाहे बोल लें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, फिर आप अभी ही क्यों नहीं लॉ एण्ड आर्डर के मुद्दे पर बहस शुरू करवा देते।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, सम्पत सिंह जी के कालिंग अटैंशन मोशन के बाद जब गवर्नर एड्रैस पर चर्चा होगी तब आप बोल लेना।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आगाज अच्छा होगा तो अंजाम निश्चित रूप से अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : जनाब अंजाम भी अच्छा होगा। चौटाला साहब अब आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में प्वांयट आफ आर्डर कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने कोई बात ही नहीं कही। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमें बोलने ही नहीं देंगे तो हमें एज ए प्रोटेस्ट सदन से वाक आउट करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप बैठिए, आपकी उपस्थिति से ही सदन की गरिमा बढ़ेगी। (शोर एवं व्यवधान)

वॉक आउटस

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप पहले लॉ एण्ड आर्डर पर क्यों नहीं बहस करवा लेते। इसमें आपको क्या आपत्ति है? यह एक बर्निंग इशू है, यहां सभी चाहते हैं कि इस पर डिस्कशन हो, समूचा प्रदेश चाहता है कि इस पर डिस्कशन हो क्योंकि आज प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की हालत बहुत खराब है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंह : सर, हाउस को आर्डर में ले आएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर आप लॉ एण्ड आर्डर इशू पर पहले डिस्कशन नहीं करवाते हैं तो एज ए प्रोटैस्ट हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल लोकदल के सभी सदस्य और शिरोमणी अकाली दल के एक मात्र सदस्य लॉ एण्ड आर्डर इशू पर पहले डिस्कशन न करवाए जाने के विरोध में एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट कर गए)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कालिंग अटैंशन मोशन दिए थे मैं उनका फेट जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने पहले इनका फेट आपको बता दिया है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कालिंग अटैंशन मोशन है---------

Mr. Speaker : Your calling attenion motion has been dislallowed. आप अपनी सीट पर जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी सीट पर जाकर बोलता हूं। मैं आपके डिसीजन का एलोब्रेशन चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपका कालिंग अटैंशन मोशन डिसअलाड हो गया है। आप बैठिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरा कालिंग अटैंशन मोशन किस ग्राउंड पर डिसअलाउ हो गया है?

Mr. Speaker : I need not to tell you the ground.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा कालिंग अटैंशन मोशन डिसअलाउ कर दिया है इसलिए इसके विरोध में हम सदन से वाक आउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य और हरियाणा जनहित कांग्रेस (बी.एल.) की एकमात्र सदस्या अध्यक्ष द्वारा श्री अनिज विज का कालिंग अटैंशन मोशन डिसअलाउ किए जाने के विरोध में एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट कर गए)

ध्यानाकषर्ण प्रस्ताव तथा उस पर वक्तव्य

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a Calling Attention Motion from Shri Sampat Singh regarding deteriorating condition in the Government Hospitals in Haryana. I have admitted it. Smt. Sumita Singh,MLA, Shri Abhey Singh Chautala, MLA and four other MLAs have also given the Call Attention Motion Notice on the similar subject. Smt. Sumita Singh and Shri Abhey Singh Chautala are the first signatories of this Calling Attention Motion Notice. They are allowed to raise supplementaries thereon. Shri Sampat Singh, MLA may kindly read his notice.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा में 52 सिविल अस्पताल, 112 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 441 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2625 उप केन्द्र, आयुर्वेदिक अस्पताल, आयुष केन्द्र, एनआरएचएम केन्द्र हैं। हरियाणा सरकार ने पहले ही पीजीआई/मैडिकल कालेज रोहतक का दर्जा बढ़ा दिया है तथा रोहतक में पंडित भगवत दयाल शर्मा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया है। हरियाणा में तीन और मैडिकल कालेज भी हैं। ज्यादातर अस्पतालों के पास इमारतों की बड़ी-बड़ी संरचना हैं तथा कुछ अस्पतालों के पास पर्याप्त उपकरण भी हैं।

सरकार तथा अन्यों, केन्द्र सरकार तथा रेड क्रास सोसाइटी इत्यादि द्वारा अधिक से अधिक मैडिकल तथा पैरा मैडिकल वाहन भी शामिल किए गए हैं। प्रत्येक वर्ष इमारतों, उपकरणों तथा वाहनों इत्यादि पर भारी बजट खर्च किया जा रहा है। इसलिए हरियाणा सरकार द्वारा गरीब व्यक्तियों को सस्ती चिकित्सा सेवाएं देने के लिए बहुत सी अन्य चिकित्सा तथा बीमा की योजनाएं भी आरम्भ की जा रही हैं। अभी भी ज्यादातर अस्पतालों की दशा बहुत शोचनीय है।

[प्रो० सम्पत सिंह]

दुर्भाग्य से, ज्यादातर अस्पतालों में या तो डाक्टर ही नहीं है या वे सक्षम नहीं हैं। 50 प्रतिशत से अधिक डाक्टरों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के पद रिक्त पड़े हैं। 75 प्रतिशत से भी अधिक विशेषज्ञों के पद भी रिक्त हैं। इसलिए अस्पतालों में गरीब रोगी सामान्य तथा विशेष चिकित्सा सेवाओं का उपयोग नहीं कर सके। अल्ट्रा-साऊण्ड, एक्स-रे प्लांट, डेंटल चेयर भी या तो बिना किसी रख-रखाव के हैं या बिना किसी संचालक के हैं। इन अस्पतालों में प्रयोगशालाएं भी अप्रचलित हैं। इसलिए हरियाणा में गरीब रोगियों की बहुत बड़ी संख्या अपनी देय चिकित्सा सेवाएं प्राप्त नहीं कर सकीं।

श्रेष्ठ चिकित्सा संकाय की कमी है तथा वह भी मेडिकल कालेजों में उपलब्ध नहीं है। इसलिए लोग इन अस्पतालों के कार्यों से निराश हैं। अतः वह हरियाणा सरकार से आधारभूत चिकित्सा सेवाओं में सुधार करने तथा लोगों में विश्वास बहाल करने का अनुरोध करते हैं।

मैं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि आपने इतने काम किए हैं उसके बावजूद इस अत्यावश्यक लोक महत्व के मामले के संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य दें।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-11

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-2 के साथ ब्रेकटिड की गई

श्रीमती सुमिता सिंह : इस महान सदन का ध्यान हरियाणा राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में दूर-दूर तक आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के कार्य संबंधी एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हैं। जीवन शैली में क्रमिक प्रगति तथा परिवर्तन बीमारियों की संख्या में चौंका देने वाली बढ़ोत्तरी की ओर ले गया है, जैसे कि अत्यधिक रक्तचाप, शूगर इत्यादि के परिणामस्वरूप दूर-दूर तक क्षेत्रों में ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक तथा लकवा की घटनाएं हो रही हैं। इसी प्रकार की स्थिति राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों/अन्य जिला सड़कों/राज्य राजमार्गों/राष्ट्रीय राजमार्गों पर विषम समय पर घटित हो रही दुर्घटनाओं के रूप में है। इसी प्रकार की स्थिति अचानक विद्युत्मारण, सांप के काटने, आग, कृषि उपकरणों के संचालन से चोट लगने इत्यादि के मामलों में भी है। आम अनुभूति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से रोगी तथा जीवित रखने योग्य चिकित्सा सहायता की कमी के कारण मर जाते हैं जब तक कि उन्हें इन बीमारियों/दुर्घटनाओं/विपत्तियों के उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाओं वाले अस्पतालों में ले जाया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के पास रात अथवा दिन के किसी भी समय घटित ऐसी अचानक घटनाओं को संभालने के लिए उपकरण नहीं हैं।

वह सरकार से निवेदन करती है कि हाल ही के वर्षों में पूर्वोक्त बीमारियों/दुर्घटनाओं/विपत्तियों में तीव्र प्रयास तथा परिवहन द्वारा आपातिक चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने हेतु लिये गये प्रभावी उपायों एवं ऐसे रोगियों को दाखिल होने के पश्चात् प्रभावी देखभाल के अतिरिक्त शीघ्रातिशीघ्र सम्भव समय में मौके पर तुरन्त चिकित्सा सहायता देने के संबंध में सदन के पटल पर एक वक्तव्य दें।

Mr. Speaker : Now Hon'ble Health Minister will make the statement.

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) : स्पीकर सर, हरियाणा सरकार की यह महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है कि वह अपनी जनता को सस्ती एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। सरकार ने काफी मात्रा में अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की है। सरकार स्टेट प्लान, नॉन प्लान और एनआरएचएम के अन्तर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं तथा चिकित्सा शिक्षा पर लगभग 1702.96 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। वास्तव में सरकार ने इस दिशा में विशिष्ट कदम उठाए हैं जिनमें जरूरी दवाईयों का मुफ्त वितरण, 102 रैफरल ट्रांसपोर्ट सेवाएं, सर्जरी पैकेज प्रोग्राम, इन्दिरा बाल स्वास्थ्य योजना शामिल हैं। वर्ष 2011 में इंडिया टुडे प्रत्रिका ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हरियाणा को प्रथम राज्य का दर्जा दिया है। राज्य सरकार ने शहरी स्वास्थ्य मिशन को शुरू करने का निर्णय लिया है जो फिर से सारे देश में एक उदाहरण साबित होगा।

राज्य में चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) के 2491 पदों में से 2052 पद भरे हुए हैं तथा 439 पद रिक्त हैं। हाल ही में 285 नये पद स्वीकृत किये गये हैं। इसी प्रकार वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एसएमओ) के 412 पदों में से 398 पद भरे हुए हैं और केवल 23 पद रिक्त हैं। आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 552 पदों में से 489 पद भरे हुए हैं। दंतक चिकित्सकों के 528 स्वीकृत पदों में से केवल 33 पद रिक्त हैं। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि चिकित्सकों के 50 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं।

यहां यह भी वर्णित है कि देश में चिकित्सकों की आम तौर पर कमी है। सरकार द्वारा चिकित्सकों की जल्द भर्ती के लिए वर्ष 2009 में विभागीय समिति के माध्यम से विशेष प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले हर महीने चिकित्सकों की भर्ती की जाती थी लेकिन अब यह वर्ष में दो या तीन बार की जाती है। वर्तमान में रिक्त पड़े 349 पदों को भरने के लिए दिनांक 14.02.2012 को विज्ञापन दिया गया है। पिछले 2 वर्षों में साक्षात्कार के 17 दौर हो चुके हैं और 2254 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं जिनमें से 1371 चिकित्सकों ने ज्वाईन कर लिया है। इस प्रणाली से विभाग को चिकित्सकों की कमी की चुनौती से निपटने में प्रभावशाली तरीके से सहायता मिली है। भर्ती की इस प्रक्रिया को सारे देश में सराहा गया है।

चिकित्सकों की उपलब्धता को सहज बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मेवात, सोनीपत तथा करनाल में तीन चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं।

विभाग के उपरोक्त डाक्टरों में से करीब 700 विशेषज्ञ चिकित्सक हैं जोकि पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यहां यह कहना उचित होगा कि विशेषज्ञों के लिए कोई अलग से संवर्ग (कैडर) नहीं है। सरकार ने विशेषज्ञों के सही उपयोग के लिए उनकी नियुक्ति जिला अस्पतालों और उप मण्डल अस्पतालों में करने के लिए नीति निर्धारित की है। इसके द्वारा अस्पतालों में विशेषज्ञों की सेवाएं सुनिश्चित की गई हैं। शेष विशेषज्ञों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त किया गया है। चिकित्सकों को पीजी डिग्री करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने उदार पीजी नीति बनाई है। इस नीति के तहत प्रति वर्ष लगभग 66 चिकित्सकों को पीजी डिग्री करने के लिए भेजा जाता है।

पैरा मेडिकल स्टाफ के अधिकतर पद भरे हुए हैं तथा ज्यादातर रिक्तियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिसूचित की जा चुकी हैं व भर्ती प्रकिया जारी है। 1935 स्टाफ

[राव नरेन्द्र सिंह]

नर्सों के पदों में से1554 पद भरे जा चुके हैं तथा 348 पद भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजी जा चुकी है। इसी प्रकार बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी (महिला) के 2605 पदों में से 2077 पद भरे जा चुके हैं और 349 पद भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजी जा चुकी है तथा शेष पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया जारी है। बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी (पुरुष) के 2544 पदों में से 1903 पद भरे जा चुके हैं और 560 पद भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजी जा चुकी है। औषधाकारक के 848 पदों में से 667 पद भरे जा चुके हैं और 165 पद भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग भेजी जा चुकी है।

उपरोक्त से यह प्रमाणित होता है कि अधिकतर पद भरे हुए हैं तथा जहां भी रिक्तियां हैं उनको भरने के लिए कदम उठाये जा चुके हैं या उठाए जा रहे हैं।

सरकार के नियमित पदों के अतिरिक्त 115 चिकित्सा अधिकारी, 48 विशेषज्ञ चिकित्सक, 1348 स्टाफ नर्सें, 2383 बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी (महिला), 117 औषधाकारक, 159 लैब टैक्निशियन तथा 139 आयुष चिकित्सक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं।

ध्यानाकर्षण सूचना में यह भी मुद्दे उठाये गए हैं कि अल्ट्रा-साऊण्ड, एक्स-रे प्लांट, डैंटल चेयर आदि उपकरण बिना किसी संचालक के पड़े हैं तथा इनकी प्रयोगशालाएं अप्रचलित हैं। यहां मैं सदन को बताना चाहूंगा कि राज्य में 49 अल्ट्रा-साऊण्ड मशीन, 188 एक्स-रे मशीन, 408 डैंटल चेयर हैं। जिनमें से अधिकतर चल रही हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011-12 में उपकरणों के प्रबंधन हेतु राज्य सरकार के बजट में से 12.76 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से 6.26 करोड़ रुपये की राशि निश्चित की गई है। सभी उपकरणों का रख-रखाव नियमित एएमसी द्वारा किया जाता है। वर्ष 2010 से सभी जिलों में उपकरणों के रख-रखाव के लिए बायो-मैडिकल इंजिनियर नियुक्त किये गये हैं। प्रत्येक संस्थान में मरीजों द्वारा बड़ी संख्या में इन मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। उदारणत: वर्ष 2011 में जिला पंचकूला के सामान्य अस्पताल में 317920 लैब टैस्ट, 44614 एक्स-रे, 13875 अल्ट्रा-साऊण्ड तथा 2481 सिटी-स्कैन किये गये हैं।

सभी अस्पतालों, उप-मण्डल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभिन्न स्तर की प्रयोगशालाएं हैं। प्रतिदिन इन प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए जाते हैं। प्रत्येक जिले में प्रति वर्ष औसतन 1.52-3 लाख केसों का परीक्षण किया जाता है। पिछले एक वर्ष में सरकारी संस्थानों में 2.76 लाख एक्स-रे किये गये।

राज्य में वर्ष 2009 में ओपीडी केसों में 38.09 प्रतिशत, वर्ष 2010-11 में 10.52 तथा वर्ष 2011-12 में 11.73 प्रतिशत की वृद्धि से यह प्रमाणित होता है कि सरकार द्वारा प्रत्येक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्ष 2010-11 में ओपीडी की कुल संख्या 1.73 करोड़ रही। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं में सामान्य जनता का विश्वास बढ़ा है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।)

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी ने जो बताया इसमें कोई दो राय नहीं है कि under the dynamic leadership of Chaudhary Bhupinder Singh Hooda हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी भी जो बहुत एर्नजैटिक, यूथफुल, इंटैलीजैंट और एफीशिएंट हैं, हैल्थ डिपार्टमैंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनसे पहले श्रीमती गीता भुक्कल जी ने भी इस विभाग में बहुत अच्छा काम किया था। इसके बावजूद भी हैल्थ और विशेषकर माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के मामले में हमारी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। जहां तक हमारी पर-कैपिटा इनकम का सवाल है उसमें हरियाणा पूरे देश में नम्बर वन है, पर-कैपिटा इनवैस्टमैंट में भी हम नम्बर एक पोजीशन पर हैं। इसके अलावा जो इंडैक्स का ग्रोथ रेट है उसमें भी हम नम्बर एक पोजीशन पर हैं। अगर हम हैल्थ के सारे इंडीकेटरज़ देखें तो हम बहुत पीछे हैं क्योंकि जो ह्युमन डैवैल्पमैंट है वह हैल्थ और एजूकेशन इंडीकेटर से स्पष्ट होती है। मैंने गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के आंकड़े आपको और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को सबमिट कर दिये हैं। डिप्टी स्पकीर सर, अगर इन इंडीकेटरज़ को देखा जाये कि इनके हिसाब से हम कहां स्टैण्ड कर रहे हैं तो हम अपने आपको बहुत पीछे पायेंगे। जहां तक माताओं की मृत्यु दर का सवाल है इस मामले में हम सातवें नम्बर पर हैं, शिशु मृत्यु दर के मामले में हम 22वें नम्बर पर हैं। इसके अलावा जहां तक पांच साल से कम उम्र के बच्चों के कम वज़न की बात है इस मामले में हम 20वें नम्बर पर हैं, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर जो व्यय है उसमें हम 14वें नम्बर पर हैं। इस प्रकार से देखा जाये तो हम इतना डाऊन चल रहे हैं। सोशल इंडीकेटरज़ का उच्चतम होना ह्युमन डैवैलपमैंट और हैल्थ दोनों के लिए बेहद जरूरी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह न्यून्तम क्यों है? चाहे वह माल न्यूट्रीशन ही क्यों न हो क्योंकि हरियाणा में दूध और दहीं का खाना है। इसके साथ-साथ घी, चावल और व्हीट का भी हरियाणा बॉऊल है लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों में माल न्यूट्रीशन के मामले में हरियाणा की पोजीशन खराब है। ये मेरा पहला प्वायंट है क्या मंत्री जी इस बारे में स्थिति स्पष्ट करेंगे। इसके बाद मैं अपने दूसरे प्वायंट्स के बारे में पूछना चाहूंगा।

राव नरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कुछ माप-दण्ड का हवाला देकर बताया और पूछा भी कि हरियाणा में खास तौर से बच्चों के हैल्थ की पोजीशन ठीक क्यों नहीं है। इस बारे में मैं उनके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि सरकार की यह पॉलिसी रही है। पिछले दिनों माननीय सोनिया गांधी जी ने जे.एस.एस. (जननी शिशु सुरक्षा) की स्कीम मेवात के क्षेत्र में शुरू की है जिसके अन्दर हमारी यही कोशिश रही है कि इस मामले के अन्दर हम वहां के बच्चों के स्वास्थ्य के लिए माताओं की डिलीवरीज़ इंस्टीच्यूशंज में करवायें। इस बात का रिकार्ड दर्शाता है कि हमारे प्रयासों के कारण ही इंस्टीच्यूशंज में हाने वाली डिलीवरीज़ में बढ़ोतरी हुई है। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2005-06 में इनकी संख्या 49% थी जोकि आज बढ़कर 77.24% हो गई है। इसलिए ये सब चीज़ें साबित करती हैं कि सरकार इस विषय में विशेष ध्यान दे रही है। खास तौर से हम लोग प्रसूति के लिए महिलाओं को डिलीवरी के समय घर से लेकर आते हैं और घर वापस छोड़कर भी जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम उनको डाईट की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। ये सब इस चीज़ की इंडीकेशंज़ हैं कि इस तरफ सरकार का पूरा ध्यान है। इसके अलावा मैं समझता हूं कि जो आई.एम.आर. (Infant Mortality Rate) (शिशु मृत्यु दर) है जहां पर बच्चों की मृत्यु हो जाया करती थी जो कि वर्ष 2002 में प्रति हज़ार 62 होती थी, वर्ष 2005 में प्रति हज़ार 60 थी वह आज घटकर 48 आ गई है। ये सब चीजें इस

[राव नरेन्द्र सिंह]

बात को साबित करती हैं कि इस बारे में सरकार के प्रयास जारी हैं और उसके रिजल्ट्स ठीक रहे हैं। इसी तरह से एम.एम.आर. (Mother Mortality Rate) के बारे में बताना चाहूंगा कि जो संख्या पहले 186 प्रति लाख हुआ करती थी आज वह 153 प्रति लाख है। सरकार का इस बारे में प्रयास है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमियों के बारे में इस तरह के जो भी विचार हमारे सामने लाये जाते हैं हम उनको ठीक करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा बढ़िया तरीके से स्वास्थ्य सुविधायें प्रदेश के लोगों को उपलब्ध करवाई जायें।

प्रो० सम्पत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय जो हमारे इंडीकेटर्स इन्डैक्स हैं उसमें हम डाउन आए हैं और अब जैसा कि राव नरेन्द्र सिंह जी ने भी बताया कि हम डाउन आए हैं और इतना डाउन आए हैं कि नैशनल लैवल पर भी हम डाउन आए हैं। शिशु मृत्यु दर के बारे में बताया गया कि हमारे स्टेट का आंकड़ा और राष्ट्रीय आंकड़ा आज 47 है। We are even below the indicator index of the nation. मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हरियाणा के लिए चिंता का विषय है। हर चीज हमारे पास एम्पल है, फूड हमारे पास एम्पल है, दूध हमारे पास एम्पल है, घी हमारे पास एम्पल है, सब कुछ हमारे पास काफी मात्रा में उपलब्ध है तो फिर इसका मतलब कहीं न कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है। हमारी गर्भवती महिलाओं को जो सुविधाएं दी जानी चाहिएं वह नहीं मिल रही हैं। अगर मां को समय पर खुराक मिल रही होती तो माल-न्यूट्रीशन वाली बातें न होती। चूंकि मां सुबह सबसे पहले उठती है, रात को सबसे बाद में सोती है और उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है इसलिए उनमें सोशल अवेकनिंग भी जरूरी है। एनीमिया की प्रोब्लम तो लगभग सभी लेडीज में हैं और यदि हम देखें तो 40 प्रतिशत से ऊपर उनमें टी.बी. की भी प्रोब्लम्ज हो रही है। लेडीज के साथ किस तरीके से ट्रीट किया जाता है इस बारे में भी उनमें सोशल अवेकनिंग जरूरी है। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अस्पतालों में मशीनों के बारे में बताया है तो मैं कहना चाहूंगा कि नैशनल इंडीकेटर्स इन्डैक्स के बारे में तो इन्होंने बता दिया है कि नैशनल लैवल पर हम कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ऊर्जावान हैं, आप काम में लगे हुए हैं परंतु आप इस काम में थोड़ा स्पीड पकड़े और सिस्टम पर थोड़ी सी मोनीटिरिंग करें। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि आप हैल्थ की बजट एलोकेशन को और बढ़ाएं क्योंकि आज as comapred to other states per capita ivestment में और per capita income में we are number one लेकिन जी.एस.टी.पी. जो होती है वह अकेली इस बात का मापदंड नहीं है कि आपका प्रदेश कैसे काम कर रहा है, आपका देश कैसे काम कर रहा है, ह्यूमन डिवैल्पमैंट जो है वह कैसे हो रहा है उसकी हैल्थ का विकास कैसे हो रहा है और उसकी एजुकेशन का विकास कैसे हो रहा है। बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर को डिवैल्प करना आज के दिन हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि ये वित्त मंत्री जी से रिक्वैस्ट करें और आप भी इस काम में मंत्री जी की मदद करें। मुख्यमंत्री महोदय जी भी इनकी मदद करेंगे इसलिए आप हैल्थ का बजट भी बढ़वाएं। अध्यक्ष महोदय, कुछ और होस्पिटल्ज भी स्थापित किए जाने चाहिएं। कुछ अस्पतालों के बारे में तो मंत्री जी ने बता दिया है। मैं हिसार के बारे में ज्यादा न बताते हुए थोड़ा सा भिवानी के बारे में भी बताना चाहूंगा कि हमारे होस्पिटल्ज की क्या पोजीशन है? हम बहुत से इन्फ्रास्ट्रक्चर की खरीद कर रहे हैं, मशीने खरीद रहे हैं लेकिन पता नहीं विभाग का आपस में तालमेल क्यों

नहीं हो पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिसार में अल्ट्रासाउंड मशीनें दो हैं लेकिन रेडियोलोजिस्ट एक है। इसका मतलब एक मशीन वहां पर फालतू है जिसे दूसरी जगह भेजा जा सकता है लेकिन वह नहीं भेजी गई है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सी.टी. स्कैन मशीन केवल सिरसा और पंचकूला में है। पंचकूला तो बहुत बड़ा होस्पिटल है और बाकी हरियाणा में मेडीकल कॉलेजों को छोड़कर किसी भी होस्पिटल में सी.टी. स्कैन मशीन नहीं हैं। रेडियोथरेपी यूनिट्स केवल भिवानी में ही है और that is also defective and is not working. अध्यक्ष महोदय स्टेट में केवल एक ही रेडियोथरेपी यूनिट हो और वह भी वर्क न कर रही हो तो यह बड़ा चिंताजनक विषय है। हिसार में पैथोलोजी लेब नहीं है और वहां पैथोलोजी डाक्टर भी नहीं है। हिसार में ई.एन.टी. मशीन तो है लेकिन ओडियामैट्रिस्ट जो उस पर काम करता है, उस पर रीडिंग करता है वह वहां नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा हूं कि कहीं मशीन हैं तो डाक्टर नहीं है, डाक्टर हैं तो मशीनें नहीं है। हिसार में दो अल्ट्रासाऊंड मशीनें हैं लेकिन जो इनका रेडियोलोजिस्ट है वो पिछले तीन महीने से छुट्टी पर है, इस तरह से दोनों अल्ट्रासाऊंड मशीनें तीन महीने से खाली पड़ी हुई हैं। हिसार में आठ सी.एच.सीज़ हैं जिनका नाम है सिसाय, सोरखी, मंगाली, लाड़वा, उकलाना, सिसवाल और बरवाला इन आठ सी.एच.सीज़. में से छह सी.एच.सीज़ में एक्सरे मशीनें तक नहीं है लेकिन रेडियोग्राफर चार-पांच जगह हैं। आप सारे हास्पिटल्ज जोड़ लें, सभी सी.एच.सीज़ जोड़ लें फिर भी जितनी मशीनें आपने बताई हैं उनका नम्बर उसके बावजूद ज्यादा बैठता है। इसका मतलब कहीं न कहीं कोई कम्यूनिकेशन गैप है। इस हाऊस को आप ठीक इंफारमेशन दें और डिपार्टमैंट को गैट सैट इट राइट करें ताकि डिपार्टमैंट अपने पांवों पर खड़ा हो सके और लोगों को बेहतर सुविधायें मिल सकें। सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने की भरपूर कोशिश कर रही है और इस दिशा में सरकार ने मेडिकल कालेजिज और यूनिवर्सिटीज तक खोली हैं लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इंप्लीमेंटेशन में शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं जिनको की हमें भरसक प्रयास करके दूर करना चाहिए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसमें सरकार क्या प्रयास करेगी?

Mr. Speaker : Hon'ble Minister.

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। कई बार टैक्नीशियंज हमें नहीं मिल पाते हैं फिर भी माननीय सदस्य ने जो पढ़कर बताया है और हिसार की कुछ जगहों के नाम दिये हैं जहां मशीनें ठीक नहीं है या जहां पर मशीनें ठीक हैं वहां स्टाफ उपलब्ध नहीं हैं भविष्य में हम इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे और जहां कहीं भी ऐसी कोई कमी होगी तो उसे तत्काल प्रभाव से पूरा करेंगे। हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा यह सोच रही है कि आम आदमी तक गरीब लोगों तक सेवाओं का लाभ पूरी तरह से पहुंचे। मैं समझता हूं कि थोड़ा सा हम लोगों में सोशल अवेयरनेश की जरूरत है। इस बारे में निश्चित रूप से प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने विचार रखने चाहिएं और कोई सुझाव हों तो अवश्य देने चाहिएं। माननीय सदस्य जो कि बड़े सीनियर सदस्य हैं, ने जो सुझाव दिये हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़े अच्छे सुझाव हैं। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि विभाग की इन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और बढ़िया तरीके से काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह चौटाला जी।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, अभी कालिंग अटैंनशन मोशन में चौधरी संपत सिंह ने बड़े विस्तार से कई सवाल उठाये हैं उनमें कुछ ऐसी जरूरी बातें हैं जिनमें आज मेडिकल ऐड की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि प्रदेश में लगातार कैंसर की बढ़ोतरी होती जा रही है, एड्स के रोगियो और कुष्ठ के रोगियों की भी बढ़ोतरी हुई है, क्या इसकी ओर भी सरकार द्वारा ध्यान दिया गया है? अभी एक ताजा उदाहरण हैपेटाईटिस सी और बी बीमारी के बारे में जो रतिया, जाखल और रानियां का मेरे नोटिस में आया है बाकी पूरे हरियाणा प्रदेश का तो मंत्री जी को पता भी होगा। इसके साथ ही हमारे दूसरे साथी जो राज्यपाल अभिभाषण पर बोलेंगे और अपने-अपने इलाके की बात रखेंगे उनमें ये सारे तथ्य सामने भी आयेंगे। मैं तो खासकर हैपेटाईटिस सी और बी की जो दो बीमारियां हैं उनके बारे में ही बताना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों रतिया में 1400 केसिज हैपेटाईटिस सी के डिटैक्ट हुए हैं उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ये बतायें? उसके साथ-साथ रतिया में भी 400 से 500 ऐसे मरीज जो हैपेटाईटिस बी और सी के डिटैक्ट हुए हैं उनके लिए भी सरकार ने कुछ नहीं किया है। वहां भी लाइन्स क्लब ने अपनी तरफ से कैंप लगाकर के इन मरीजों की देखभाल का प्रबन्ध किया है। सरकार की तरफ से उन मरीजों को अभी तक कोई सुविधायें नहीं मिली हैं। क्या सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही है, उन लोगों को कोई सुविधा प्रदान कर रही है, यह मंत्री जी बतायें?

Mr. Speaker : Hon'ble Minister.

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने कैंसर, एड्स और कुष्ठ रोगों के बारे में सदन का जो ध्यान दिलाया है इसमें कोई शक नहीं है कि देहात के अन्दर जब हम लोग जाते हैं तो यह पाते हैं कि इन बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की संख्या बढ़ी है। सरकार की ओर से इस बारे में मैक्सिमम सहायता दी जा रही है। वह चाहे रोगियों को मुफ्त दवाई वितरण के मामले में हो, उनकी चैकिंग के मामले में या उनकी इंसपैक्शन कराने के मामले में है।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने ये जानना चाहा है कि कैंसर और एड्स की बीमारियां क्यों बढ़ रही है और सरकार ने उनको रोकने के लिए क्या कदम उठायें हैं?

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में निश्चित रूप से बीमारियां बढ़ी हैं। हमने कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया है जोकि राष्ट्रीय प्रोग्राम का भी हिस्सा है और इसके लिए हमने चार डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रोग्राम को शुरू किया है और आगे भी हम लोग इस विषय पर ध्यान देंगे ताकि आम आदमी को इसका फायदा मिल सके। रतिया के संबंध में श्री अभय सिंह चौटाला जी ने जो हैपेटाइटिस सी के बारे में सवाल किया था जो है स्पीकर सर, इस बात का संज्ञान होते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी समय आदेश किये थे और पी.जी.आई. तथा हैल्थ डिपार्टमैंट को मिलाकर कुल 22 टीमें बनाई गई थीं जिन्होंने वहां जाकर 5449 लोगों को जिनमें इन बीमारियों के लक्षण नजर आ रहे थे, चैक किया। 1348 केसिज इनमें से हैपेटाईटिस सी के पाये गये हैं और इस बीमारी के उपचार कि लिए बाकायदा टीमें बनाई जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : सवाल यह किया गया है कि इस इलाके में यह बीमारी क्यों फैली है?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हाल ही में बीमारी नहीं हुई है बल्कि यह 8-10 साल पहले की पुरानी बीमारी है।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, इस बीमारी में 8-10 साल तक तो आदमी जीवित ही नहीं रहता है।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, झोला छाप डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर एक ही सीरिन्ज से कई मरीजों को इंजेक्शन लगा देते हैं या जो लोग नशे के इंजेक्शन लगाते हैं उसकी वजह से यह बीमारी होने की संभावना बढ़ती है। (शोर एवं व्यवधान) जो हैल्थ डिपार्टमैंट की टीम वहां गई है उन्होंने सर्वे किया है और अब तक 5400 लोगों को चैक किया गया है और टीम ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इंजेक्शन लगाने की वजह से यह बीमारी हुई है और उसके समाधान के लिए हम बराबर काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा इस मामले में रोगियों की हर संभव मदद की जाएगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने रिपोर्ट के आधार पर बताया तो है लेकिन असलियत यह है कि गंदा पानी पीने से लोगों को यह बीमारी होती है। आज सिंचाई की बात तो छोड़िये, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। यह शिकायत किसी एक जगह की नहीं है। हर जगह से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं और इस पर मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि पीने का पानी उपलब्ध करा दिया जाए, सिंचाई का तो बेड़ा आपने बिठा ही दिया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि बेड़ा कैसे बैठता है यह बताने का कष्ट करेंगे?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बारे में भी बताना पड़ेगा, यह तो आप हरियाणा प्रदेश की जनता से पूछ लो। बदकिस्मती तो प्रदेश की है कि इन जैसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जिसका खुद का बेड़ा बैठा हुआ है वह दूसरों के बेड़े की बात कर रहा है। बेड़ा तो लोगों ने विपक्ष के साथियों का बैठा दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं और मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करती हूं कि पिछले सात सालों में हरियाणा के अंदर चिकित्सा सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। नये डॉक्टर एपॉइंट किये गये हैं और काफी मात्रा में जो ग्रामीण एरिया है वहां पर सरकार ने ऐंबुलैंस भी उपलब्ध कराई है।

श्री अध्यक्ष : ये कालिंग अटैंशन प्रो. संपत सिंह एवं श्रीमती सुमिता सिंह जी का है।

Smt. Sumita Singh : I was reading because the answer was given by him.

Mr. Speaker : Shri Abhey Singh Chautala may ask any question, if he is here otherwise this is the last question.

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीवन रेखा नाम की एम्बुलैंस सेवा शुरू की है, यह हर जिले में एक-एक है। जिले में काफी बड़ा क्षेत्र होता है अगर एक एम्बुलैंस कहीं चली जाती है और कोई दूसरा एक्सीडेंट हो जाए तो उस समय

[श्रीमती सुमिता सिंह]

काफी दिक्कत आती है। इसलिए इस सुविधा को कम से कम हर जिले में दो-दो किया जाए। इसके अलावा जो आर्डीनेरी एम्बुलैंसिज सेवा पहले ही चल रही हैं उनमें भी फर्स्ट-ऐड के साथ ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए और जो एम्बुलैंसिज पहले चलाई जा रही हैं वे मारूति वैन या सुमो टाईप की हैं इनका आकार बड़ा किया जाना चाहिए जैसे स्वराज मजदा या कोई दूसरी ताकि अगर ज्यादा एक्सीडैंटल केसिज में ज्यादा मरीज हों तो उनको उसमें एक साथ समय पर ले जाया जा सके। इसके अलावा ग्रामीण एरिया में कई बार देखा जाता है कि जब साँप काट लेता है तो उसकी दवाई सी.एस.सीज़. और पी.एच.सीज़. में नहीं उपलब्ध होती तो इसके लिए इंजैक्शन की व्यवस्था इनमें जरूर होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि वर्ष 2005 से लेकर अब तक कितने मेडीकल कालेजिज खोले गये हैं और वर्ष 2005 से पहले प्रदेश में कितने मेडीकल कालेजिज खोले गये हैं और हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें कितने नर्सिंग स्कूल खोलने के बारे में घोषणा की गई है।

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, माननीय सदस्या ने पहले तो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया है। पिछले दिनों सरकार ने एक एडवान्स लाईफ सपोर्ट सिस्टम वाहन के नाम से 24 एम्बुलैंसिज की सेवा प्रत्येक जिले में एक-एक दी गई है जिनमें सभी आधुनिक उपकरण शामिल हैं। इसके लिए मैं समझता हूं कि ये मरीजों की जान बचाने में काफी सहायक सिद्ध होंगी। इसके साथ ही '102' रैफरल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम हैं इसमें 335 हैल्थ एम्बुलैंसिज पहले से ही काम कर रही हैं। जिनका मेन परप्ज यही है कि कोई एक्सीडैंटल केस हो या डिलीवरी केसिज हों उन सब के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा उपलब्ध करेंगी। यह सेवा हर दो पी.एच.सीज़. पर एक एम्बुलैंस और हर सी.एच.सीज़. पर एक एम्बुलैंस उपलब्ध है। इस प्रकार प्रत्येक जिला और सब डिविजन होस्पिटल पर एम्बुलैंसिज की व्यवस्था की गई है। फिर भी माननीय सदस्या ने जो बड़ी एम्बुलैंसिज के बारे में सुझाव दिया है उसको हमने नोट कर लिया है और भविष्य में इस बारे में ध्यान रखेंगे जैसा कि इन्होंने बड़ी एम्बुलैंसिज के बारे में सुझाव दिया है हमारी कोशिश रहेगी कि बड़ी एम्बुलैंसिज की व्यवस्था की जा सके क्योंकि शुरू में तो यह एक-एक एम्बुलैंस की व्यवस्था की गई है उसके बाद एडवान्स लाईफ स्पोर्ट सिस्टम को ओर आगे बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी। इसके अलावा इन्होंने साँप के काटने के वैक्सिनेशन के बारे में सुझाव दिया है। इसके लिए मैं समझता हूं कि जिला अस्पतालों में इस प्रकार की व्यवस्था होती है और वहां पर यह दवाई मौजूद रहती है। जहां तक पी.एच.सीज़. की बात है वहां पर हम इसके बारे में भी गौर जरूर करेंगे। जहां तक मेडीकल कालेजिज खोलने के बारे में माननीय सदस्या ने पूछा है वैसे तो यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है यह अलग प्रश्न है लेकिन फिर भी मैं इनको बताना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार के समय में तीन नये मेडीकल कालेजिज खोले गये हैं जोकि हरियाणा प्रान्त बनने के बाद एक रिकार्ड की बात है। पहले सिर्फ रोहतक में पी.जी.आई. रोहतक ही एक सरकारी मेडीकल कालेज होता था उसके बाद वर्तमान सरकार ने तीन मेडीकल कालेज खोले हैं एक मेवात में नलहर में, दूसरा गोहाना में खानपुर कलां में महिला मेडीकल कालेज खोला है जो हिन्दुस्तान का अपने आप में एक अद्वितीय मेडीकल कालेज होगा और तीसरा करनाल में कल्पना चावला मेडीकल कालेज के नाम से आदरणीय बहन श्रीमती सुमिता सिंह जी के शहर में खोला जा रहा है। इस प्रकार सरकार की तरफ से यह बेहतरीन प्रयास है कि आने वाले समय के अन्दर इन मेडीकल कालेजिज के बनने से मैं समझता हूं कि डाक्टर्ज की

जो कमी है वह भी पूरी होगी और उसमें बहुत भारी फायदा हमारे लोगों को मिलेगा क्योंकि हमारे बच्चे इन्हीं मेडीकल कालेजिज में पढ़कर आयेंगे और यहीं पर प्रदेश के अन्दर सेवा भी करेंगे।

श्रीमती सुमिता सिंह : स्पीकर सर, वर्ष 2001 से पहले कितने मेडीकल कालेज सरकार द्वारा खोले गये हैं?

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर महोदय, सुमिता जी हर बात 2005 से पहले की कम्पेयर क्यों कर रही हैं। पहले सरकार अपनी हालत तो देख ले, ले देकर 2005 की बात करते हैं।

राव नरेन्द्र सिंह : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि वर्ष 2001 से पहले तो सिर्फ रोहतक में ही एक मेडीकल कालेज होता था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : सुमिता जी, आप 2005 से पहले की कितनी ही बात कर लो, मुख्यमंत्री जी आपको मंत्री नहीं बनाता। * * *

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महादेय, माननीय सदस्य एक महिला सदस्य को इस तरह कैसे बोल रहे हैं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded (Interrutpion) प्लीज आप भी बैठ जाईये। मेरा यह विचार है कि किसी भी माननीय सदस्या को जो भी माननीय सदस्य एड्रेस करे (विघ्न) Nothing is to be recroded. (Interruption) Take this out this is not a matter of recrod. (Interruption)

मैं यह देख रहा हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा सदन के स्तर को गिराने में कितनी मदद की जा रही है? लेडीज को एड्रस करने में कोई रिस्पैक्ट नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) What can I do (Noise & Interruption) I know. परन्तु सब माननीय सदस्यों को अपने आप सबक सीखना चाहिए कि लेडीज को कैसे बोलना चाहिए।

श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कालिंग अटैंशन मोशन में अपनी सप्लीमैंट्री पूछी है और उसका जवाब आ रहा है और अगर जवाब नहीं आ रहा है तो उनको दोबारा प्रश्न पूछने का अधिकार है। चाहे वह 2005 के समय की बात पूछें या उसके बाद की बात पूछें या फिर किसी भी सरकार की बात पूछें परन्तु एक माननीय सदस्य द्वारा एक महिला सदस्या के प्रति इस तरह इंडीविज्युल कमैंट्स करना गलत है।

Mr. Speaker : Scraped it. (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय * * *

Mr. Speaker : Please no comments. Nothing is to be recorded.

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एक आदमी अंगुली लगाने का काम कर रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : This is an un-parliamentary word. You cannot use this word. (Noise & Interruption) Mr. Abhey Singh Chautala do you want this House to go on or not ? Please resume your seat. (Noise & Interruption) I do not allow you. Please resume your seat.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप किसी मैम्बर को बोलने के लिए अलाऊ करते हो तो दूसरा मैम्बर कैसे बीच में खड़ा हो जाता है। वे किस हौसले से बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। आपका यह हाउस चलाने का तरीका नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप हाउस के कस्टोडियन हैं और आपको कंट्रोल करना चाहिए। यहां लोग अंगुली लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या मैं यह नहीं देख रहा कि किसी महिला सदस्य के साथ कैसे बोला जा रहा है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते, अदरवाइज लेडीज मैम्बर को obnoxiously बोलना अच्छी बात नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम लेडीज का पूरा सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह बात आप अपने पीछे बैठे सदस्यों को बताएं। यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि महिला सदस्य को इस तरह बोलना ठीक है क्या? (शोर एवं व्यवधान) सदन की माननीय सदस्या को यह कहना कि आप तो दूसरी बार इलैक्ट होकर आई हैं क्या यह ठीक है?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने किसी मैम्बर को बोलने के लिए खड़ा किया है तो बीच में कोई दूसरा सदस्य कैसे बोलने खड़ा हो जाता है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या अपने समय में बोल रही थी तो उन्हें किसी ने नहीं टोका लेकिन जब आपने हमें बोलने के लिए अलाऊ किया तो इन्होंने बीच में टोकना शुरू कर दिया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब अभय सिंह चौटाला जी ने बोलना शुरू किया तो इनको उनके बारे में बात करने की क्या जरूरत थी?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब आपने किसी मैम्बर को बोलने के लिए अलाऊ कर दिया है तो दूसरे मैम्बर्ज बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने अभय जी को अलाऊ किया था तो इनको उनके बारे में बोलने की क्या जरूरत थी, ये अपनी सप्लीमैंट्री पूछते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो अपनी सप्लीमैंट्री पूछी है।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने सप्लीमैंट्री नहीं पूछी बल्कि ये उनके बारे में कमैंट्स कर रहे थे जोकि गलत बात है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये सप्लीमैंट्री से जुड़ी हुई बात थी।

Mr. Speaker : No no, all women should be respected. अभय जी आप अपनी सप्लीमैंट्री पूछें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रैस में इस बात का जिक्र आया था कि इस वर्ष को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। युवाओं को विशेष रूप से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। मैं हैल्थ से रिलेटिड बात करना चाहता हूं कि जिस तरह से आज हरियाणा में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और इसी इश्यू को लेकर ही यह कालिंग अटैंशन मोशन भी आया है। अभी जिक्र आया कि कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, एड्स की बीमारी बढ़ रही है, कुष्ठ रोग बढ़ रहा है, हैपेटाइटिस ए., बी. और सी. की बीमारी बढ़ रही है। इसी तरह आज युवाओं में नशा करने की बीमारी भी बढ़ रही है। नशा जो बढ़ रहा है वह मेडीकल स्टोर से बढ़ रहा है। इससे खासकर यूथ प्रभावित होता है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो खांसी के लिए प्रयोग की जाती हैं। जिनको नाम तो दिया जाता है कि खांसी के उपयोग के लिए दी जाती हैं लेकिन वे आज मार्किट में बिकती हैं और बच्चे उनको खरीदकर नशे के रूप में लेने का काम कर रहे हैं। उन दवाइयों से फायदा होने की बजाय नुकसान ज्यादा होता है और इससे नशे की प्रवृति बढ़ रही है। खांसी की तीन चार दवाइयां जो मेरे नोटिस में हैं वे कोरैक्स, टौरैक्स और फैंसाड्रिल। ये तीनों मैडीसंज खांसी की हैं। इस पर किस तरह से काबू पाया जाए और इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी और किस ढंग से इस पर रोक लगेगी। ऑनरेबल मिनिस्टर इस बारे में रिप्लाई दें।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड ड्रग एक्ट के तहत एक सिस्टम बना हुआ है यदि कोई दवाई खांसी के लिए बनाई गई है तो उसे खांसी के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसका कोई मिस यूज करता है तो उसका हमारे पास इलाज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, उसका इलाज यह है कि डाक्टर की प्रिस्क्रीपशन के बगैर कोई भी मेडीकल स्टोर इस तरह की दवाईयां न बेचें।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरफ भी हम ध्यान देंगे। जहां तक नशा मुक्ति का सवाल है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। नशा मुक्ति से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में सरकार की तरफ से चरणबद्ध तरीके से नशा मुक्ति केन्द्र खोले जा रहे हैं। इस समय प्रदेश में अम्बाला, करनाल, हिसार और गुड़गांव के जिला अस्पतालों में चार नशा मुक्ति केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आपके विभाग की तरफ से कोई इन्स्ट्रक्शंज जारी की है या नहीं की कि डाक्टर के पर्ची के बिना इस तरह की दवाईयां मेडीकल स्टोर वाले न बेचें।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की हिदायतें सभी मेडीकल स्टोर्ज को दी हुई हैं कि डाक्टर की पर्ची के बिना इस तरह की दवाईयां किसी को न दी जायें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, इसको ज्यादा स्ट्रीक्ट करिये और इस बारे में मजबूती से कदम उठाये जायें। इस तरह की दवाईयां जैसे टोरक्स, कौरैक्स, फैंसाड्रिल आदि डॉक्टर जिस मरीज को प्रिस्क्राई करें उसे ही दी जायें। यदि ऐसा नहीं होगा तो नशाखोरी बढ़ेगी।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने भी अखबारों के माध्यम से यह पढ़ा होगा कि हमारे ड्रग कंट्रोल विभाग ने बहुत ज्याद रेड की हैं और बहुत से हुक्का-बार्ज को बंद भी किया है जो नशा बेच रहे थे। इसके अतिरिक्त बहुत सी दुकानों का चालान भी किया है।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, just to supplement what the Hon'ble Health Minister has said. What the Member has raised is valid. We are concerned. जो आपने फरमाया और चार-पांच दवाईयों का नाम भी लिया। इनके अतिरिक्त दो-तीन दवाईयों और भी हैं जिनको नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और बच्चे ऑन यदि कांउटर सेल, मेडीकल स्टोर्ज से ये दवाईयां नशे के लिए प्रयोग करते हैं। सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से चिंतित है, गंभीर है। ये शिड्यूल्ड ड्रग्ज हैं। नॉर्मली ये दवाईयां डाक्टर के प्रिसक्रिप्शन के बिना कानूनी तौर पर नहीं दी जा सकती। यदि कोई मेडीकल स्टोर इस तरह की दवाईयां गैर कानूनी तौर पर देता है तो उसका लाईसैंस रद्द किया जाता है और दूसरी कार्यवाही भी होती है। 30 रेड अभी की गई हैं और इस बारे में सरकार पूरी तरह से चिंतित हैं। Government is concerned. I can assure the Member and the House that we will take further strict action/issue necessary instructions to make sure that any chemist found in indulging sale to minors or to any children without prescription of these druges will be prosecuted criminally as also penal action will be taken against him.

नियम 121 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Now, I will call upon the Parliamentary Affairs Minister to move the motion under Rule 121.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

> That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules and Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the constitution of the :—
>
> (i) Committee on Public Accounts;
>
> (ii) Committee on Estimates;
>
> (iii) Committee on Public Undertakings; and
>
> (iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes,
>
> for the year 2012-2013 be suspended.

Sir, I also beg to move—

> That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2012-2013, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules and Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the Constitution of the :—
>
> (i) Committee on Public Accounts;

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes,

for the year 2012-2013 be suspended.

And

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2012-2013, keeping in view the proportionate strength of various parties/ groups in the House.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम इस बात से सहमत हैं, यह आपका अधिकार भी है और पुरानी परम्परा भी यही रही है। इसमें मैं एक अनुरोध जरूर करूंगा कि सभी कमेटीज में रेशों के हिसाब से मैंबर बनाये जायें। हमारी पार्टी की तरफ से जो नाम दिए जायें उन्हीं पर गौर किया जाये। अपनी मर्जी से, अपनी सलाह से कई * * * मैंबर आ जाते हैं जिनको कमेटी के काम की नॉलेज नहीं होती और वह फिर कमेटी के लिए अच्छा नहीं रहता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि हम अपने मैम्बर्ज के नाम भेज देंगे उन पर विचार विमर्श करके ही आप कमेटी के सदस्य बनायें।

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, can I just say one thing since an issue was raised?

Mr. Speaker : By whom?

Shri Randeep Singh Surjewala : By the Leader of the Opposition Sir. उन्होंने कहा है कि इस हाऊस के कई मैम्बर गैर जरूरी हैं। उनका बड़ा लम्बा राजनीतिक तजुर्बा है। इस हाऊस का कोई भी मैम्बर गैर-जरूरी नहीं है बल्कि सभी जरूरी हैं। यह ठीक है कि उनको अपने सजैशंज़ देने का अख्तियार है लेकिन फाईनल अथॉरिटी Custodian of the House 'Speaker' की है। उनकी यह बात कि कई मैम्बर गैर-जरूरी हैं इसे रिकार्ड में दुरूस्त कर लिया जाये।

Mr. Speaker : O.K. struck off.

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, आप कई ऐसी बातों को भी अवॉयड कर जाते हैं जो कि हाऊस में बोलने लायक नहीं होती। कुछेक गलत शब्दों को भी आप अवॉयड कर जाते हैं। I am very sorry to say. (Noise & Inetrruption)

Mr. Speaker : Question is—

That the provisions of Rules 231, 233, 235 and 270 of the Rules and Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly in-so-far as they relate to the Constitution of the :—

(i) Committee on Public Accounts;

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री अध्यक्ष]

(ii) Committee on Estimates;

(iii) Committee on Public Undertakings; and

(iv) Committee on the Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes & Backward Classes,

for the year 2012-2013 be suspended.

And

That this House authorizes the Speaker, Haryana Vidhan Sabha to nominate the Members of the aforesaid Committees for the year 2012-2013, keeping in view the proportionate strength of various parties/groups in the House.

(The motion was carried.)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion on Governor's Address will take place. Shri Venod Kumar, MLA may move his motion please.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, आपकी परमिशन से एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस शुरू करने जा रहे हैं मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हाउस की स्ट्रेंग्थ के हिसाब से सदस्यों को बोलने के लिए अलाऊ करें।

Mr. Speaker : O.K. Suggestion noted.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, इसके अलावा हमारी तरफ से जिन सदस्यों के नाम आपको दिये जायें उन्हें ही आप बोलने के लिए अलाऊ करें।

Mr. Speaker : No, this is not acceptable that आपकी तरफ से जो नाम आये उनको ही मैं अलाऊ करूं। आप अपनी तरफ से सिर्फ नाम भेज दीजिए। मैं सिर्फ उन्हीं को ही बोलने के लिए अलाऊ करूं यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, हम उन्हीं सदस्यों के नाम भेजेंगे जो महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सही ढंग से बोल सकते हैं। इससे हाउस का समय खराब नहीं होगा।

Mr. Speaker : O.K. You send me your suggestions.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ठीक है सर, हम भेज देंगे।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, जब जीरो ऑवर में मैंने आपसे अपने कॉलिंग अटैंशन मोशंज के बारे में पूछा था तो आपने यह कहा था कि आपके कालिंग अटैंशन मोशंज रिजेक्ट कर दिए गए हैं। मेरे दो कालिंग अटैंशन मोशन थे एक तो पुलिस के वेजिज़ बढ़ाने के बारे में था और

दूसरा सेज के बारे में। मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरा कौन सा कालिंग अटैंशन मोशन रिजैक्ट किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Mr. Vij, your Calling Attention Motion regarding agreement between HSIIDC and Reliance has been disallowed and Calling Attention Motion regarding salaries of Police personnel has been sent to the Government for comments. Let the comments come.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, सेज का करंट इश्यू है जिसे आपने रिजैक्ट किया। 1383 एकड़ जमीन वापस मांगी जा रही है।

Mr. Speaker : Alright. Please resume your seat.

Shri Venod Kumar Sharma (Ambala City) : Hon'ble Speaker Sir, I beg to move—

> "That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 23rd February, 2012 at 2.00 P.M."

Hon'ble Speaker Sir, the Address of the Governor which was presented to this august House on 23rd is a reflection of the Government's will to take this State forward. If we go through this Address carefully, we will come across that all fields of life, this present Government has in last 7 years time done wonders.

Speaker Sir, economic growth of the State has been 9.6% in Gross State Domestic Product during the year 2010-2011 which is the highest amongst States in the country. The average growth rate of industrial production has been 7.9% during the year 2010-11 as per the index of industrial production and the per capita income of Haryana is expected to be Rs. 1,09,227. The rank of Haryana in per capita income is the second highest amongst States of the country after Goa. These three figures itself gives a reflection that all Haryana has been progressing during the last seven years. If, I am not wrong prior to 2005, these achievements were not there. Haryana was not ranking amongst the first two States as per the per capita income. It is a commendable job. Sir these achievements are a landmark. No other State in the country has progressed as rapidly as Haryana has done in the last seven years. The Congress Government under the Chief Ministership of Ch. Bhupinder Singh Hooda brought the State as No. 1, in many fields. It was in shambles prior to year 2005, prior to this Government had taken over reins of Haryana during 1999 to 2005 the State has witnessed a rampant deterioration in law and order situation, deterioration in economic growth. The traders were subjected to harassment. No jobs were created. Education system had crumbled. The State was being run as a personal field of the family. Sir, in the year 2005, when the Congress Government under leadership of Shri Bhupinder Singh Hooda took place it was the will of the people which was reflected, the people has decided that they want to have clean Government which is in favour of the people of the State. That had been the

[Shri Venod Kumar Sharma]

reason due to the previous Government was ousted and only nine people were elected from that party and the Congress came in thumping majority and assumed the power in the State. Sir, I would like to say that only for the sake of criticizing just, with the bronchial nature approach, some people who are even not Members of the House, those who were earlier Members of this House have given statement in the press saying that wrong figures were fed to the Hon'ble Governor. Distorted version was given to the Governor and this Address of the Governor is not a true picture and true picture has not been presented in this Address. I would not comment on the member who is not present in the House. I understand that a person who cannot defend within the House his name shall not be taken, I should not say anything much more than that. At the same time, I would like to say that this document which is represented by the Hon'ble Governor of the State and I have no doubt that all the facts which have been mentioned in this document are the facts. They are not illusionary. They are not being given without any authentication. They are the real facts. These are the achievements of the Government which we have achieved in the previous years. Sir, I would only like to say so since I have moved a resolution saying that the august House is grateful to the Governor. I have only discussed some other parts of the Address like as I have said economic growth. Same way few years back when this Government has assumed charge the situation in this state was very grave. The power situation was, it looked like as Haryana will never be able to have power. The farmers were looking for it, the traders were looking for it. The Industrialists were not having sufficient power for their units and in fact, we had only capacity of 1348 M.W. of power which was being generated in Haryana. At that time, a question was raised that how can we become self-sufficient in power? During the seven years time, I have seen that the Government had to buy power at very-very high rates during the sowing seasons so that the farmers do not suffer. Today, I feel proud that we have achieved the generation of almost 4500 M.W. of power which is almost three times more than that what it was earlier there. Speaker Sir, I can say that within a span of seven years time, no Government in Haryana other than Congress or may be anywhere else would have achieved this feat, taking generation of power three times more than what it was seven years earlier. I will commend the efforts of the Government and as all my friends who are sitting here, may be from opposition also must commend the efforts of the Government because this was a need of the hour. And some doubts were also being raised at that time when these projects were being implemented. Few of my friends had raised few doubts by saying that these projects will not be completed. These projects have been completed and we have achieved the target. By 2012-13 may be within a year's time, we are hopeful that Haryana will be self-sufficient as far as power is concerned or may be we will be surplus State in Power which is an achievement in itself.

Irrigation: Speaker Sir, various measures have been taken by the Government for irrigation. I know that this is the backbone of our rural areas and many schemes have been promoted. But at few times it has been observed that

some of my friends have been trying to scuttle the efforts of the Government to bring more water to more areas. Speaker Sir, I will humbly say that it is the right of every citizen of Haryana to have water for cultivation. If someone gets up and says that a particular area is being ignored and for a particular area the water has been taken. I think there is something behind that issue. There is no such issue, all areas are subjectively taken, all areas must be fed by water and everyone within Haryana has the right to have water so that he can also have his land properly irrigated.

Speaker Sir, I think few days back the Government has increased the minimum wages per day for the labourers which is the highest in the country. That itself shows that how much the Government is concerned for the welfare of the labourers of this State. It may be a farm labourer, it may be an industrial labourer. All labourers will be getting more money in compare to any other State in the country.

Education : Speaker Sir, Education system has been strengthened at all levels. With regard to the recruitment of teachers, this is for the first time that the Professors and Assistant Professors in that quantity have been recruited and further efforts are being made. Wherever there is a need for teachers to go to the schools in rural areas. May a time it is observed that teachers are either not sufficient in strength in a particular school or their skills are not sufficient for those areas. Sir, keeping this in view, the Haryana Government has decided to recruit thousands of teachers in future so that number of teachers can be posted in rural schools so that the students of there do not suffer for the want of the strength of the teacher in a particular school. Sir, doing so, while recruiting the teachers, the Government has also made arrangements to have further educational units and universities in the State.

The Rajiv Gandhi Educational City is an example in itself. The Rajiv Gandhi Educational City at Sonepat will have a world class university. In all fields of education will come to start their courses at Sonepat. Speaker Sir, I would like to give some figures about this. The Rajiv Gandhi Educational City in Sonepat is going to be unique state of the art facility in the field of higher learning amongst the prominently institutes which are devoted to professional education i.e. the State Institute of Fashion and Design, the State Institute of Film and Television, the State Institute of Fine Arts, the State Institute of Plastic Engineering and Technology, Indian Institute of Management, Defence University and Central University. There are number of private universities and professional institutes which are helping in promotion of the higher education in the State. This is a very well thought of strategy. A kinds of education in all spheres in all fields will be available at one place and the universities within the country and the universities from other countries will also be established there and education will at a larger scale help the people and students of our State to go further in their studies.

Speaker Sir, Haryana in the past has emerged as a State which produces maximum number of sportsmen. Not only in number but they excel in quality

[Shri Venod Kumar Sharma]

they are whether it is wrestling whether it is boxing, whether it is Olympics, whether it is Asian Games or Commonwealth Games. Haryana shared in gold medals, Haryana shared in silver medals as well as compared to the population with the country, many many time more than in ratio to the population with the other States of the country. This had never happened earlier. Sportsperson of Haryana have been encouraged by the Government. The Government has given them posts. Some of them made Deputy Superintendent of Police. Some of them recruited directly. This has encouraged them to adapt sports as their career also. Now, the parents also do not feel bad when the children go out and adapt sports as their career. It has been observed that Haryana wrestlers are the best wrestlers and we constitute almost more than 70% other medals which were earned by the wrestlers in the Commonwealth Games. Sir, promoting sports has been the primary task of the Government. The Government has taken it on priority that the sports will be promoted and I think I must commend the Government on this issue that sports has been taken very seriously and it has brought a good name to the State of Haryana.

Speaker Sir, Industries is very important factor in the progress of the State. Industrialisation in a State always brings revenue as well as creates jobs for the people within the State. In the past 7 years, 59000 crores have been invested till now after 2005. 13000 crores foreign direct investment has been invested in Haryana out of which 9,629 crores have invested after 2005 which means 75% of the foreign investment in Haryana has come only after 2005 when this Government has taken over. Sir, there was quite a bit of questions raised when there was a Special Economic Zone policy which was formulated by the Government of Haryana and specific issues were raised. Some land which was acquired by the HSIIDC in Gurgaon was given to one of the industrial houses on a promise that a SEZ within the span of 25,000 acres will be established over there. Sir, there was the hue and cry. Many people raised questions but without going into the intricacy, the HSIIDC had taken equity into that company which would have converted into lacs and crores of rupees for the State. Sir, now I am only mentioning this subject because I have read in the newspapers and a question was also raised. If we go through the record and see that since that time till today, at many times my friends said that it is a wrong decision. This particular land was acquired by the Government as far as my knowledge goes, the notice for the acquisition was given prior to 2005 not after 2009 for this land. It was raised that this land was acquired for a particular industrial purpose and why this land has been given for the SEZ. I would like to clear that SEZ also an industrial activity where all the products which are made over there, will have some concessions from the Central Government. Those products can be sold outside the country which can be exported and all export concessions which are given by the Government will be available to them. But those jobs which will be created over there will be more beneficial for the State itself. The State would have earned a lot of money out of it. Because of the agitations probably or because of the

misguided factors there was a problem in acquisition of the land by the people who wanted to set up the SEZ and as has been propagated, it is not true, Government has not gone to take the lands of those people but the Government has formulated a policy for acquisition of land which is the best in the country. The acquisition policy of this Government has been always quoted in other States, emulated by other States. Many other States have emulated this policy and this policy is that when you acquired a land you will give a plot for the residence or for the industry to the person whose land has been acquired. A minimum floor rate which is much higher than what educed to be earlier was fixed by the Government. The Government also ensured that for next 30 or 33 years time there will be annuity on that land which will keep on increasing after every 10 years.

श्री आनन्द सिंह दांगी : शर्मा जी, यह मेन इश्यू हैं और यह इश्यू इस सदन में और बाहर भी उठाया जाता है अगर इस मुद्दे को आप हिन्दी में समझा दें तो जो समझने का कोशिश नहीं करते शायद उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए।

श्री विनोद कुमार शर्मा : स्पीकर सर, यह भूमि अधिग्रहण करने की पॉलिसी हरियाणा सरकार ने बनाई है मैं इसी के बारे में कह रहा था और यह पॉलिसी पूरे हिन्दुस्तान में सबसे अच्छी नीति मानी जाती है और इसके बाद बहुत से प्रदेशों ने इस नीति का अनुसरण भी किया है और कई प्रदेशों ने इस नीति के अनुसार ही अपनी नीति भी बनाई हैं।

Speaker Sir, I am to say that whenever I see that there is a loss to the exchequer of the State or when I see that thousands and lacs of boys who have put unemployed by un-industrialization of the State. They have been deprived of it. It really pains me. I think the people at large must be thinking in the same manner. I have just read it in the newspaper that the complete project is not being taken up. The objection is raised by the opposition members earlier because of that size of the project is shrinking. But I must inform the House that land which was traded for getting some equity into the company that land by efforts of the Chief Minister when it came to the knowledge of the Chief Minister that they may not be putting 25 thousand acres of SEZ over there. Hon'ble Chief Minister made it a point that land of Haryana will have to be reported to Haryana and he made it sure that the company gives in writing that land which was given to them will be given back to the State and the State can use it as it wants to use it. Speaker Sir, as I have said that I had read it in the newspaper that offer has been made and the Government will take a decision. Speaker Sir, the same manner I would like to say that since I am interested for the industrialization of the State. Few years back Ambala which is a backward District was also awarded one IMT (Industrial Modern Town). I do not know for what reasons there was a opposition. Point was that the land of the farmers should not be acquired. Speaker Sir, I have one point to make that the land of the farmers should not be acquired for the purposes other than the public interests. If industrialization of the State is not a public interest then what is the public interest? I would also like to say that the land of the farmers while being acquired the farmers should be very

[श्री विनोद कुमार शर्मा]

adequately paid. It is not the question that we want to acquire land at through away prices. I am an advocate for that we must pay the price which is at least close to the market price for land of the farmers. Why should a farmer suffer? If we want to have some areas brought down for the public interest then we should be prepare to give farmers what are their due. Other than that the policy which has been envisaged by the Government also provides other concessions like jobs, 30 years annuity and also provides a plot. But at the same time it should be the prerogative and it has been the efforts of the Government earlier also to fix a floor price and a floor price is not that fixed for once. As per the time passes, as the index of the inflation goes floor price can be fixed again. So, Speaker Sir, I am just saying that why cannot be putting any IMT over there. What are we going to lose? We are going to lose an opportunity which has come to us after many-many years. There has been no industrialization in districts like Ambala, Yamuna Nagar, Kurukshetra for the last 40-45 years and we do not have any IMT. I am sure that we will be losing jobs for at least one lac of people who could have been provided jobs over there. So, I am only going to appeal to the people who unnecessarily come out and oppose setting up of industrial units & industrial estates without knowing what effect it is going to have on the general public particularly in above said these districts. The young people of these districts without knowing if they do it, I would appeal that they should digest and no narrow parochial approach should be taken while considering the industrialization of the State.

Speaker Sir, I have already spoken about the acquisition of land policy. It is almost known to everybody that the present Government of Congress under the leadership of Shri Bhupinder Singh Hooda has kept his promises. What we promised we did. We still endeavor to do much more we have a long-long distance to cover. But I am assure that with the resolve of the Chief Minister and the Government a firm resolve which they are presumed today we will achieve our targets. We assured that public has supported us in 2009 because of the policies which were started into 2005 by this Government. People of this State brought us back and public will appreciate what this Government has done. Thank You, Speaker Sir.

श्री आफताब अहमद (नूह) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले सात वर्षों में यानि वर्ष 2005 से लेकर अब तक जो तरक्की और प्रोग्रेस हरियाणा प्रदेश ने की है उसके बारे में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रस्तावक ने बताया है। राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में प्रदेश में क्या-क्या कार्य किए जायेंगे वह सब दर्शाया जाता है। चाहे वह डोमैस्टिक ग्रोथ की वृद्धि हो, चाहे इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ में वृद्धि हो वह सब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दर्शाया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन हरियाणा प्रदेश पर कैपीटा इन्कम में गोवा के बाद दूसरे नम्बर पर है। गोवा एक छोटा राज्य है। ये बातें दर्शाती हैं कि हरियाणा प्रदेश ने पिछले सात वर्षों में कांग्रेस के राज में

चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्वमें किस तरह से तरक्की की है। जहां तक बिजली की बात है इस बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जिस समय हमारी सरकार आई उस समय प्रदेश में केवल 1348 मेगावाट बिजली बनती थी और सात साल के छोटे से अर्से में अब प्रदेश में 4500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है जिसकी बहुत डिमांड थी जो कि पहले से तीन गुणा है। अध्यक्ष महोदय, जब 1966 में हरियाणा प्रदेश बना था तब से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने बिजली के उत्पादन के लिए इतने कार्य नहीं किए जितने पिछले सात वर्षों में वर्तमान सरकार ने किए हैं। यह बड़ा ही सराहनीय कार्य है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक सिंचाई की बात है मैं हरियाणा के उस क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां सिंचाई के लिए पानी न के बराबर मिलता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में पानी के समान बंटवारे के लिए चाहे हांसी-बुटाना लिंक नहर बनाने की बात हो या दूसरे कार्य करने की हो यानि बहुत से कार्य किए हैं ताकि पूरे प्रदेश में पानी का समान बंटवारा हो। इसमें बहुत से साथियों ने रोक लगाने का कार्य भी किया लेकिन वे सफल नहीं हुए। हमें अपने हिस्से का जो पानी मिलना चाहिए उसमें हमें आगे चलकर जरूर कामयाबी मिलेगी। उसमें कई साथी कानून के माध्यम से अड़चन लगाने का कार्य कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ जहां तक हमारी लैंड एक्वीजिशन की पॉलिसी है उसकी भी पूरे देश में सराहना हो रही है। हम जहां कहीं भी जाते हैं वहां हमें यह सुनने को मिलता है कि दूसरे राज्य के लोग भी हरियाणा की लैंड एक्वीजिशन पॉलिसी की मांग कर रहे हैं इस बात में कोई दो राय नहीं है। पिछली सरकार के समय में भी लैंड एक्वायर की जाती थी और कितना मुआवजा दिया जाता था इस बात की सभी को जानकारी है। आज चाहे किसान को मुआवजा देने की बात हो या एन्यूटी की बात हो और चाहे रोजगार देने की बात हो। (विघ्न)

Mr. Speaker : Every Member get an opportunity to speak. कोई भी सदस्य बैठे-बैठे कमैंट्स नहीं करेगा। No sitting commentaries please.

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, अब मैं लैंड एक्वीजिशन पॉलिसी के बारे में बोलना चाहता हूं। हमारे पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार द्वारा फ्लोर रेट्स तय किये गये हैं, कृषकों को रोजगार देने की बात है, उनके परिवारों का पुनर्वास करने की बात है और उनको आने वाले 30 साल तक के लिए एन्यूटी देने का जो प्रावधान किया गया है ये सभी अपने आप में पूरे देश में एक अनूठी मिसाल है। देश के और राज्य भी इसी प्रारूप पर कार्य कर रहे हैं और इसको एक उदाहरण मानकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ-साथ हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात यहां पर कही है। हरियाणा के इतिहास में यह पहली सरकार है जिसने पंचायतों को 10 लाख रुपये तक स्वयं खर्च करने की स्वायत्ता दी है। यह राशि सीधे पंचायत के बैंक खाते में जाती है। इस प्रकार का अख्तियार पंचायतों को पहली बार दिया गया है। विपक्ष के सदस्य इस बात को माने चाहे न माने लेकिन यह बात सच में हो चुकी है। (विघ्न)

Mr. Speaker : No sitting commentaries please.

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में बात करना चाहूंगा। हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक गुणात्मक सुधार किये हैं। जो कि अपने आप में सराहनीय कदम हैं। चाहे शिक्षकों की भर्ती के लिए स्टेट की परीक्षा की ही बात हो। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा मेवात क्षेत्र पूरे प्रदेश में शिक्षा के लिहाज से पिछड़ा माना जाता है लेकिन हमारे यहां पर जितने स्कूल अपग्रेड किये गये हैं और जितने शिक्षकों की भर्ती की गई है इतना पिछले 46 साल में कभी नहीं हुआ था। ये सब दर्शाता है कि सरकार द्वारा किस प्रकार से शिक्षा के बारे में ध्यान दिया जा रहा है। (विघ्न)

Mr. Speaker : No sitting commentaries please.

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, उर्दू हमारे यहां तहज़ीब का एक माध्यम है। इसे एक जुबान कहा जाता है। इस विलुप्त होती उर्दू भाषा को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पुनर्जीवित किया है जिसके लिए 500 उर्दू शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा कर दी गई है जिनकी भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्द ही शुरू हो जायेगी। इसके अलावा हमारी कांग्रेस सरकार ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुचारू बनाने के लिए स्पैशली तौर पर एक Teachers Recruitment Board का गठन किया है जिससे हमारे बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने वाले सबसे अच्छे शिक्षक मिलेंगे। अब मैं खेल और युवा मामलों के बारे में सरकार की नीति के बारे में बताना चाहूंगा। हरियाणा सरकार ने "पदक लाओ और पद पाओ" की नीति बनाकर पूरे देश में सराहनीय काम किया है जिसके कारण प्रदेश में युवाओं ने अनेक खेलों में अच्छा प्रदर्शन करके अनेकों पदक लाकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है और अपने साथ-साथ पूरे देश और प्रदेश का भी मान-सम्मान बढ़ाया है। इस सबके लिए मैं सभी युवाओं के साथ-साथ पूरी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी हार्दिक मुबारकबाद देता हूं। इसके बाद मैं स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में बताना चाहूंगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हरियाणा बनने के बाद से सिर्फ रोहतक में ही एक मेडीकल कॉलेज हुआ करता था लेकिन आज सरकार द्वारा एक मेडीकल कॉलेज नल्हर में, दूसरा मेडीकल कॉलेज खानपुर कलां में और तीसरा मेडीकल कॉलेज करनाल में स्थापित करना इस बात का सूचक है कि किस तरीके से सरकार प्रदेश की जनता के लिए चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। इस बारे में मैं अपने जिले के बारे में भी एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्ष पहले मेरे जिले के सरकारी अस्पतालों में एक वर्ष में 10 हजार मरीज ओ.पी.डी. में आते थे लेकिन मुझे आज यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस समय हमारे जिले के सरकारी अस्पतालों में एक वर्ष में डेढ़ लाख से ऊपर मरीज ओ.पी.डी. में आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाईयों और मुफ्त उपचार की व्यवस्था करवाई गई है। इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। महिला डॉक्टर्स भी लग गई हैं। इसके साथ-साथ चाहे परिवहन की बात हो, चाहे अन्य सड़क निर्माण की या इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हरियाणा ने जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ट किया है वह आज अपने आप में एक उदाहरण है सड़कों का जाल बिछाया है और रेलवे ओवर ब्रिज बनाये हैं। (शोर एवं व्यवधान) इसके साथ-साथ हरियाणा में कानून व्यवस्था का जिक्र कई बार हमारे विपक्ष के साथी करते हैं तो हरियाणा में पिछली सरकार के समय में जो भय का शासन हुआ करता थे आज उससे मुक्ति मिली है। हरियाणा में भयमुक्त

प्रशासन है और हरियाणा में कानून और व्यवस्था की पोजीशन पहले के मुकाबले बहुत अच्छी है। **(इस समय माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए)** ना तो कहीं गोलियां चली हैं, ना ही कोई कंडेला कांड होता है, ना कहीं लाठी बरसाई जाती हैं। किसी गरीब या किसी किसान पर किसी तरह का अत्याचार नहीं होता। विपक्ष के साथी सिर्फ विरोध के लिए इस बात को उछालते रहते हैं कि यहां कानून व्यवस्था सही नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि हरियाणा की सरकार आज पूरे तरीके से अपनी तरक्की के सही रास्ते पर चल रही है। हमारा जो लक्ष्य है कि पिछली बार हरियाणा की जनता ने कांग्रेस का राज कायम किया था और फिर से 2009 के चुनाव के दौरान उसको सत्ता में लाये। अगली बार इसको फिर से सत्ता में लाकर हम हैट्रिक बनायेंगे। यह हम सब लोग दावा करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया जो मुझे बोलने का समय दिया और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That an address be presented to the Governor in the following terms:—

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply greatful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on 23rd February, 2012 at 2.00 P.M."

(इस समय माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए)

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर सर, मेरा प्वॉयंट आफ आर्डर है। मैं चौटाला साहब से जानना चाहती हूं कि वर्ष 2000 से 2005 तक जब इनकी सरकार थी उस समय मैं यहां सदन की मैम्बर थी। आज चौटाला साहब पैडी का और अन्य फसलों का जिक्र कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि इनके समय में जब फसलों का नुकसान होता था तो इन्होंने लोगों को क्या मुआवजा दिया था जो आज ये भाव की बात कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अनीता जी, आप रेट पूछना चाहती हो क्या ?

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूं कि उस समय पैडी व अन्य फसलों के क्या भाव थे और पैडी आज क्या भाव हैं ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, अगर यहीं प्वॉयंट आफ आर्डर है तो मैं आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि आगे के लिए ध्यान रखा जाये। अनीता जी जो प्रश्न पूछना चाहती थी वो पूछ नहीं पाई।

श्रीमती अनिता यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्वॉयंट ऑफ आर्डर लिया है और दूसरे मैं आपके माध्यम से चौटाला साहब से यह जानना चाहती हूं कि जब इनकी सरकार थी उस समय फसलों के क्या भाव थे, अनाज के क्या भाव थे और आज के दिन क्या हैं?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर यहीं प्वॉयंट आफ आर्डर है तो मैं अनुरोध करूंगा कि आगे के लिए ध्यान रखा जाये। अनीता जी जो प्रश्न पूछना चाहती थी वो पूछ नहीं पाई। मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार के वक्त में बाजरा के भाव 505 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से निर्धारित था। एक-एक दाना 505 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा

गया चाहे वह गीला था, सूखा था, काला था या पीला था और न ही ये देखा कि राजस्थान का है, पंजाब का है या कहां का है?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम किशन फौजी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : फौजी साहब, प्वायंट ऑफ आर्डर ही होना चाहिए। Otherwise I will not allow you.

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे उस समय सौभाग्य से मैं भी विधान सभा का सदस्य था। उस समय हरियाणा प्रदेश के किसानों को बाजरे की बिजाई के लिए पानी नहीं मिला था इसलिए बाजरा हुआ ही नहीं था तो खरीदा कहां से था। उस समय प्रदेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्होंने राजस्थान से अपने दोस्तों से बाजरा मंगवाया था। चौटाला साहब की सरकार के समय हमारे यहां के किसानों पर तो अकाल पे अकाल पड़ा था। बाजरा हुआ ही नहीं था। मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूं। बाजरे की फसल की बिजाई के लिए पानी मिला ही नहीं। आप सिवानी मंडी का रिकार्ड निकलवाकर देख लें। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर दोहरा दूं कि यदि इस तरह से प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर होंगे तो फिर तो मेरा सारा समय ऐसे ही चला जाएगा।

श्री अध्यक्ष : लेकिन इनका यह प्वॉयंट तो वैलिड है कि आपने एक दाना भी नहीं खरीदा। आप उसका जवाब दे दें।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री धर्मबीर सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है। मुझे याद है कि 2002-03 में बाजरे का रेट 270 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास था। उस समय हमने नूंह में रैली की थी इसलिए मुझे याद है। चौटाला साहब उस समय के रिकार्ड दिखायें कि बाजरे का भाव 505 रुपये प्रति क्विंटल कब था? मैं यह चाहता हूं कि रिकार्ड दिखाया जाये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अब इनको यह भी मुझे बताने की जरूरत है कि मूल्य निर्धारण केन्द्र सरकार करती है। इसमें भी रिकार्ड की जरूरत है ?

श्री अध्यक्ष : रेट निर्धारित आपने तो नहीं किए ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार ने उस समय बाजरा नहीं खरीदा था। हमने खरीदा था, चाहे अपने खर्चे में कटौती की, कहीं से कर्ज लिया लेकिन फिर भी बाजरे की फसल का एक-एक दाना खरीदा। किसान का बाजरा 505 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा। अध्यक्ष महोदय, ये रिकार्ड के बारे में भी मुझसे कहेंगे। ये भी तो सदन के सदस्य थे। ये खुद भी रिकार्ड निकलवाकर देख सकते हैं। आज तो इनकी सरकार है। आप इनको रिकार्ड मंगवाकर दिखा दें।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है। चौटाला साहब की यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फसलों का रेट केन्द्र सरकार निर्धारित करती है। मैं आपकी अनुमति से माननीय विपक्ष के नेता को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि उस समय केन्द्र सरकार जो किसान की फसलों के मूल्यों में चाहे वह बाजरे के हों, चाहे गेहूं के हों, चाहे

पैडी के हों, 5-5 रुपये की बढ़ोत्तरी करके किसानों का उपहास उड़ती थी, वह केन्द्र की सरकार इनके पांच साथियों के समर्थन से चलती थी, इस पर भी चौटाला साहब ने कभी यह नहीं कहा कि मैं समर्थन वापस ले लूंगा। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यू.पी.ए. सरकार और सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सैकड़ों प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ौतरी करके एक नया इतिहास इस देश में रचकर दिखाया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या ये भी प्वॉयंट आफ आर्डर है? क्या आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसी परम्पराएं कायम न हों।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से अनुराध है कि लीडर ऑफ दि अपोजीशन बोल रहे हैं उनके बोलने का कुछ महत्व होता है। आपको अगर कोई प्वॉयंट ऑफ आर्डर ऐक्चुअली है तो उठाइए अन्यथा उनको बोलने दीजिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कृषि का जहां तक सवाल है। हम सब खेती से जुड़े हुए लोग हैं आज जो किसान की हालत है उसके बारे में लम्बे चौड़े उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस वक्त सदन में नहीं है लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी बात सुन रहे होंगे। वे जिस किसी भी सभा में बोलते हैं तो वे हाथ उठा कर कहते हैं कि मैं किसान का बहुत बड़ा हितैषी हूं। हमारे प्रदेश में जो आज गन्ने का भाव है वह उस दलित की बेटी के प्रदेश से कम है। अफसोस तो इस बात का है कि जहां उत्तर प्रदेश का गन्ना हमारी मिलों में क्रश होता था, आज हमार गन्ना वहां उत्तर प्रदेश में जाकर क्रश हो रहा है क्योंकि वहां पर भाव ज्यादा हैं। हमारे यहां गन्ने का भाव कम है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, महोदय, ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर, विपक्ष के नेता द्वारा सदन को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए इस बात की क्लैरीफिकेशन इसी समय आना जरूरी है ताकि विपक्ष के नेता की किसी बात के द्वारा हाउस गुमराह न हो। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आने वाला है, चुनाव के लालच के अन्दर उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमसे ज्यादा गन्ने का भाव अभी किया है। जबकि चौटाला जी भूल गये जब उन्होंने यह बात कही क्योंकि सात वर्ष तक देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव अगर किसी ने दिया तो वह हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने दिया है। इससे पहले देश के पड़ौसी राज्यों का गन्ना हमारे प्रदेश में आता था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो इस समय तथ्य पर आधारित बात है। मैं वहीं बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी यह तो बता सकते हैं कि इनकी सरकार के समय में गन्ने का भाव कितना इन्क्रीज हुआ है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात इस समय कहने की आवश्यकता क्या पड़ी है। जब सरकार का रिप्लाई आयेगा तब उसमें ये सारी बातें आ जायेंगी। जो भी सदन का सदस्य बोल रहा हो उसकी बात को नोट किया जाए और जब लीडर ऑफ दि हाउस उसका रिप्लाई दें तो उस समय उसका जवाब दे दें। अगर किसी मंत्री से संबंधित कोई बात है तो वह

[श्री ओमप्रकाश चौटाला]

जवाब दे दे। लेकिन यह तो नहीं कि एक-एक प्वॉयंट पर इस तरह से डिस्टर्ब करके सदन का समय खराब किया जाए और यह आज की नहीं है यह तो पुरानी परम्परा है। मैं यह समझता था कि आपके रहते इसमें थोड़ा सुधार हुआ होगा।

श्री अध्यक्ष : प्वॉयंट ऑफ आर्डर पर प्वॉयंट ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वह सरकार दे सकती है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पर्सनल एक्सप्लेनेशन तो हो सकती है सरकार से जुड़े हुए मंत्री की जिम्मेवारी है कि विभाग से संबंधित कोई बात है तो वह मेरे बोलने के बाद मंत्री जी अपने जवाब में इस बारे में क्लेरीफिकेशन दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : पार्लियामेंटरी एफेयर्ज मिनिस्टर ने सिर्फ यही कहा है कि क्या भाव था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब उनको बोलने का अवसर मिले तब वह इस बात को क्लीयर कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, उसी बात पर प्वॉयंट ऑफ आर्डर रेज किया जा सकता है जब हाउस को मिसलीड किया जा रहा हो। House cannot be mislead जब भी हाउस को मिसलीड किया जायेगा तो प्वॉयंट ऑफ आर्डर रेज किया जायेगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई सदस्य हाउस को मिसलीड करता है तो उस सदस्य को बोलने के बाद मंत्री जी उस बात को क्लीयर कर सकते हैं। ये तो संयोग से मंत्री हैं जब इनके विभाग से कोई बात जुड़ी होगी तो ये उस बात को क्लीयर कर सकते हैं। अगर इनके पास कृषि विभाग है तो कृषि से जुड़ी हुई बात कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने जा रहा हूं कि आज किसान की हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। एक तरफ तो किसान को एक साजिश के तहत आर्थिक तौर पर कमजोर करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं और दूसरी तरफ वह अपने खेत से वंचित होकर किसी दूसरे के खेत में जाकर किसी की मजदूरी करने पर आमदा हो जाय यह कौन सी अच्छी बात है। एस.ई.जैड. के नाम पर अभी श्री विनोद शर्मा जी ने जिक्र किया था, एस.ई.जैड. की हमने भी सराहना की थी। जब एस.ई.जैड. स्थापित करने की बात सरकार द्वारा कही गई थी तो उस वक्त यह कहा गया था कि जब एस.ई.जैड. स्थापित होगा तो हरियाणा प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योग धन्धे स्थापित होंगे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। हमें भी बहुत खुशी हुई कि हरियाणा के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और सराकर का रेवेन्यू बढ़ेगा और विकास के काम को गति मिलेगी। (विघ्न) मैं यह कह रहा था कि जहां सरकार द्वारा एस.ई.जैड. के नाम पर हजारों एकड़ किसानों की जमीन ली गई और एच.एस.आई.आई.डी.सी. की 1300 एकड़ जमीन लेने का काम किया है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है। आदरणीय चौटाला जी ने यह कहा कि किसानों की हजारों एकड़ जमीन एस.ई.जैड. के नाम पर ली गई this is the breach of privilege of the House चौटाला जी सरासर गलत कह रहे हैं एस.ई.जैड. के नाम पर हरियाणा सरकार ने किसानों की एक इंच भी भूमि नहीं ली यह रिकार्ड की बात है।

श्री अध्यक्ष : अगर कोई मिसलीडिंग स्टेटमैंट दी जाती है by any member, the other member can raise a point of order.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने किसानों की एक इंच भूमि भी एस.ई.जेड. के नाम पर नहीं ली बल्कि वह एच.एस.आई.आई.डी.सी. की जमीन है।

श्री अध्यक्ष : किसी भी मिस लीडिंग बात पर क्लैरीफिकेशन के लिए माननीय सदस्य कह रहे हैं कि this is misleading of the House.

13.00 बजे **श्री ओम प्रकाश चौटाला** : अध्यक्ष महोदय, जब अवसर आए तब ये जवाब दे दें। क्या 1300 कुछ एकड़ जमीन HSIIDC की इन्होंने रिलांयस को नहीं दी ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हाउस की एक कमेटी बना दी जाए। चौटाला जी हाउस को गुमराह कर रहे हैं। हमारी सरकार ने एक इंच भी जमीन एस.ई.जेड. के लिए एक्वायर नहीं की। ओम प्रकाश चौटाला जी ब्यान कर रहे हैं कि हजारों एकड़ जमीन एस.ई.जेड. के लिए एक्वायर की गई। Whosoever is guilty should be punished by this House. I am voluntarily saying this. मैं चौटाला जी को कहता हूं कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दी जाए और अगर ये दोषी हैं तो इनको सजा दी जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सजा किस-किस को मिलेगी। (शोर एवं व्यवधान) फैक्ट्स की जरूरत नहीं है। मैं तथ्यों पर ही आ जाता हूं। मैं हाथ के हाथ असलियत बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आपको तो इनकी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि आपने एक स्टेटमैंट दिया है कि सरकार ने हजारो एकड़ जमीन एस.ई.जैड. के नाम से एक्वायर कर ली लेकिन ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक इंच भी जमीन एस.ई.जैड. के लिए एक्वायर नहीं की और इस पर हाउस की एक कमेटी बना दी जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, किस बात की कमेटी बना दी जाए, आप मेरी बात तो सुनें। मैं यहां हाथ के हाथ साफ कर देता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सच्चाई इसके विपरीत है। सच्चाई यह है कि इस जमीन का सैक्शन 4 का नोटिफिकेशन चौटाला की सरकार में हुआ था और चौटाला जी ने यह जमीन एक्वायर की थी। हमने तो वहां रिलायंस और HSIIDC के साथ मिलकर एस.ई.जेड. लगाने का समझौता किया था। जमीन तो इन्होंने एक्वायर की थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह तरीका ठीक नहीं है। आप पहले इनको बिठाओ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप गुस्से में मत आओ, आप मेरी बात सुन लो। प्वॉयंट आफ आर्डर के बारे में जो लॉ है वह बिल्कुल क्लीयर है कि अगर कोई भी मिसलीडिंग बात हाउस में

[श्री अध्यक्ष]

कही जाए जो किसी भी मैम्बर के लिए मिसलीडिंग हो सकती है तो वह उस पर प्वॉयंट आफ आर्डर रेज करके क्लेरीफिकेशन या तो वक्ता से मांग सकता है या खुद दे सकता है। ये सरकार में मंत्री हैं, इनके पास विभाग भले ही नहीं है लेकिन एज ए मिनिस्टर इनकी रिस्पोंसबिलिटी है और ये इस बात को रेज करना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) चौटाला साहब, आप गुस्से में बोल तो रहे हैं लेकिन आप इस बात को समझिए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मंत्री जी ने आपको चुनौती दी है कि एक इंच भी जमीन एस.ई.जैड. के लिए मौजूदा सरकार ने एक्वायर की हो तो इस बारे में एक कमेटी बना दी जाए इसमें आपको क्या एतराज है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, एस.ई.जैड. के लिए जो निर्णय लिया गया था वह यह था कि 25 परसैंट जमीन सरकार अधिग्रहण करके देगी। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, कमेटी की जरूरत ही नहीं हैं, मैं इसको क्लीयर कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आप क्लीयर करिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हमने रिलांयस या किसी और कम्पनी को एस.ई.जैड. के लिए जमीन अधिग्रहण करके नहीं दी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लीयर करना चाहता हूं कि उस समय यह निर्णय लिया गया था कि एस.ई.जैड. के लिए 25 परसैंट जमीन सरकार अधिग्रहण करके देगी और 75 परसैंट जमीन एस.ई.जैड. स्थापित करने वाले लोग खुद किसानों से खरीदेंगे। इसमें किसी के कहने की जरूरत नहीं है। रिलायंस कम्पनी ने झज्जर में किसानों की जो जमीन खरीदी है उसमें बाकायदा से एग्रीमैंट किया हुआ है कि हम इस जमीन पर एस.ई.जैड. स्थापित करेंगे फिर इसमें स्पष्टीकरण की क्या जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह जमीन सरकार ने खरीदी है?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नहीं खरीदी बल्कि रिलांयस कम्पनी जिसको सरकार ने एस.ई.जैड. स्थापित करने का लाइसैंस दिया था, उस कम्पनी ने किसानों से जो जमीन खरीदी है उसमें बाकायदा से एग्रीमैंट है कि हम इस जमीन पर एस.ई.जैड. स्थापित करेंगे लेकिन आज रिलांयस कम्पनी उस जमीन को बेच रही है। सरकार तो उस जमीन को वापिस ले रही है। अभी विनोद शर्मा जी ने बताया कि सरकार ने वह जमीन वापिस ले ली है। एक तरफ तो HSIIDC की वह जमीन सरकार वापिस ले रही है और दूसरी तरफ एग्रीमैंट में लिखा गया है कि किसानों की जो जमीन एस.ई.जैड. स्थापित करने के लिए एक्वायर की गई है वह किसान की जमीन बेची जा रही है।

Mr. Speaker : Chautala Ji, mover of the motion is on a point of order.

श्री विनोद कुमार शर्मा: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लेकर एक बात कही है इसलिए मैं कहना चाहूंगा......

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्तावक की बात की है।

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शायद ध्यान से सुना नहीं जो मैंने कहा था। चाहे तो रिकार्ड निकलवाकर देख लें, मैंने कहा था कि चौटाला सरकार के समय में जिस जमीन को एक्वायर करने का सैक्शन 4 का नोटिफिकेशन हुआ था, उस जमीन में अगर इंडिस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो उस जमीन को लेने का मकसद पूरा नहीं होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने यह कोशिश की है कि यह जमीन सरकार की है और यह जमीन HSIIDC ने ली थी इसलिए HSIIDC को ही वापिस मिलनी चाहिए। यह उनकी पूरी कोशिश है। मैंने यही कहा था और आप इसको पढ़ लीजिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक ने सरकार की सराहना करते हुए यह कहा था कि सरकार ने एस.ई.जैड. के नाम पर जो जमीन ली थी, हमें खुशी है कि उसको वापिस लेने के लिए चिट्ठी लिखी है। (विघ्न) चाहे तो आप रिकार्ड देख लें।

श्री विनोद कुमार शर्मा: आप रिकार्ड देख लें। मैं अभी भी कहता हूं कि सरकार की सराहना मैंने इस बात के लिए की थी कि एस.ई.जैड. लगने से प्रदेश के लाखों लोगों को नौकरियां मिल सकती थी परंतु हमारे विरोधी पार्टी के साथियों ने उस वक्त भी इसका डटकर विरोध किया था मैंने यह कहा था।(विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम तो उस वक्त भी विरोधी थे, आज भी हैं और कल भी विरोध करेंगे। (विघ्न) क्योंकि किसानों की जमीन हम कोड़ियों के भाव लुटने नहीं देंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, पहले विपक्ष के नेता यह तो क्लैरीफाई कर दें कि ये एस.ई.जैड. के समर्थक हैं या विरोधी हैं। कभी ये समर्थन करते हैं और कभी विरोध करते हैं। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम उस वक्त एस.ई.जैड. के समर्थक थे जब सरकार कहती थी कि इससे सरकार को हजारों करोड़ रुपये का रैवेन्यू आयेगा और प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। (विघ्न) जिस एस.ई.जैड. के नाम पर यह कहा गया था कि वहां कई कम्पनियां अपने प्लांट लगायेंगी। (विघ्न) लेकिन आज तक वहां कोई एक ईंट नहीं लगी है।

राव धर्मपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है। मैं रिकार्ड के मुताबिक एस.ई.जैड. की पहली नोटिफिकेशन हुई थी उसके बारे में बताना चाहता हूं कि एस.ई.जैड. की पहली नोटिफिकेशन 29 जनवरी, 2003 को हुई थी। अब चौटाला साहब देख लें कि उस समय किसकी सरकार थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप यह रिकार्ड मेरे पास भिजवायें (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा था कि गुड़गांव में एस.ई.जैड. के लिए चौटाला साहब के समय में किसानों की जमीन एक्वायर की गई थी। उस जमीन का दफा-4 का नोटिस जनवरी, 2003 में किया गया था जिसकी कापी आप लिये हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने तो एक संयुक्त एस.ई.जैड. बनाने का निर्णय लिया था। वह समझौता विपक्ष के साथियों के विरोध के कारण पूरा नहीं हो पाया और आज ये समर्थक बने हैं। एस.ई.जैड. वहां

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

स्थापित नहीं हो रहा इसलिए हमने वह जमीन वापिस सरकार के पास लेने की कार्यवाही शुरू की है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार अपनी जमीन तो वापिस ले रही है लेकिन झज्जर के वे किसान जिनकी हजारों एकड़ जमीन 20-22 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी गई थी और इस एग्रीमैंट के साथ खरीदी गई थी.... (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका है, यह कोई बात हुई कि इस तरह से बीच में टोका-टाकी कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठें। लीडर ऑफ दि अपोजीशन बोल रहे हैं। (विघ्न) आपका झज्जर से मतलब क्या है?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, बीच में टोका टाकी करें यह कोई तरीका नहीं है। इस तरह से कैसे सदन चलेगा? (विघ्न)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस समय ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी तब उसी जमीन की मुआवजा राशि कितनी रखी गई थी? अध्यक्ष महोदय, वह हमारी जमीन है और एस.ई.जैड. के लिए हमारी जमीन गई है। मेरे खुद की जमीन भी एस.ई.जैड. में गई है। इन्होंने उस जमीन की मुआवजा राशि 2 लाख 60 हजार रुपये प्रति एकड़ रखी थी और जब हम आवाज उठाते थे तो किसानों पर लाठियां बरसाई जाती थी। उस जमीन का मुआवजा चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने 22 लाख रुपये प्रति एकड़ दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, जमीनों के रेट समय-समय पर बढ़ते रहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, पहले इन सबको बुलवा लें उसके बाद हमें टाईम दे देना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बताना चाहूंगा कि झज्जर में जो रिलायंस कंपनी ने जमीन खरीदी थी उसका एस.ई.जैड. के लिए डिनोटिफिकेशन करवाया गया था। मैं आदरणीय चौटाला साहब को बताना चाहूंगा कि एस.ई.जैड. का मतलब भी उद्योग लगाना होता है। उन्होंने एस.सी.जैड. पर मैट लगने के कारण उसको मॉडल इण्डस्ट्रीयल टाऊनशिप में कन्वर्ट कराकर उसका औद्योगीकरण वैसे ही कर रहे हैं ताकि हजारों बच्चों को रोजगार मिल सके और प्रदेश को बहुत सारा रेवेन्यू मिले। अध्यक्ष महोदय, यह उसी का नतीजा है कि मितसुई और पैनासोनिक जो कि एशिया की सबसे बड़ी वाईड गुड्स फैक्टरीज हैं आज झज्जर में लगने जा रही है। मितसुई का लोजैस्टिक हब आज झज्जर में आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमें यह उम्मीद है कि जो मॉडल इण्डस्ट्रीयल टाऊनशिप रिलायंस कंपनी वहां आई.एल.एफ.एस. के साथ मिलकर लगायेगी उससे न केवल हजारों करोड़ रुपये का प्रदेश में निवेश आयेगा बल्कि झज्जर के एरिया में हजारों-लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अब तो कोई और भी प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहता है तो बोल ले। अभी इनको पूरी छूट हैं, नहीं तो ये फिर बाद में खराबी करेंगे।

Mr. Speaker : Chautala Ji, please you carry on.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जिस एस.ई.जैड. की बात की गई उस एस.ई.जैड. के आधार पर हमने जो अखबारों में पढ़ा और सुना कि रिलायंस कंपनी ने जो जमीन एस.ई.जैड. के नाम पर किसानों से खरीदी थी वह जमीन रिलायंस ने आगे किसी दूसरी कंपनी को बेच दी। वह कंपनी क्या करेगी यह उस पर निर्भर करता है लेकिन जिस मकसद से किसान की जमीन खरीदी गई थी और एग्रीमैंट लिखा गया था कि उस जमीन पर एस.ई.जैड. स्थापित करेंगे वह उस कंपनी ने स्थापित नहीं किया। उस जमीन में से उस कंपनी ने बहुत सी जमीन तो दूसरी कंपनीज को बेच दी है। अब यह सारी साजिश इसलिए की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि किसान की जमीन जिस किसी परपज़ से अधिग्रहण की जाये उसी परपज़ के लिए यूज की जाये। यदि वह परपज़ सर्व न होता हो तो किसान को वह जमीन वापिस दे दी जाये। अध्यक्ष महोदय, सरकार अपनी जमीन तो वापिस ले रही है लेकिन किसानों की जो जमीन ली गई थी उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता को एक बात बताना चाहता हूं कि जमीन के अधिग्रहण में और खरीदने में बहुत अंतर होता है। इन्होंने पता नहीं कहा-कहां जमीन खरीद रखी है क्या ये सबको जमीन वापिस करेंगे? अधिग्रहण के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी है, यह अलग बात है। जहां तक ये झज्जर की जमीन की बात कर रहे हैं उस बारे में सरकार का एक ही रोल था कि सरकार ने इस जमीन के फ्लोर रेट फिक्स किये थे। सेज में स्टैम्प ड्यूटी की एग्जम्पशन मिलती है वह हमने किसी को भी नहीं दी है। सेज तब मानी जाती है जब वह स्टैम्प ड्यूटी हमसे वापिस ले लेते हैं, एग्जम्पशन देते हैं, रिफण्ड करते हैं। किसी को भी कोई स्टैम्प ड्यूटी की रिफण्ड नहीं दी गई है। ये किसान ने बेची है और उन्होंने खरीदी है। सरकार ने तो किसान के हित में यह किया कि उस जमीन का फ्लोर रेट फिक्स कर दिया कि इस रेट से कम पर नहीं खरीदी जा सकती। सरकार ने यह फैसला किसानों के हित के दृष्टिगत किया है। विपक्ष के नेता पता नहीं किसान विरोधी हैं या किसान हितैषी? यह मुझे मालूम नहीं है। सेज की बात कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि मैं सेज का विरोधी हूं। जब इस जमीन की एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा सैक्शन 4 की नोटिफिकेशन जारी की गई तब इन्होंने उसमें बाकायदा लिखा था कि हम इस जमीन को सेज के लिए खरीदेंगे। कभी ये सेज विरोधी हो जाते हैं और कभी समर्थक हो जाते हैं। इनको कुछ मालूम ही नहीं है कि कहां विरोध करना है और कहां समर्थन करना है। ये जमीन की खरीद और अधिग्रहण के अन्तर को भी नहीं समझ रहे हैं। इस बारे में मेरा यह कहना है कि अधिग्रहण की अलग नीति है और खरीद की अलग नीति है। अब कौन किस से जमीन खरीद रहा है और कौन किस की जमीन वापिस कर रहा है यह विपक्ष के नेता को भी मालूम है और आप भी जानते हैं।

Mr. Speaker : Hon'ble Chief Minister, I would like to know from the Government did you fix the floor rates?

Shri Bhupinder Singh Hoods : Yes Sir.

Mr. Speaker : Were there any floor rates?

Shri Bhupinder Singh Hooda : Sir, floor rates were for acquisition purposes for the whole State.

Mr. Speaker : Were there any floor rates before that?

Shri Bhupinder Singh Hooda : There was nor floor rate before that.

Mr. Speaker : At what rate the lands were acquired prior to that?

Shri Bhupinder Singh Hooda : Speaker Sir, the detail I will submit, but as far as I know the land was acquired even at the rate of Rs. 60,000/- Rs. One lac per acre during that tenure.

Mr. Speaker : Was it Rs. one lac per acre?

Shri Bhupinder Singh Hooda : Even less than that like Rs. 60,000/- per acre.

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, 2003 और 2005 में कितना डिफरैंस होगा? अगर जमीन की कीमत 1.75 लाख से 22 लाख रुपये प्रति एकड़ पर पहुंच गई है तो यह बहुत बड़ी बात है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, अगर आप मुझे बोलने के लिए अलाऊ करें तो मैं सारी बाते आपको बता सकता हूं।

Mr. Speaker : Arora ji, present Government came out with the policy either collector rate or floor rate or average rate whichever is the highest, farmer would get and with that 33 years anuity and other benefits. अरोड़ा जी एन्युटी तो आपकी सरकार ने भी दी होगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, इन्होंने तो सारे हरियाणा की एन्युटी ली है दी नहीं है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, जब से यह सरकार आई है तब से माननीय मुख्यमंत्री जी एक ही बात का बहुत ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने किसान को जमीनों का सबसे ज्यादा रेट दिया है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, ढिंढोरा तो ये लोग पीटते हैं हम तो फैक्ट्स की बात करते हैं। ढिंढोरा पीटने का क्या मतलब है ? What do you mean by dhindhora?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं ढिंढोरा शब्द इस्तेमाल नहीं करता मैं कहता हूं कि ये इस बात का बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। यह आपने भी देखा है कि पहले जब किसान की जमीन एक्वायर होती थी तो एक एकड़ के अगर उसको 5 लाख रुपये मिलते थे तो उस पाच लाख रुपये में उसे 3 एकड़ जमीन मिल जाती थी और आज एक एकड़ के 20 लाख रुपये उसे मिलते हैं तो उससे आधा एकड़ जमीन भी उसे नहीं मिलती। आज के समय में जमीन की यह हालत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह : स्पीकर सर, ***

Mr. Speaker : No body should speak without my permission. Rao Sahib please take your seat. (Interruption) Nothing is to be recorded.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात पहले भी क्लीयर कर दी थी शायद माननीय मुख्यमंत्री जी उसे समझ नहीं पाये या फिर सुन नहीं पाये। यह ठीक है कि सरकार ने यह जमीन नहीं खरीदी लेकिन झज्जर के किसान से जिस कम्पनी के द्वारा जो जमीन खरीदी गई उसका बाकायदगी से एग्रीमैंट किया गया था कि हम इस जमीन में एस.ई.जैड. लगायेंगे और सात साल के अर्से में उन जमीनों में एक ईंट तक भी कहीं नहीं लगी। जबकि सरकार बड़े बलैंग बांग दावे करते थी कि हजारों करोड़ का रेवेन्यु आयेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। कहीं भी एस.ई.जैड. के नाम से कोई कारखाना लगा हो तो बताया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। चाहे वह स्पैशल इकोनोमिक जोन हो और चाहे वह इंडस हो इसका परप्ज क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं से यह प्रश्न पूछता हूं। स्पैशल इकोनोमिक जोन का परपज है कि उद्योग लगाये जाएं और उद्योग लगाने से ज्यादा से ज्यादा उनसे निवेश आए ताकि स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़े और प्रदेश में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न हों। क्योंकि एस.ई.जैड. में मैट लगा दिया गया और एस.ई.जैड. लगाने वाली कम्पनी को लगा कि यह वायबल नहीं है। आई.एल.एफ.एस. जो बहुत बड़ी कन्सलटिंग इन्टरनेशनल कम्पनी है और उसमें ज्यादातर भारत सरकार के अधिकारी रिटायरमैंट के बाद काम करते हैं। आई.एल.एफ.एस. और रिलायन्स ने मिलकर मॉडल इण्डस्ट्रियल टाऊनशिप झज्जर में लगाने का निर्णय लिया। श्री चौटाला साहब ने यह कहा कि वहां पर एक उद्योग भी किसी कम्पनी ने लगाया हो तो इस बारे में सरकार बता दे। वहां पर आलरैडी नेशनल पैनासोनिक कम्पनी ने एक हजार करोड़ रुपये का निवेश कर दिया है जोकि एशिया कि सबसे बड़ी वाईडगुड्ज की फैक्टरी वहां पर लगा रही है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यही बात तो मैंने पहले कही है कि इस कम्पनी ने रिलायन्स से जमीन खरीदी है जिस रिलायन्स कम्पनी ने सरकार से एग्रीमैंट किया हुआ है कि इस जमीन पर हम उद्योग लगायेंगे और मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब फिर सदन को बरगला रहे हैं कि उन्होंने यह जमीन रिलायन्स से खरीदी है। रिलायन्स और आई.एल.एफ.एस. ने मिलकर एक समझौता किया है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, समझौता किस के साथ हुआ है और लिखित में कहां पर समझौता हुआ है, वह जमीन तो बाकायदा नोटिस देकर के बेची गई है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये दोनों कम्पनियां मिलकर झज्जर में एक मॉडल टाऊनशिप लगा रही हैं। सर, मेरा कन्सर्न इतना है कि मेरे स्टेट के अन्दर इण्डस्ट्रलाईजेशन हो और चौटाला जी का भी यही कन्सर्न है। अगर यही कन्सर्न है तो मितसुई कम्पनी वहां पर आई है और डैन्सो कम्पनी वहां पर आई है, वहां पर नेशनल पैनासोनिक कम्पनी आई है।

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

मितसुई कम्पनी जो ट्रेडिंग हाऊस के साथ-साथ एक बहुत बड़ी लौजिस्टिक कम्पनी है यह कम्पनी वहां पर एक बहुत बड़ा लौजिस्टक हब खोलने जा रही है जो मुम्बई और दिल्ली इण्डस्ट्रियल कोरीडोर से जुड़ेगा। हजारों करोड़ों रुपये का निवेश स्टेट के अन्दर आ रहा है, रोजगार आ रहा है। पूरे झज्जर का जो मानचित्र है वह एक औद्योगिक केन्द्र के रूप में उभर रहा है। मुझे नहीं पता कि झज्जर अगर औद्योगिक केन्द्र के रूप में उभरे तो विपक्ष के नेता को पीड़ा क्यों होती है। हमारे तो ये प्रयास है कि जहां-जहां उद्योग आ सकते हैं। अगर आई.एम.टी. रोहतक और झज्जर के अन्दर उद्योग आयेगा तो पूरे हरियाणा के और इस इलाके के बच्चों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश में अगर निवेश आयेगा, अगर एक्साईज का रेवेन्यु आयेगा, अगर सेल्ज टैक्स आयेगा तो इसमें इनको क्या एतराज है?

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, मंत्री जी का यह कहना है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी कहना चाह रहे हैं उसके बारे में मैं सदन को पहले ही बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष : हां जी आप बताईये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जितने भी उद्योग-धन्धों का जिक्र किया है इन कम्पनियों को जमीन रिलायन्स कम्पनी ने बेची है। इन कम्पनियों ने अपने तौर पर जमीन नहीं ली है और न ही सरकार ने यह जमीन अधिग्रहण करके दी है। रिलायन्स कम्पनी से जमीन ली गई है यह तो सरकार रिलायन्स कम्पनी से पूछे कि किस रेट पर यह जमीन उन कम्पनियों ने ली है। किसानों ने यह जमीन 22 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से तो रिलायन्स कम्पनी को दी गई थी जोकि रिलायन्स कम्पनी ने एग्रीमेंट के तहत किसान से यह जमीन खरीदी और अब रिलायन्स कम्पनी ने उन कम्पनियों को करोड़ों के हिसाब से बेची है और अब उन कम्पनियों को वहां उद्योग लगाने की छूट दी गई है और अब एस.ई.जैड. को समाप्त कर दिया गया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आता चौटाला साहब से यह पूछा जाए कि रिलायन्स ने एग्रीमेंट के तहत किससे यह जमीन खरीदी है?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, रिलायन्स कम्पनी ने इस एग्रीमेंट के तहत यह जमीन किसानों से खरीदी थी कि इस जमीन पर एस.ई.जैड. लगायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप चाहे तो उस जमीन की रजिस्ट्री मंगवा कर देख लें उसमें बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है और यह रिकार्ड की चीज है। यह लिखित रूप में है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह जमीन रिलायन्स कम्पनी ने किसानों से डायरेक्ट खरीदी है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, इनका बार-बार यह कहना है कि यह नहीं पता लग पा रहा है कि आप एस.ई.जैड. के हक में हैं या खिलाफ हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू में ही एक बात कही थी शायद आपने नोट नहीं की है आपने वह बात कार्यवाही से कटवाई तो नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, कटवाई नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि हम बड़े खुश हुए थे क्योंकि एस.ई.जेड. के नाम पर सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब आप एस.ई.जैड. के हक में हैं?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हाँ, हम उस वक्त एस.ई.जैड. के हक में थे लेकिन अब हम इसके हक में नहीं है क्योंकि एस.ई.जैड. से किसी को भी रोजगार नहीं मिला है। सरकार के खजाने में रेवेन्यू नहीं आया है। किसी व्यक्ति को एस.ई.जेड. से नौकरी तक नहीं मिली है, कोई कारखाना नहीं लगा है इसलिए कैसे हम एस.ई.जैड. के हक में हो सकते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड निकलवाकर दिखवा लें इन्होंने यह कहा है कि हम उस समय भी विरोध में थे, अब भी विरोध में है और आगे भी विरोध में रहेंगे। अब ये कह रहे हैं कि हम उस वक्त हक में थे। इनको एक बात करनी चाहिए। आप चाहें तो रिकार्ड निकलवाकर दिखवा लें। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम न केवल एस.ई.जेड. के विरोध में ही हैं बल्कि हमारा तो यह भी कहना है कि हम उस जमीन में किसी को घुसने तक नहीं देंगे चाहे तो सरकार कितना भी प्रयास क्यों न कर ले।

Shri Bhupinder Singh Hooda : Speaker Sir, how these people stand like this? Within five minutes he is giving different statements. I would like to request you to go on record.

Mr. Speaker : I will see. (Interruption). अनीता जी आपको प्वॉयंट आफ आर्डर पर ही बोलना है।

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर सर, मैं प्वॉयंट आफ आर्डर पर ही बोलूंगी। सर 2000 से 2005 तक मैं इस सदन की सदस्य रही है। उस टाईम जमीन के रेट और आज के रेट में कितना फर्क है। उस टाईम दो लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन के रेट फिक्स होते थे और बेशकीमती जमीन जहां भी जिस शहर में मौके पर होती थी एक्वायर कर ली जाती थी और उस जमीन पर ताऊ देवीलाल जी के बुत लगा दिये जाते थे।

श्री अध्यक्ष : अनीता जी, क्या आपके हल्के में भी कोई ऐसी जमीन एक्वायर हुई थी ?

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर सर, मेरी खुद की जमीन एक्वायर हुई थी इसलिए तो मैं बोल रही हूं (शोर एवं व्यवधान)। इन्होंने झज्जर में मेरी दो एकड़ जमीन थी उसको एक्वायर करके उसमें सैक्टर काट दिया था।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अनीता जी, उस जमीन पर बढ़िया पार्क बने और लोगों को बेहतर सुविधायें मिली लेकिन लगता है आपका इन चीजों की तरफ कोई ध्यान हीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अनीता जी, आप बैठिये। विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। वे जिस विषय पर बोल रहे हैं उस विषय पर प्वॉयंट आफ आर्डर करिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : स्पीकर सर, क्या अब मुझे बोलने की अनुमति है।

श्री अध्यक्ष : यस प्लीज, चौटाला साहब।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, रोजगार की बात चल रही थी। आज एक तरफ तो किसान खेती से इतना परेशान हो गया है कि उसके आमदनी के सारे जराय (साधन) समाप्त हो गये हैं दूसरी तरफ पढ़े-लिखे लड़के रोजगार के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं। आज हालत यह है कि चपरासी की नौकरी भी बिना पैसे के नहीं मिल रही है। कौन-कौन किस हिसाब से नौकरी ले जाते हैं यह कहने की आवश्यकता नहीं है। आज अध्यक्ष महोदय रोजगार की ये हालत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता सदन को फिर गुमराह कर रहे हैं। पैसे लेकर नौकरी लगाने का केस किस पर चलता है कृपया इस सदन को इस बारे में भी जानकारी दे दें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ऐसी शर्मनाक घटना तो भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुई कि जिस सरकार का पूरा पब्लिक सर्विस कमीशन हेराफेरी और धांधली के आरोप में राष्ट्रपति के द्वारा सस्पैंड किया गया। उच्चतम न्यायालय के पांच जजों की खंडपीठ ने चौटाला सरकार द्वारा बनाए गए कमीशन को डिसमिस किया। पहली बार इस देश के इतिहास में ऐसा हुआ है और ये नौकरी की बात करते हैं। सी.बी.आई. के पास आज भी एच.सी.एस. के पेपर्स सुरक्षित हैं और इस बारे में हाई कोर्ट में केस पैंडिंग हैं जिसमें किस प्रकार के क्वेशचंज पूछे गये हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन था उसका जवाब दिया गया है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उस कैंडीडेट को 100 में से 100 नंबर दिये गये हैं। इस प्रकार से एच.सी.एस. की नौकरियों की चौटाला साहब की सरकार द्वारा भर्ती की गई। (शोर एवं व्यवधान) जे.बी.टी. में किस प्रकार से लोग भर्ती किये जाते थे। जे.बी.टी. के घोटाले का मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में चलने लग रहा है और उस समय सबसे ज्यादा रामपाल माजरा जी रोते थे कि मेरा कोई बच्चा लगता नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) सब नौकरियां इसी प्रकार से लगायी जाती थीं और अध्यक्ष महोदय, ये नौकरियों की बात करेंगे। हमारी गवर्नमैंट का रिकार्ड है सर। (विघ्न)

श्री राम पाल माजरा : मंडी बोर्ड के सुपरवाइजरों का सारा रिकार्ड फूंक दिया गया, अब उसका हाईकोर्ट ने रिकार्ड मांगा है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हमने 70 हजार के करीब बच्चे एच.एस.एस.सी.बोर्ड. और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रोजगार में लगाए हैं। उनके खिलाफ कोई भी नौजवान अदालत के पास नहीं गया है। इस सरकार के द्वारा की गई कोई भी सलैक्शन कोर्ट द्वारा क्वैश नहीं की गई और चौटाला साहब के शासन काल में पब्लिक सर्विस कमीशन को सस्पैंड किया गया जो आज तक ऐसी कोई सरकार इस देश में नहीं होगी कि जिसका पूरा का पूरा पब्लिक सर्विस कमीशन मुअत्तल कर दिया गया हो और राष्ट्रपति व सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की खंडपीठ द्वारा धांधली के आरोप में हटाया गया हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह तो भाषण है। यह कोई प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर थोड़ी है।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप सरकार पर ऐलीगेशन लगाते हैं कि नौकरियां बिक रही हैं। फिर इनको ये कहने का हक तो है। (विघ्न) ये प्वॉइंट ऑफ ऑर्डर पर ही तो कह रहे हैं कि जब आपकी गवर्नमैंट थी तो ऐसा हो रहा था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं थोड़ी कह रहा हूं। यह तो इस प्रदेश का बच्चा-बच्चा कह रहा है। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि एच.एस.एस.सी. के द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इतने लोगों को रोगजार पर लगा दिया। अध्यक्ष महोदय, एस.एस.सी. का चैयरमैन श्री नंद लाल पूनिया मुख्यमंत्री जी का रिश्तेदार था और उसको 2-3 बार ऐक्सटैंशन दी जा चुकी है और आउट ऑफ दि वे जाकर के दी गई है और अब सरकार द्वारा एक टीचर्स बोर्ड का गठन करके उसको 72 साल की आयु तक की अनुमति देकर उसका चेयरमैन लगाया गया है। कल मैंने अखबार में पढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, ये तो रमलू हैं कहां-कहां रोएंगे हम इनको।

श्री अध्यक्ष : ये रमलू क्या होता है?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, रमलू का किस्सा आपने सुना नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये इस सदन में अनर्गल आरोप लगा रहे हैं इनको इस सदन में माफी मांगनी चाहिए। श्री नंद लाल जी जो फौज के एक सिपाही थे, जो जींद के रहने वाले हैं, जिन्होंने फौज के अंदर डिस्टिंगविश्ड सर्विस की है और जिनका बिल्कुल क्लीन रिकार्ड रहा है और उसके बाद जब वे हरियाणा स्टाफ सलैक्शन कमीशन के चेयरमैन थे। कई सलैक्शंस को इन्होंने चुनौतियां दिलाई लेकिन एक भी चुनौती को कोर्ट ने अवैध नहीं पाया। ये एक डैकोरेटेड सोल्जर पर, एक फौजी के ऊपर इल्जाम लगाने लग रहे हैं जो न केवल अशोभनीय है बल्कि निंदनीय है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा, अभी तो आपके दो ऐसे मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं। एक तो आज छुट्टी लेकर गया है उनमें से जैन साहब तो यहां बैठे हैं। जिनके खिलाफ आरोप साबित हो गया, आदमी मारे गए हैं मुकदमें चले हैं और मुख्यमंत्री ने उनको मंत्रिपरिषद से निकाल दिया है। (शोर एवं व्यवधान) इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है।

श्री ओमप्रकाश जैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : जिसका गवाह था उसको फिर मारने का काम किया गया।***

श्री अध्यक्ष : मुझे तो सभी का पता है। आप मेरे से मत कहलवाओ। मुझे तो आपके बारे में भी सब पता है। चौटाला साहब, आपने जैन साहब का नाम लिया है इसलिए आप उनको बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान) जो कुछ अब चौटाला साहब कह रहे हैं रिकार्ड न किया जाए। Hon'ble members, the leader of the House is on his leg.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हाउस की कुछ गरिमा होती है उस गरिमा को बनाया जाए। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि उस गरिमा को बनाया रखना चाहिए। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने श्री ओमप्रकाश जैन जी के बारे में कहा है। न तो अभी उन पर चार्जिज लगे हैं और न ही कोई ऐलीगेशंज लगे हैं। जिन लोगों के खिलाफ चार्जिज फ्रेम किये गये हैं और

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

एनफोर्समैंट डिपार्टमैंट ने सम्मन जारी कर रखे हैं और वह माननीय सदस्य यह बात कह रहा है कि श्री जैन को सदन में बैठने का अधिकार नहीं है यह बात सबसे ज्यादा गंभीर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामपाल माजरा जी, आप इस बारे में प्वॉयंट ऑफ एक्सप्लेनेशन बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जो बात श्री ओम प्रकाश चौटाला जी कह रहे हैं कि श्री जैन जी को हाउस में बैठने का अधिकार नहीं है। कोई भी हो जो करेगा सो भरेगा। लेकिन इनको यहां बैठने का क्या अधिकार है क्योंकि चौटाला साहब के ऊपर तो चार्जिज भी फ्रेम हो चुके हैं और मनी लांडिंग में एनफोर्समैंट डायरेक्टोरेट के सम्मन भी जारी हो चुके हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, फैसला माननीय अदालत के विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : क्या जैन साहब का मामला अदालत के विचाराधीन नहीं है? मैं आपको बता देता हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, उनका कोई केस विचाराधीन नहीं है। आप यह बात मेरे मुंह में डालकर मजा लेना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप यह मजे वाली बात कहां से ले आए। पहले बेड़ा पार कर रहे हो और आज मजे ले रहे हो।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हमें गरिमा में रहना चाहिए कोई व्यक्तिगत बात नहीं करनी चाहिए। आज तक जैन साहब के खिलाफ कोई चार्जिज फ्रेम नहीं हुए हैं अगर कोई चार्जिज फ्रेम होंगे तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन जिनके खिलाफ चार्जिज फ्रेम हो चुके हैं। उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। किसी के खिलाफ व्यक्तिगत मैं नहीं जाना चाहता (विघ्न) एफिडेविट तो पता नहीं कितनों के खिलाफ आए हुए हैं। मेरा विपक्ष से भी यही निवेदन है कि व्यक्तिगत बातों पर न जाएं। अगर यह बात कहेंगे तो बहुत सी बातें यहां पर खुल जायेंगी।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है और फैसला अदालत ने करना है, फैसला सदन नहीं करेगा यह फैसला तो अदालत करेगी। मेरे कहने का भाव यह है कि जिस सदस्य के खिलाफ इस प्रकार के इल्जाम लगे जिसको आपने मंत्री परिषद से निकालने का काम किया वह सदस्य आज भी सदन में बैठा हुआ है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, नैतिक तौर पर श्री जैन ने इस्तीफा दे दिया है। नैतिक तौर पर विपक्ष के नेता को भी इस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, किस बात के लिए इस्तीफा दूं, इस सरकार ने तो मेरे खिलाफ 1600 करोड़ रुपये के लिए इल्जाम लगाया था जबकि इनकी स्टेट की इन्क्वायरी एजेंसी ने मेरे खिलाफ 6 करोड़ रुपये रखा है जबकि मैं इन्कम टैक्स पेयी हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश के लिए शर्म की बात है जब हम बाहर जाते हैं तो वे कहते हैं कि आपके विपक्ष के नेता के खिलाफ चार्जिज फ्रेम हो चुके हैं और इन्फोर्समैंट डिपार्टमैंट ने सम्मन जारी कर रखे हैं और वे आज भी अपने पद पर बने बैठे हैं,

नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता के लिए कुछ पहले अपने आप सीखों तभी दूसरों को सिखाओ।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन के सामने बताना चाहता हूं कि श्री ओमप्रकाश जैन और जिन मंत्रियों के नाम यहां पर लिए गये हैं वह अपने प्वायंट ऑफ आर्डर या एक्सप्लेनेशन अगर देना चाहें तो दे सकते हैं अगर न देना चाहे तो न दें। लेकिन यह सत्य है कि उस जाँच के बारे में माननीय उच्च न्यायालय में अभी केस पैंडिंग है और अगली तारीख भी शायद यहां किसी न किसी को पता हो। जब एक मामला माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित हो और उस पर कोई निर्णय न आया हो और चार्जिज फ्रेम न हुए हों तो उस पर अगर हम यहां पर चर्चा करेंगे तो यह अच्छी बात नहीं है।(विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर चार्जिज फ्रेम हो जाएं और जैसा उन्होंने बताया कि जैन साहब ने मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया। सर, इनके एक मंत्री साथी के ऊपर जाली वोटें बनाने के लिए कोर्ट से सम्मन हो गये हैं और कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और प्रीलिमिनेरी इन्क्वायरी हो चुकी है और प्राईमा फेसाई कोर्ट ने यह मान लिया है कि जाली वोटें बनाई गई हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, केवल एक शिकायत दायर हुई है और उस शिकायत पर पुलिस ने तफतीश की है लेकिन पुलिस को उनके खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला है। कोर्ट ने केवल शिकायत पर सम्मन जारी किए हैं। न तो वे आरोपित हैं और न कोई आरोप का निर्धारण हुआ है न उनका पक्ष आज तक सुना गया है। एक पक्ष को सुनकर दूसरे पक्ष से जवाब मांगा है और इससे फालतू कोई बात नहीं है।

श्री अनिल विज : ******

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. बिना परमीशन के जो भी बोला जा रहा है वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) Nothing is to be recorded. Let him skip speaking. ओम प्रकाश चौटाला जी, आप 12.43 बजे बोलना शुरू हुए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : ******

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बोलने ही नहीं दिया गया। आप किस तरह 12.43 की बात करते हो। (शोर एवं व्यवधान) क्या मुझे अब बोलने की अनुमति है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको ही बोलने की अनुमति है। उनको बोलने की अनुमति नहीं है। (विघ्न) प्लीज आप बैठ जाइए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात का कोई उत्तर तो आए। (शोर एवं व्यवधान)*****

श्री अध्यक्ष : आपकी बात का उत्तर किस लिए आए, यह कोई क्वेशचन आवर थोड़े ही है। Nothing is to be recorded. You are not permitted to speak.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। *****

श्री अध्यक्ष : नहीं यह प्वांयट ऑफ आर्डर नहीं है। (विघ्न) Nothing is to be recorded.

श्री अनिल विज : ******

Mr. Speaker : You are not permitted to speak.

Sh. Anil Vij : Speaker Sir, I have a point of order.

Mr. Speaker : No, you do not have.

Sh. Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, Chautala ji does not want to continue. Let some other member speak. Many other members want to speak. They may be given a chance.

श्री अनिल विज : ******

श्री अध्यक्ष : विज साहब, आप बैठिए, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

वाक आउट

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। आप सबको अलाऊ कर रहे हैं और मुझे कैसे अलाऊ नहीं कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) *******

Mr. Speaker : Not allowed. I have called Mr. Om Prakash Chautala to speak.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, मेरे साथ ज्यादती हो रही है इसलिए मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक आउट करता हूं।

Mr. Speaker : Yes, you may.

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदस्य श्री अनिल विज बोलने के लिए समय न दिए जाने के विरोध स्वरूप सदन से वाक आउट कर गए।)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, सारी पार्टी इनको छोड़कर चली गई है। इनकी पार्टी के 3 मैम्बर्ज और हैं और वे तीनों गायब हैं। ये अकेले बैठे हैं। अनिज विज जी, आप भी जाइए। आप क्यों सदन का समय बरबाद कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार के कार्य कलापों से इस प्रदेश का हर नागरिक परेशान है। न सिर्फ किसान और बेरोजगार युवक बल्कि आज कर्मचारी अपनी तनख्वाहों के लिए परेशान हो रहे हैं। टीचर्स धरनों पर बैठे हैं। बुजुर्गों को वृद्धावस्था पैंशन नहीं मिल रही, वे सड़कों पर आकर धरने दे रहे हैं। गरीबों को मिलने वाले बी.पी.एल. के पीले और गुलाबी कार्ड काटे जा रहे हैं। आज प्रदेश में कोई नये उद्योग धन्धे नहीं लग रहे हैं। सरकार

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

उद्योग धन्धों की पाइप लाइन लम्बी बताती है। पता नहीं यह पाइप लाइन कितनी लम्बी है। अध्यक्ष महोदय, उद्योग धन्धों की बात करें तो इनके मुताबिक 2005 में जो वर्किंग उद्योग थे वे 1445 थे जबकि 2009 में ये 1235 रह गए थे। दो सालों में और कितने कम हुए हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। पाइप लाइन औद्योगिक विकास की दृष्टि से बढ़ती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज के दिन प्रदेश में सिचाई की हालत सबसे ज्यादा खराब है। एस.वाई.एल. नहर जो हमारी जीवन रेखा है और आज जिसका कोई भी मुकदमा अदालत के विचाराधीन नहीं है। आज के दिन केन्द्र में और हरियाणा में दोनों जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब द्वारा एक बार फिर यह कहकर कि सतलुज यमुना लिंक नहर का कोई भी मुकदमा किसी भी कोर्ट में विचाराधीन नहीं है हाउस को गुमराह किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, on Punjab Termination of Water Agreements Act पर कान्स्टीच्यूशनल रैफरैंस के लिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट की एक कान्स्टीच्यूशन बैंच के पास विचाराधीन है। ईराडी कमीशन जो श्री राजीव गांधी जी ने राजीव-लौंगोवाल एकोर्ड के बारे में एप्वायंट किया था उसने हरियाणा को 3.85 एम.ए.एफ. पानी दिया था। ईराडी कमीशन का श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और इनकी पार्टी ने विरोध किया था। उस कमीशन के आधार पर हमें वह पानी मिला है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, उसी कमीशन के आधार पर हमें पानी मिला है। ये उस दिन भी हरियाणा को पानी मिलने के खिलाफ थे और आज भी खिलाफ हैं। सर, केस इस समय पैंडिंग है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, केस पैंडिंग नहीं है, रैफरैंस पैंडिंग है। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, मंत्री जी ने बताया है कि केस पैंडिंग है। इस समय केस कान्स्टीच्यूशनल बैंच के पास पैंडिंग है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह कोई बात हुई। आप तो सब जानते हैं लॉ ग्रेजुएट हैं। ये इसको क्लीयर करें।

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : क्या आप अपने ही लीडर पर प्वायंट ऑफ आर्डर करना चाहते हैं?

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप बैठें। आप अपने ही लीडर पर प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं कर सकते। There can't be a point of order on a point of order. Nothing to be recorded. (Interruptions)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, रैफरैंस पैंडिंग है, केस पैंडिंग नहीं है। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है और केन्द्र की सरकार को कहा गया है कि जिस एजेंसी से इस नहर को बनवाओगे, जल्द से जल्द बनवाया जाये लेकिन ये उसको लम्बा लटकाने में लगे

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[श्री ओमप्रकाश चौटाला]

हुए हैं। एस.वाई.एल. नहर का पानी यदि हमारे प्रदेश में आयेगा तो इससे हमारे प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, इनकी हालत तो यह है। (विघ्न)

Shri Randeep Singh Surjewala : Spkeaker Sir, on a point of order again.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, फिर प्वायंट ऑफ आर्डर मांग रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है। इसका मतलब आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते। क्या मैं हाऊस छोड़कर चला जाऊं। यह कोई बात थोड़ी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : अगर कोई प्वायंट ऑफ आर्डर रेज कर रहा है तो आपको वह सुनना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह कोई प्वायंट ऑफ आर्डर थोड़ी है। यह तो भाषण दे रहा है। कितने दफा बीच में बोला है उसमें प्वायंट ऑफ आर्डर कहां था।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, मंत्री जी ने कहा कि on a point of order.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह तो प्वायंट ऑफ आर्डर की आड़ लेकर भाषण देता है। आप इसको हर बार सुन रहे हो। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक पर्सनल एतराज भी है। मैं हमेशा चौटाला साहब को आदरणीय, चौधरी साहब, माननीय कहकर संबोधित करता हूं। चौटाला साहब मेरे से बड़े हैं और मेरे पिता जी की उम्र के हैं इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं परन्तु बड़ों को भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी इस महान सदन का सदस्य हूं। एक बार नहीं तीन-तीन बार चुनकर आया हूं। चौटाला साहब हमेशा मुझे ये कहकर बात करते हैं। हमेशा इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो इस महान सदन में शोभनीय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी, आपकी क्वालीफिकेशन क्या है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कई परिवारों के सदस्यों के पास जितनी सारी क्वालीफिकेशन हैं उतना मैं अकेला पढ़ा हुआ हूं। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक अनुरोध सादर कर रहा था reference is also a case, it's a Constitutional reference. यह कहकर सदन को बरगलाना कि यह रैफरैंस है या हम डिले कर रहे हैं यह बलत बात है। अध्यक्ष महोदय, डिले कोई नहीं कर रहा। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ने एस.वाईएल. का केस दायर किया था और हमारे समय में ही हम केस जीते थे। हमने ही एग्जीक्यूशन फाईल किया था। राजीव गांधी जी ने ही राजीव-लौंगोवाल एकोर्ड के तहत ईराडी कमीशन की नियुक्ति की थी लेकिन जब पंजाब विधान सभा में जिसमें इनके मित्र और परिवार के सदस्य बैठे हुए थे उस समय पूरी पंजाब की विधान सभा ने Punjab Termination of Water Agreement का प्रस्ताव पास करके हम से हमारा हक छीना था। (विघ्न) उस समय इनकी सरकार यहां थी और हमने इनको कहा कि उस एग्रीमैंट को ये चुनौती दें लेकिन चौटाला जी ने चुनौती नहीं दी। उस समय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी विपक्ष के नेता थे। इन्होंने भी कहा कि आप कोर्ट में जाईये लेकिन चौटाला जी नहीं गये। उसके बाद इनकी सरकार बदली और हरियाणा में चौधरी भूपेन्द्र

सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई। श्री मनमोहन सिंह जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी गये। हालांकि केन्द्र सरकार दो राज्यों के बीच तटस्थ रहती है परन्तु हमारे अनुरोध पर केन्द्र की सरकार Punjab Termination of Water Agreement गलत है और अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके एक सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की खण्डपीठ का गठन किया गया जिसका फैसला बहुत जल्दी आरणीय चौटाला जी हमारे हक में आयेगा और हरियाणा के लोगों को हम उनका हक दिलवायेंगे। (इस समय मेजें थप-थपाई गई)

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है कि मंत्री जी रैफरैंस को बार-बार केस की संज्ञा दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो केस होता है वह between the parties होता है लेकिन रैफरैंस जो है वह सलाह के लिए एक प्राईवेट आदमी की तरफ से भी जा सकता है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह कानून कैसे बना सकता हूं। एक प्राइवेट आदमी कांस्टीच्यूशनली रैफरैंस कैसे सीक कर सकता है?

Shri Sher Singh Barshami : Speaker Sir, let me clearify. अगर मैं गलत हूं तो सदन मुझे सज़ा दे लेकिन मेरी बात तो पूरी सुन ली जाये। (विघ्न)

Shri Randeep Singh Surjwala : Speaker Sir, I want your ruling. Can a private person seek a constitutional reference? I want your ruling Sir.

श्री शेर सिंह बड़शामी : अध्यक्ष महोदय, यहां पर आपके अधिकारी बैठे हैं आप उनसे आर्टीकल 142 और 143 पढ़वा लीजिए। सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि रैफरैंस 100 किस्म के होते हैं। सरकार भी रैफरैंस के लिए भेज सकती है और कोई प्राईवेट पार्टी भी रैफरैंस के लिए भेज सकती है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, बड़शामी जी के मुताबिक तो कोई प्राईवेट पर्सन भी सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है कि मैं यह रैफरैंस भेज रहा हूं इस पर निर्णय किया जाये।

Mr. Speaker : It is big question of consitutional propriety, I must look into it. बड़शामी जी, आप भी लॉ ग्रेजुएट हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, आप बड़शामी जी की लॉ डिग्री भी चैक करवाना।

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, हम भी यह चाहते हैं कि आप सुरजेवाला जी की डिग्री चैक करें। शायद माननीय मुख्यमंत्री महोदय बड़े लम्बे समय से विश्वास करते आ रहे हैं कि उनके पार्लियामैंट्री मिनिस्टर बड़े काबिल हैं लेकिन हमें देखने में यह आया है कि ये काबिलियत से बहुत दूर हैं। इसके अलावा मैं यह भी व्यवस्था चाहूंगा कि मंत्री महोदय बार-बार कहते हैं कि मुझे बोलने का हक प्राप्त है क्योंकि मैं पार्लियामैंट्री अफेयर्ज़ मिनिस्टर हूं। मैं यह जानना चाहूंगा कि किस पार्लियामैंट्री प्रोसीज़र के तहत इनको ये हक प्राप्त है। जब इनको लीडर ऑफ दि हाऊस डायरैक्ट करेंगे तभी ये बोल सकते हैं और लीडर दि हाऊस किसी सदस्य को

[श्री शेर सिंह बड़शामी]

बोलने के लिए डॉयरैक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम स्पीकर साहब से कोई बात पूछते हैं जिसका जवाब देने के लिए वे स्वयं आंसरेबल हैं लेकिन उसका जवाब देने के लिए भी पार्लियामैंट्री अफेयर्ज़ मिनिस्टर साहब खुद खड़े हो जाते हैं जबकि आनरेबल स्पीकर के बिहाफ पर पार्लियामैंटी अफेयर्ज़ मिनिस्टर नहीं बोल सकते। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस हाऊस की प्रोसीडिंग्ज का संचालन लीडर ऑफ दि हाऊस नहीं करते बल्कि आप करते हैं। सर, ये आपके अधिकार भी छीनने लग रहे हैं। Leader of the House doesn't decide who will speak? It is the Hon'ble Speaker who will decide it. Speaker Sir, you are the custodian of this august House. इन्हें अभी तक यह भी पता नहीं चला। स्पीकर सर, अरोड़ा जी जो इनकी पार्टी के अध्यक्ष होने के साथ-साथ एक जिम्मेदार आदमी भी हैं उनको इनकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए।

श्री शेर सिंह बड़शामी : स्पीकर सर, मैं यह कह रहा हूं कि अगर लीडर ऑफ दि हाऊस किसी सदस्य को बोलने के लिए डॉयरैक्ट करेंगे तो वह गवर्नमैंट के बिहाफ पर ही रिप्लाई देगा न कि पर्सनल बिहाफ पर रिप्लाई देगा। इसके अलावा ऑनरेबल स्पीकर का जहां तक ताल्लुक है Hon'ble Speaker is not a part of the Government. अगर उनसे कोई रूलिंग मांगी जाये तो वे उसे खुद दे सकते हैं न कि पार्लियामैंटी अफेयर्ज़ मिनिस्टर लेकिन पार्लियामैंट्री अफेयर्ज़ मिनिस्टर साहब स्पीकर साहब की तरफ से बोलने के लिए भी खड़े हो जाते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे बोलने की अनुमति है?

Mr. Speaker : Yes, please.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप तो किसी और ही काम में लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, बड़शामी जी ने मुझे संविधान के अनुच्छेद 143 को पढ़ने के लिए कहा है इसलिए मैं उसी को पढ़ रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, उसे तो आप बाद में पढ़कर सुना देना। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया हुआ है इसलिए पहले आप मेरी बात तो सुन लें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, संविधान के अनुच्छेद 143 को पढ़ने के लिए मुझे कहा गया है अब मैं उसे पढ़ने लगा हूं तो आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि कांस्टीच्युशनल रैफरैंस के अलावा हरियाणा सरकार ने इज़राय (Esray) जिसको हम एग्जीक्युशन एप्लीकेशन कहते हैं वह भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है जो कि वहां पर अभी भी पैंडिंग है।

श्री अध्यक्ष : सुरजेवाला जी, क्या आप भी नहीं चाहते कि मैं संविधान के अनुच्छेद 143 को पढ़ूं?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं भी यह चाहता हूं कि आप विपक्ष के साथियों की जानकारी के लिए आर्टीकल 143 को पढ़ें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं लॉ ग्रेजुएट हैं इसलिए आपको तो हर बात का ज्ञान है। इसलिए आप इन चक्करों में पड़ने के बजाये मेरी बात सुनें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, फिर भी पढ़ना तो जरूरी है। Presidential reference can not be by a private party.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ठीक है आप पढ़कर इस बारे में फैसला कर देना। जब फैसला देने का समय आता उस समय तो आप फैसला नहीं देते हैं। कल बड़ा अच्छा अवसर था जब आपसे फैसला मांगा गया था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, जहां तक कल के अवसर की बात है वह बहुत अच्छा अवसर था जो कि आपके थिंक टैंक हैं, आपके मित्र हैं, आपके सहयोगी हैं माननीय बड़शामी जी उन्होंने यह कहा था कि इस मुद्दे पर बहस करवा लो। इन्होंने आपसे पूछा नहीं। जब आपने ये अन्दर सुना कि ये तो कह रहे हैं कि बहस करवा लो तो आप एकदम बाहर आये और कहा कि इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं होगी हम तो जवाब चाहते हैं। आपने इस बात के लिए ज़रूर बड़शामी जी को रैंश्योर किया होगा। कल मैंने शाम को भी देखा कि बड़शामी जी कुछ बुझे-बुझे हुए थे आपने जरूर उनकी कुछ न कुछ खिंचाई की होगी। चौटाला जी आप प्लीज सच्चाई बताईये कि क्या आपने बड़शामी जी की खिंचाई की थी?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आपने जब बड़शामी जी की बात रिजैक्ट कर दी तो ये परेशान हो जाते हैं। ज्यों ही आप दिखाई देते हैं बाली की तरह इनका वज़न घटा देते हो। आपका तौर तरीका देखकर ये परेशान हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, मैंने जब भी बड़शामी जी को देखा है तो ये हमेशा खुश रहते हैं लेकिन कल आपकी खेंच का कुछ असर दिखाई दिया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या अब आप मेरी बात सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष : जी बोलिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई बोलने देगा मैं तभी तो बोल पाऊंगा। (विघ्न)

श्रीमती अनिता यादव : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। श्री चौटाला जी ने एक शब्द बोला है "बाली" जो कि अनपार्लियामैंट शब्द है। इसलिए इस शब्द को कार्यवाही से निकलवाया जाये।

श्री अध्यक्ष : अनिता जी, "बाली" कोई अनपार्लियामैंटी शब्द नहीं है। आप कृपया बैठिए। हां जी, चौटाला जी बोलिए। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा था कि हर स्तर के ऊपर सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती, वृद्धों को पेंशन

[श्री ओमप्रकाश चौटाला]

नहीं मिलती, किसान परेशान है, व्यापारियों पर निरन्तर छापे पड़ रहे हैं, उनसे फिरौतियाँ वसूल की जाती है। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद बिगड़ चुकी है, किसी की जान-माल, इज्जत सुरक्षित नहीं है, हालत यहाँ तक हो चुकी है कि हर दो घंटे में एक चोरी हो रही है और छीना-झपटी की तो अब ये हालत हो गई है कि किसी लड़के की किसी महिला की चैन झपट ली वह चैन नकली थी और अध्यक्ष महोदय, दो दिन के बाद उस लड़के ने उस महिला को चाटा मारा और उससे कहा कि नकली चैन पहले फिरती है। यह असलियत बात है, यह हालत आज इस प्रदेश की हो गई है। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में न किसान खेत में सुरक्षित है, न व्यापारी दुकान में सुरक्षित है, न थानेदार थाने में सुरक्षित है और ना वकील कोर्ट में सुरक्षित हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला जी, आपको बोलते हुए एक घंटा आठ मिनट हो चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे बोलते वक्त जो इंटरप्शन हुई आप तो उस टाईम को भी मेरे बोलने के टाईम में जोड़ रहे हैं, यह सारा समय तो इंटरप्शन में ही चला गया है।

Mr. Speaker : Please carry on.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज हालत तो यहां तक हो गई है कि मुर्दाखाने में मुर्दे भी सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री जी के अपने जिले में अपराध निरन्तर बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के गाँव में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। यह हालत आज इस प्रदेश की हो गई है। कोई भी अपने आपको सुरक्षित नहीं समझ रहा है। रोहतक का किस्सा ताजा ही है कि अपराधियों ने एक व्यापारी से लाखों रुपये ले लिए और उसका सोना भी ले लिया गया, उसके विरोध में व्यापारी धरने पर बैठे रहे उन्होंने प्रदर्शन किया। जब वे मुख्यमंत्री जी से मिले मुख्यमंत्री जी ने साथ आए व्यापारियों से कहा कि जो इस व्यापारी का घाटा हुआ है उस घाटे को तो आप सब व्यापारी लोग मिलकर पूरा कर दो। बाकि इस केस में जो कार्यवाही करनी है वह सरकार करेगी। (शोर एवं विघ्न)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, ये काहे को बोल रहा है, ये किस चीज का प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आपने पहली बार हाथ उठाकर बोलने की इजाजत मांगी है इसलिए मैं आपको अलाऊ कर रहा हूँ।

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष जी, चौटाला साहब, बार-बार सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा अमलीजामा अपनी बात को पहना रहे हैं कि हम मजबूर निगाहों से इनकी तरफ देखते रहें, ये हरगिज नहीं होगा। स्पीकर सर, ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। चौटाला साहब की सरकार के समय में जेलों के अंदर बदमाशों को चराने पिराने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया जाता था, उनको जेलों से रात को बाहर निकालते थे और इनके दत्तक

पुत्र उनको जम्मू कश्मीर तक घुमा कर लाते थे और इनके फार्म हाउसों के अंदर अपराधी पालने की नर्सरी बना रखी थी, जहां उपजाऊ फसल होनी चाहिए वहां अपराधी बोये जाते थे और अपराधी पैदा किये जाते थे। (विघ्न) स्पीकर सर, समय आने पर उन अपराधियों का नाम भी बतायेंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कांडा जी, आप बताइये, आप तो पहले चौटाला साहब की पार्टी के सदस्य थे।

स्थानीय निकाय राज्य मंत्री (श्री गोपाल कांडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि मैं न तो कभी चौटाला साहब की पार्टी का सदस्य था और न ही मैं जिंदगी में ऐसे लोगों के साथ रहूँगा। मेरा नाम तो एक व्यापारी के रूप में इनके साथ जुड़ा हुआ था। इन्होंने तो हमेशा व्यापारी और बनिया को तंग ही किया है इसके अलावा तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस में जो बात बताऊंगा बिल्कुल सही-सही बताऊंगा। मैं एक बात का चौटाला जी का समर्थन भी करता हूं। थोड़ी देर पहले इन्होंने ये कहा था कि हम तो अपोजीशन में ही थे, अपोजीशन में हैं और अपोजीशन में ही रहेंगे। इन्होंने यह बात तो पक्की कही है कि ये सदा अपोजीशन में ही बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले अरोड़ा साहब ने एक बात कही कि जमीनों के रेट अनाप-शनाप बढ़ रहे हैं। ये इस बात का द्योतक हैं कि किसी भी प्रदेश में जहां अमन, चैन और शांति होगी वहां जमीन के रेट तो बढ़ेंगे ही। जब चौटाला साहब की सरकार प्रदेश में थी तब प्रदेश से व्यापारी पलायन करने लग गए थे। लिबर्टी के आगे इन्होंने गड्ढे खुदवा दिये। (विघ्न) स्पीकर सर, इनके साथ आज भी बलात्कार ***** व अपराधी लोग घूमते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह ******* शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री गोपाल कांडा : स्पीकर सर, उनके नाम है प्रदीप गोदारा, राजेश सारण, कुलदीप, मनोज पांडी ऐसे लोगों की एक लंबी लिस्ट मेरे पास है। ये तो कहते हैं कि जो जितना बड़ा अपराधी होगा वही इनके साथ गाड़ी में बैठेगा और चौटाला साहब हाउस में अपराधियों की बात करते हैं?

श्री अध्यक्ष : कांडा जी ये अपराधी कौन लोग हैं?

श्री गोपाल कांडा : अध्यक्ष महोदय, ये लोग इनके समर्थक हैं, इनके साथ रहते हैं, आप ये चौटाला साहब से पूछ सकते हैं कि ये लोग कौन हैं? चौटाला साहब बता देंगे कि कौन हैं ये लोग?

श्री अध्यक्ष : कांडा जी आप इन लोगों को इसलिए जानते हो क्योंकि आप भी कभी इन लोगों के साथ थे। (विघ्न)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : कांडा जी, ये सारे अपराधी आपके ही साथी थे और जब आप हमारी पार्टी छोड़कर चले गए तो आपके साथ ही ये सारे अपराधी भी चले गये।

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, कांडा जी भी आपकी ही पार्टी के सदस्य थे।

श्री गोपाल कांडा : स्पीकर सर, मैं अपराधियों को इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं स्टेट का गृह मंत्री हूं और जिन लोगों के मैंने नाम लिये हैं वे सभी अपराधी हैं।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : कांडा जी, ये सारे अपराधी आपके आदमी थे और आप भी हमारे आदमी थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री गोपाल कांडा : अरोड़ा साहब, मैं न कभी आपके साथ था और न हूं। (शोर एवं व्यवधान) जब मुझे पता चला कि ऐसे अपराधियों के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है तो मैंने इनके साथ से अपना नाम हटा लिया। अगर आप ऐसे लोगों की लिस्ट की बात कहो तो आपको रिटन में भिजवा सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, कांडा साहब से यह बात पूछी जाए कि वो गाड़ी किसकी थी जिसमें रेप हुआ? वह गाड़ी भी इन्हीं की थी।

Mr. Speaker : That matter is being examined by the Privileges Committee. (Noise & Interruption) Please do not make a speech. कांडा जी, आपने इन लोगों के नाम लिये हैं कि ये-ये आदमी अपराधी पृष्ठभूमि के हैं (विघ्न) अब आप इनको जवाब तो देने दीजिये।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, जिन आदमियों के नाम कांडा जी ने बताये हैं वे आदमी हमारी पार्टी के साथ कभी नहीं रहे बल्कि ये सभी कांडा जी के साथी थे और जब कांडा जी हमारी पार्टी को छोड़कर गये तभी ये सभी आदमी इनके साथ ही चले गये। (विघ्न)

श्री राजपाल भूखड़ी : स्पीकर सर, मैं प्वायंट ऑफ आर्डर पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : भूखड़ी जी, आप क्या कहना चाहते हो। क्या आपके पास कोई प्वायंट ऑफ आर्डर है?

श्री राजपाल भूखड़ी : स्पीकर सर, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार के लॉ एंड आर्डर के बारे में विपक्ष के द्वारा कटाक्ष किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से चौटाला साहब से पूछना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी उस समय प्रदेश में लॉ एंड आर्डर की क्या स्थिति थी? इनकी सरकार के समय में प्रदेश में हरसौला कांड हुआ, दुलिना कांड हुआ। उस समय पांच गरीब लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई लेकिन प्रशासन ने कोई भी कार्यवाही नहीं की।

श्री अध्यक्ष : आप प्वायंट ऑफ आर्डर बताईये।

श्री राजपाल भूखड़ी : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर यही है कि ये इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। हमारी सरकार लॉ एंड आर्डर के प्रति मजबूत है और कहीं भी हमारी सरकार लॉ एंड आर्डर में वीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब चौटाला साहब बोलेंगे। (विघ्न) कृपया एक दूसरे से बात न करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, तुलनात्मक दृष्टि से यदि चर्चा की जाये तो मैं यह मानकर चल सकता हूं कि अपराधी की प्रवृत्ति में अपराध करना होता है। आज दुनिया का सबसे ज्यादा सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अमेरिका का प्रेजिडंट है लेकिन अपराधियों ने तो अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडे का भी मर्डर कर दिया था। इमरजेंसी के बाद स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा सुरक्षा मिली हुई थी। अपराधियों ने उनका कत्ल भी कर दिया

था। अपराधियों की प्रवृत्ति में है अपराध करना लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उन अपराधियों पर अंकुश लगाये उनके खिलाफ एक्शन ले। मैं यह मानता हूं कि हमारी सरकार के वक्त भी अपराध हुए थे लेकिन उस समय अपराधों की संख्या 40 हजार थी और वर्ष 2011 तक बढ़कर यह 81000 हो गई है। वर्तमान सरकार के ये आंकड़े मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आज प्रदेश में हालत यह हो गई है कि इस 18 जनवरी को सोनीपत की जेल तोड़कर के मुल्जिम फरार हो गये और अब तक उनका कुछ पता नहीं चला है। आज प्रदेश में ड्रग माफिया कितना हावी हो गया इसके बारे में हमने अखबारों में पढ़ा है कि एक मुर्दा व्यक्ति का जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके पेट में से कुछ सफेदे की थैलियां निकलीं और मधुबन में जब इस बारे में एक्जामिन किया गया तो 8 महीने के बाद उसकी रिपोर्ट आई कि उन थैलियों में ड्रग्ज थी।

14.00 बजे **श्री अध्यक्ष** : चौटाला साहब, अब आप वाइंड अप करें।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय दस मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस का समय दस मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने एक बात बड़े दावे के साथ कही थी कि बिजली की जो कमी है वह विरासत में मिली है। हो सकता है कि उस वक्त बिजली की कमी रही हो। इस सरकार ने सत्ता संभालने के बाद कोई ऐसे व्यवस्था कायम नहीं की जिसकी वजह से बिजली की आपूर्ति में बढ़ोत्तरी हो। मैंने पिछली दफा भी यह बात कही थी और आज फिर दोहरा रहा हूं कि यमुनानगर का दीनबंधु सर छोटू राम थर्मल पावर प्लांट का कार्य हमारी सरकार के वक्त में हमने शुरू कर दिया था। उसके साथ रिलायंस कंपनी का चायना की कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट भी हुआ था। उस एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए रिलायंस कंपनी ने हमें भी एक दर्खास्त दी थी कि मुझे दूसरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने की अनुमति प्रदान की जाए। हमारी सरकार ने उनकी वह ऐप्लीकेशन रिजैक्ट कर दी थी कि जो ऐग्रीमेंट है हम उसको नहीं तोड़ेंगे। फिर जब बाद में इनकी सरकार आने के बाद उन्होने फिर इस आशय की ऐप्लीकेशन दी और उस पर इन्होंने भी वह रिजैक्ट कर दी। लेकिन कुछ अर्से के बाद फिर एक नयी दर्खास्त पर रिलायंस को अनुमति दे दी गई। अध्यक्ष महोदय, उस वक्त मैंने हरियाणा प्रदेश के हितैषी होने के नाते अपने एक अच्छे साथी को लिखित रूप में एक एम.एल.ए. के नाते मैंने चिट्ठी लिखकर इस बारे में सुझाव दिया कि इस ऐग्रीमेंट के तहत जो नयी कंपनी को ये छूट दी गई है इससे प्रदेश का बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। पिछली दफा मैंने उस लैटर को यहां पढ़कर भी सुनाया था कि किन भद्दे अल्फाजों से मेरी खिल्ली उड़ाई गई थी, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन आज मेरी बात शत प्रतिशत सच्ची साबित हुई है क्योंकि 25 सितंबर से उसकी एक यूनिट बंद पड़ी है और उसकी वजह यह है कि उसका रोटर खराब हो गया जिसकी वजह से वह टर्बाइन चलती है और उससे बिजली पैदा होती है, उसको मरम्मत के लिए चाइना भेजा गया।

[श्री ओमप्रकाश चौटाला]

अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि मरम्मत के ऊपर 16 करोड़ रुपये खर्च आयेगा और नया रोटर लिया जाए तो 25 करोड़ रुपये में आता है। मरम्मतशुदा होकर आकर वह ठीक काम करेगा या नहीं यह मुझे पता नहीं है? यह हालत आज उसकी है। इसके अलावा झाड़ली में इन्होंने एक थर्मल पावर प्लांट लगाया था। इनको ध्यान नहीं था या फिर इनकी संस्कृति में यह बात नहीं थी। उस प्लांट की आधारशिला श्रीमती सोनिया गांधी जी से रखवाई गई थी। मैंने उस समय इन्हें याद भी दिलाया था कि इसकी आधारशिला आप कनागतों में रख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप तो ब्राहम्ण हैं आपको तो इस बारे में पता है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि कनागतों में आधारशिला रख रहे हो, यह सिरे नहीं चढ़ पाएगा, वही बात हुई वह अब तक भी सिरे नहीं चढ़ पाया है। इसी तरह से खेदड़ का प्लांट आज भी पूरी तरह से नहीं चल पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इन्होंने एक परमाणु संयंत्र लगाने के लिए फतेहाबाद के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया था। वहां के किसान आज भी धरने पर बैठे हुए हैं और उनमें से कुछ किसान तो एक्सपायर भी हो चुके हैं। सरकार उस प्लांट को लगाने के लिए आज भी बजिद है कि परमाणु संयंत्र लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, जब आप अध्यक्ष नहीं थे और आप जब उधर बैठे थे। मैंने कहा था इस परमाणु संयंत्र को लगाना मानवता के लिए काफी नुक्सानदायक होगा। मैंने इस बारे में किसी से सुना था, कहीं पढ़ा था। वैसे मुझे तो इतना ज्ञान नहीं था आप तो बहुत बुद्धिमान हैं आपने भी मेरी इस विषय पर विस्तार से खिल्ली उड़ाई थी कि ये गलत हो रहा है। वैसे तो आप इसके ज्यादा जानकार रहे होंगे फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो मैंने अखबार में पढ़ा है कि उस परमाणु संयंत्र की वजह से जापान और रशिया का पिछले दिनों बड़ा भारी नुकसान हुआ है और मानवता का इससे ज्यादा नुकसान न हो इसके लिए दुनियां के प्रगतिशील देश जर्मनी ने कह दिया है कि हम इसको नहीं लगायेंगे और अमेरिका तो पहले भी इन प्लांट्स को बंद का चुका था और उसके बेकार हो चुके उपकरणों को बेचने के लिए परमाणु संधि करने का काम किया और अब भी सरकार इस बात पर बजिद है कि परमाणु संयंत्र लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये हालात हैं तो कहां से बिजली आएगी, कैसे लोगों को बिजली मिलेगी? आज बिजली एक बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। किसान को, व्यापारी को और उद्योगपति को बिजली चाहिए इसके अलावा सार्वजनिक जीवन में भी बिजली अति आवश्यक है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Chautala Sahib, please conclude now. Please conclude in 5 minutes.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इन सारे हालातों के बावजूद बड़े बलैंग-बांग दावे किए जा रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम बढ़ रही है, हरियाणा प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में हरियाणा और आगे जायेगा। हरियाणा पहले नम्बर का प्रदेश बनेगा। मैं इनकी बात को सच्ची मान सकता हूं। हरियाणा का नम्बर तो शायद पहला हो सकता है लेकिन जिन परिस्थितियों से आज हरियाणा प्रदेश गुजर रहा है वह नम्बर ऊपर से नहीं होगा बल्कि नीचे से आयेगा यह हालत आप इस प्रदेश की हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : यह बात आप हर बार कहते हो।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार इसलिए तो कहता हूं क्योंकि जो असलियत है मैं वही कहता हूं।

Mr. Speaker : Come out with now new dialogue.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कौन-कौन सी बात बताऊं। प्रशासन की आज यह हालत है हमने लगातार यह बात देखी है कि मुख्यमंत्री जी का प्रिंसीपल सैक्रेटरी एक होता था, ओ.एस.डी. एक होता था लेकिन आज दर्जनों ओ.एस.डीज. हैं। अब तो हद हो गई है कि सुपर ओ.एस.डी. और बैठा दिया है। चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी एक होता था आपको सारे हालत का ज्ञान है आज कितने चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरीज़ बनाये जा रहे हैं सरकार का पैसा लुटाया जा रहा है और आज सरकार की हालत आर्थिक तौर पर यह है कि आज हरियाणा प्रदेश 52702 करोड़ रुपये का कर्जदार है और उसके बाद 750 करोड़ रुपये कर्जा पिछले दिनों फिर लिया। अब 500 करोड़ का कर्जा फिर मांगा जा रहा है। कर्जा कहां से आयेगा, कैसे कर्जा दिया जायेगा और कहां से वह कर्जा वसूल होगा पैसा किस लिए खर्च किया जा रहा है। किस काम में आयेगा और उसका उपयोग कैसे होगा यह एक विचारणीय मुद्दा है।

Mr. Speaker : Thank you very much.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के कस्टोडियन हैं आपसे हम अनुरोध कर सकते हैं कि आपकी यह अपनी सरकार है इस सरकार को आप जरा सही रास्ते पर लाने का काम करें। इनको समझाने का काम करें ताकि प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़े। मैंने खुलकर पहले भी एक बात कही थी और आज फिर कह रहा हूं कि सरकार अगर कोई भी जनहित का काम करेगी तो हम इस सरकार की सराहना करेंगे। लेकिन जनता ने हमें चुनकर भेजा है ताकि हम जनता की समस्याएं इस सदन के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाएं। अगर उस पर भी सरकार को आपत्ति होती है और सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है तो क्या करेंगे। जनता के सामने जब इस प्रकार के हालात पैदा होंगे तो यह सरकार किसी की बपौती तो है नहीं। यह तो जनतंत्र है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में आज जो लोग इधर बैठे हैं कल को उधर भी बैठ सकते हैं इसलिए कल को उधर बैठेंगे उसके बाद उनके साथ क्या बीतेगी यह भी एक विचारणीय मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, स्टेट के इन्ट्रस्ट के लिए मैं आपसे कहूंगा कि स्टेट के हित के लिए सत्ता पक्ष के लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करें परन्तु आज हालत यह है।

Mr. Speaker : Chautala Sahib, thank you very much conclude please. आप एक मिनट में कन्कलूड कीजिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कन्कलूड ही कर रहा हूं। अब मुझे थोड़ा आराम से बोलने का अवसर मिला है तो मैंने सारी बातें कह दी हैं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आप 1.43 बजे से बोल रहे हैं अब आप 2.10 बजे तक जल्दी कन्कलूड कीजिए। प्लीज आप एक मिनट में कन्कलूड कीजिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सैकिंड में ही कन्कलूड कर रहा हूं आपके आदेश की पालना तो मुझे करनी ही पड़ेगी। मैं तो आपकी बात मानता हूं ये तो आपकी बात

[श्री ओमप्रकाश चौटाला]

नहीं मानते। इसलिए आज प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत भयावह हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति को कैसे सुधारा जायेगा लोगों को किस प्रकार से राहत प्रदान की जायेगी यह तो सरकार की जिम्मेवारी है। आज सरकार के पैसे को किस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है। सड़कों की हालत क्या है इसकी भी चर्चा इसमें आई है। अध्यक्ष महोदय, बाई-पास बनाये जा रहे हैं और ताज्जुब की बात यह है कि बाई-पास बनाने वाली जो सरकार है उसको तो पहले से ज्ञान है कि यहां से यह कुछ होने जा रहा है और उससे पहले अपने लोगों को कह देते हैं कि वहां पर जमीनें खरीदने का काम करो। फिर उन जमीनों के दाम बढ़ जाते हैं बाई पास की जितनी सड़कें बनी हैं वे सारी की सारी टूट चुकी हैं मुख्यमंत्री जी तो हवाई जहाज और हैलीकाप्टर में जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने सिरसा में इसीलिए बाई पास नहीं बनाया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां तो बाई पास बना ही नहीं था।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, थैंक्स यू।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी तो हैलीकाप्टर और हवाई जहाज से जाते हैं इन्हों तो पता नहीं कि सड़कों की हालत क्या है और किस बेदर्दी से सरकार का पैसा खर्च किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी मनीराम गोदारा जी के बेटे का निधन हो गया था उसके लिए मुख्यमंत्री जी संवेदना व्यक्त करने गये थे क्योंकि यह हमारी परम्परा में है। मुख्यमंत्री जी गये और श्री गोदारा जी के घर से 20 फुट के फासले पर ही हैली पैड बनाया गया क्योंकि मुख्यमंत्री जी हैलीकॉप्टर से गये थे और मुख्यमंत्री जी का सारा का सारा कारकेड वहां गया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जहां भी जायेंगे तो वहां पर तो एस.पी. भी जायेगा, डी.सी. भी जायेगा। उस गाड़ी में भी बैठकर जाया जा सकता था। ******

श्री अध्यक्ष : इन शब्दों को कार्यवाही से निकलवा दिया जाए। चौटाला साहब, ऐसा कह कर तो आप सरकार को ही प्रोवोक कर रहे हैं कि यह भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए तो ये कर रहे हैं आप ही इशारा करके इनसे कहलवा दोगे।

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार से आपको शोभा नहीं देता। आप कन्कलूड कीजिए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं मुझे इनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं इनकी सोच तो किसी और हिसाब की होगी। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं जनता के बीच जा सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, फिर तो मैं यही कहूंगा कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

Mr. Speaker : Thank you.

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is ts the sense of the House that the time of the sitting of the House be extended for four minutes.

Voice : Yes, yes.

Mr. Speaker : Ok, the time of the sitting of the House is extended for four minuted.

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Member, now the Hon'ble Chief Minister will make the obituary reference.

Hon'ble Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda) : Speaker Sir, this House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of 16 Armymen killed in avalanches in the upper reaches of Bandipore and Ganderbal districts of north-eastern areas of the Kashmir division following snowfall and rains during the past couple of days.

These Armymen have lost their lives for the protection of our Border areas. Therefore, this House salutes to these soldiers who exhibited exemplary courage and made the supreme sacrifices for the country. This House resolves tosend its heartfelt condolences to the members of the bereaved families.

श्री ओम प्रकाश चौटाला (उचाना कलां) : अध्यक्ष महोदय, हमने टेलीविजन पर इस दर्दनाक हादसे के बारे में देखा और सुना। इस हादसे में जिन जवानों की मृत्यु हुई है मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। नैचुरली क्लेमटी की वजह से यह बहुत बड़ा हादसा हुआ। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और पूरे सदन की तरफ से शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

श्री अनिल विज (अम्बाला कैंट) : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूं। हमारे सिपाही अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करते हैं। बर्फ से ढ़की चोटियों के ऊपर गलेशियर्ज के पास हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने में हमारे सिपाही बिल्कुल संकोच नहीं करते हैं। जिन 16 सैनिकों के बारे में मुख्यमंत्री महोदय ने शोक प्रस्ताव रखा है मैं भी अपने दल की तरफ से उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I associate myself with the Obituary Reference made by the Hon'ble Chief Minister and the feelings expressed by other Members of the House.

I also deeply feel grieved on the sad demise of Army Jawans as mentioned by the Hon'ble Chief Minister. These Army Jawans have lost their lives in the

dedicated service to the nation and we are safe only because of the great sacrifices of these Army Jawans.

I pray to almighty to give peace to the departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families. Now, I request all of you to kindly stand up to pay homage to the departed souls for two minutes.

(At this stage, the House stood in silence as a mark of respect to the memory of deceased for two minutes.)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the House is adjourned till 2.00 P.M. Thursday, the 1st March, 2012.

*14.14 hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Thursday, the 1st March, 2012.)

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY